पांचवी पंचवर्षीय योजना
(1974-79)
एव वार्षिक योजना वर्ष
1975-76

जनपद उत्तरकाशी

नियोजन विभाग

उ: प्र

प्रस्तावना

जनपद उत्तरकाशी की पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) एवं वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 नियोजन विभाग (उ०प्र०) के निर्देशों के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है । योजना में अंकित वित्तीय परिव्ययों की सूचना विभागाध्यक्षों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के अनुसार है । भौतिक लक्ष्यों को जनपद की आवश्यकताओं, उपलब्ध स्रोतों तथा साधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किया गया है । जनपद की वर्ष 1975-76 की योजना में 2-52 करोड़ रूपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ।

National Institute of Educational Planning and Administration
★ LIBRARY ★

Sub. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No............................
Date...................................

54256
309.26
UTT-P

विषय सूची

जिला योजना उत्तरकाशी

क्र०सं०	अध्याय	पृष्ठ
1	भौतिक लक्षण	1
2-	कृषि	17
3-	फल उपयोग (उद्यान) तथा आलू विकास	32
4-	निजी लघु सिंचाई	45
5-	राजकीय लघु सिंचाई	48
6-	भूमि संरक्षण	60
7-	भण्डारण एवं विपणन	68
8-	पशुपालन	69
9-	दुग्ध सम्पत्ति	76
10-	मत्स्य	78
11-	वन	81
12-	सामुदायिक विकास	89
13-	पंचायत राज	91
14-	ग्राम्य अभियंत्रण सेवा	99
15-	प्रादेशिक दल	101
16-	सहकारिता	107
17-	खाद्य सुरक्षा	116
18-	ग्रामीण विद्युतीकरण	118
19-	खनिज	124
20-	उद्योग (लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हथकरघा) तथा रेशम उद्योग)	126
21-	सड़कें	133
22-	पर्यटन	143

क्रमशः -

क्र0सं0	अध्याय	पृष्ठ
23-	शिक्षा	147
24-	प्राविधिक शिक्षा	152
25-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	155
26-	पेय एवं जल निस्तारण (जल संस्थान)	165
27-	पेयजल (सामुदायिक विकास)	171
28-	आवास	173
29-	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	176
30-	श्रम कल्याण	178
31-	हरिजन एवं समाज कल्याण	181
32-	पुष्टाहार कार्यक्रम	188
33-	विकास अन्वेषणालय एवं प्रयोग प्रभाग का कार्यक्रम	192
34-	अन्य आर्थिक सेवायें (अर्थ एवं संख्या प्रभाग)	196
35-	न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम	198
36-	जिले के आधार भूत आँकड़े (31-3-74 तक की स्थिति)	199
37-	पाँचवी योजना एवं वार्षिक योजना (1975-76) के वित्तीय परिव्यय	204

अध्याय -1 भौतिक लक्षण

जिला उत्तरकाशी पहले टिहरी गढ़वाल जिले का एक भाग था । सन 1949 में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलीनीकरण के उपरान्त टिहरी गढ़वाल जिले का स्वतन्त्र रूप से निर्माण हुआ था। कालान्तर में प्रशासनिक तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से सीमान्त जनपद उत्तरकाशी का निर्माण 24 फरवरी सन् 1960 को हुआ । इस जिले के स्वतंत्र रूप से निर्माण का मुख्य उद्देश्य यहां की जनता की अत्यधिक निर्धनता और सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को यथाशीघ्र दूर करना, और इसे प्रदेश के अन्य उन्नतशील जिलों के समकक्ष लाना विशेष विकास योजना को द्रुतगति से कार्यान्वित कर यहां के लोगों के जीवनस्तर को यथाशीघ्र उठाना था, ताकि इस सीमान्त क्षेत्र की जनता में आत्म संतोष, स्वावलम्बन तथा निर्भीकता की भावना दृढ़ हो सके । सदियों से रियासत कालीन क्षेत्र होने के कारण इस जिले में जनता का सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रायः नगण्य हो रहा । क्यों कि प्रत्यक्षतः तत्कालीन शासकों ने जनता की उन्नति तथा खुशहाली के प्रयत्न नहीं किये थे । फलस्वरूप यहां पर अत्यधिक सुरापान, यौन स्वतन्त्रता बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा एवं अन्य अनावश्यक प्रथायें विद्यमान रही । इस क्षेत्र में गरीबी, निरक्षरता तथा अन्य विषमताओं का बोलबाला रहा है ।

सम्पूर्ण जिला हिमालय की गोद में विद्यमान है । जिले का विस्तार 144-84 किलो मीटर लम्बाई तथा 90-12 कि0मी0 चौड़ाई में है । जिले का क्षेत्रफल 7,816 वर्ग कि0मी0 है । इसके पूर्वी सीमा में जिला चमोली उत्तर में हिमालय के विस्तार क्षेत्र पश्चिम में हिमांचल प्रदेश तथा दक्षिणी सीमा में जिला टिहरी गढ़वाल स्थित है । जिले का सम्पूर्ण भाग नदियों की घाटियों एवं उनके ढलानों पर स्थित है । समुद्रतल से 4500 मीटर ऊंचाई वाले भाग वर्ष के प्रायः 12 महीनों में बर्फ से ढके रहते हैं नदियों की घाटी में कहीं भूमि समतल तथा बाकी भूमि असमतल है, जिस पर खेती करने के लिए सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये हैं । जहां पर भूमि खेती योग्य नहीं है, वहां पर जंगल और चारागाह हैं । जिले के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है ।

(क) कुल क्षेत्रफल	7816 00	हैक्टर
(ख) फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र	3005	,,
(ग) कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र	35,068	,,
(घ) परती भूमि	2146	,,
(ङ) कृषि बंजर भूमि	1,994	,,
(च) भूमि जो कृषि योग्य नहीं है :-		
(1) बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं है	7,259	,,
(2) भूमि जो कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा रही है	3,357	,,
(3) स्थाई चारागाह आदि	38050	,,
(छ) सुरक्षित वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	690721	,,

वर्षा :- जनपद प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है । यहां पर वर्षा काल में मानसून हवाओं से तथा पर्दिश से पछुआ हवाओं से वर्षा होती है । जिले में विभिन्न तहसीलों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मासिक औसत वर्षा का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा । जिले सभी भागों में लगभग एकसी ही वर्षा होती है ।

माह	औसत वर्षा	मि0मी0 में
जनवरी	35	,,
फरवरी	145	,,
मार्च	75	,,
अप्रैल	82	,,
मई	143	,,
जून	368	,,
जुलाई	456	,,
अगस्त	466	,,
सितम्बर	148	,,
अक्टूबर	59	,,
नवम्बर	39	,,
दिसम्बर	-	,,

नदियां जलधारायें :- जिले की मुख्य बड़ी नदियां (1) भागीरथी (गंगा), (2) यमुना तथा (3) टौंस है ।

भागीरथी (गंगा) :- हिमालय के गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम है । यह स्थान गंगोत्री तीर्थ से 19 कि0मी0 दूरी पर है । प्राचीन कथा को स्मरण करते हुए राजा भगीरथ का नाम स्वाभाविक आता है जिनके तप एवं उपासना का वह प्रतिफल हुआ, जब गंगा का धरती पर अवतरण हुआ । अपनी प्रबल धारा के साथ बहती अन्त में टिहरी जिले में देवप्रयाग स्थान में अलकनन्दा नदी से मिल जाती है । जिले के अन्दर नदी की लम्बाई 128 कि0मी0 है । भागीरथी नदी की तेज जलधारा एवं निरन्तर तीव्र ढलान के कारण इसका पानी जिले के अर्न्तगत कहीं भी सिंचाई के प्रयोग में नहीं आता है । इस नदी की छोटी सहायक नदियां (जलधारायें) जान्हवी, मिलंगगाड, अस्सीगंगा, इन्द्रावती, वरुणा, रेणुका, नाकुरी, धुरमोला, जलकुर, बिल्लीगाड, पालिगाड, नगरीगाड, हनोगाड, पवारीगाड आदि है । इन छोटी नदियों के दोनों ओर स्थित गांवों एवं समतल भूमि पर कहीं कहीं सिंचाई की जाती है । भागीरथी के जल उपयोग हेतु मनेरी-भाली प्रोजेक्ट का निर्माण जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इन छोटी नदियों के जल का उपयोग

वनों से काटी जा रही लकड़ी के ढुलान (ढ़ढान) के लिए किया जाता है ।

यमुना :- हिमालय के बन्दरपुच्छ नामक पर्वत के यमुनोत्री स्थान से इसका उद्गम है । घाटी में अधिकतम गहराई पर अपनी धार बहाती हुई, जिले में एक ओर लाखामण्डल तथा दूसरी ओर दरियाईगाड़ नामक स्थान पर प्रवेश के साथ क्रमशः देहरादून एवं टिहरी-गढ़वाल जनपद की सीमाओं का निर्धारण करती है । इस नदी से भी सिंचाई नहीं होती है । इस नदी की छोटी सहायक नदियां बेरसालीगाड़, ...गाड़, हनुमान गंगा, ...गाड़, कुथ...गाड़, ...गाड़, ...गाड़, ...कोटगाड़, ...गाड़, तथा कमलनदी द्वारा घाटियों में सिंचाई होती है । बडियारगाड़ से कोटी पालर नामक स्थान पर जल विद्युत योजना का निर्माण किया जा रहा है ।

टौंस (तामसा) :- रूपिन तथा सुपिन नदियों के स्थान नैटवाड़ में मिलने पर यह नदी तामसा (टौंस) के नाम से प्रचलित है । किनारों पर चट्टानों एवं गहरे ढलानों के कारण टौंस रूपिन और सुपिन नदियों से कहीं पर सिंचाई का कार्य नहीं होता है । इसके अतिरिक्त छोटी छोटी मुख्य सहायक नदियां दियालगाड़ ओरागाड़, केदारगाड़, ...गाड़, ...नीगाड़, ...गाड़ तथा पावर-नदी आदि है, जिनसे कहीं कहीं पर बहुत कम मात्रा में सिंचाई होती है । केदारगाड़ की ओर स्थिति भूमि में इसके जल का उपयोग सिंचाई हेतु बहुत कम मात्रा में किया जाता है । जनपद सीमान्तर्गत टौंस एवं उसकी सहायक नदियों पर अभी तक कहीं भी जल विद्युत योजनाओं का कार्य नहीं किया जा रहा है ।

जल निकास :- पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, जल निकास की यहां कोई विशेष समस्या नहीं है । साधारणतः वर्षा का पानी ढाल पर बह जाता है और नदियों तथा गाड़ के द्वारा जिले के बाहर निकल जाता है। वर्षा का कुछ पानी भूमि में ही समा जाता है ।

भूमि संरचना :-

भूमि की बनावट पहाड़ी, ढालदार तथा बलुई व दोमट मिट्टी की है जिसकी सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि समुद्रतल से 700 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर घाटियों में पाई जाती है । पहाड़ों की ढाल पर तंग सीढ़ीनुमा खेतों को तैयार कर खेती की जाती है । जिले में 35068 हेक्टर भूमि पर कृषि की जाती है जिसमें केवल 5100 हेक्टर भूमि सिंचित है । घाटी वाले खेतों में रबी में गेहूं जौ, मटर, आलू, मसूर, सरसों तथा खरीफ में धान, कोदा, मंडुआ, मक्का, आलू, चौलाई, तिलहन, उर्द आदि फसलें उगाई जाती है । ऊंचाई वाले भागों में बागवानी आलू, चौलाई, आदि फसलें उगाई जाती है । इस जनपद में कृषि भूमि के अतिरिक्त 690721 हेक्टर भूमि सुरक्षित वनों के अन्तर्गत 1994 हेक्टर भूमि बंजर कृषि योग्य, 7259 हेक्टर अकृषि योग्य, 38050 हेक्टर भूमि चारागाह एवं ... के अन्तर्गत है और 3357 हेक्टर अन्य प्रयोग में लाई जा रही है ।

पेड़ः- जनपद के 6 90721 हेक्टर भूमि में विभिन्न प्रकार के जंगल पाये जाते है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

पेड़ की किस्म	इकाई	क्षेत्रफल हेक्टर में (वन प्रभागवार)		
		उत्तरकाशी	टौंस	यमुना
1 - चीड़	हेक्टर	33069	19221	17714
2- फर	,,	15440	14389	13193
3- देवदार	,,	3241	4412	1526
4 कैल	,,	3645	5285	3654
5- बुरी	,,	58	×	×
6- पापड़ी	,,	79[illegible]	×	×
7- चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष	,,	370[illegible]	5553	×
8- भुज तथा बुरांस	,,	6159	5233	17078
9- हाण	,,	68309	2636	×
10- नीची ऊंचाई के वन	,,	1511	191	×
11- कुरियाल आदि	,,	63798	19024	1720
12 - [illegible]	,,	20056	18242 [redacted]	16857
13- ऊंचे स्थानों पर ओक	,,	16635	913	×
14- खाली क्षेत्र नदी आदि रवाली	,,	5895	278	1562
15- चट्टानी भाग जहां कार्य नही होता	,,	40450	98536	1577
16- कुछ चौड़ी पत्तो वाले अन्य वृक्ष	,,	×	27907	10546
योग -	,,	463374	141820	85527

उपरोक्त सुरक्षित वनों में पाई जाने वाली वनस्पति के अतिरिक्त आबादी वाले क्षेत्रों में भीमल, तुन, डैकन, खड़िक, कुरियाल, फरसाई एवं फलदार पौधों में अखरोट, सेब, नाशपाती, नीबू, माल्टा, संतरा, नारंगी, मौसमी, केला आदि के वृक्ष पाये जाते है।

जन्तु :- वनों में कस्तूरा, शेर, बारहसिंहा, सफेद भालू, काला भालू, सुअर, बाघ, काकड़ हिरन, बन्दर, लोमड़ी, सियार, लंगूर, गिलहरी, मुर्गी, चकोर, तीतर, जंगली तोते, मुनाल कंवलास, कबूतर तथा आबादी के अन्तर्गत पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ याक, घोड़ा, खच्चर, गधा आदि पाये जाते हैं । सन् 1972 की पशुगणना के अनुसार जनपद में [illegible] 59215, भेड़ पालतू 38568, भेड़, बकरी 110843 व अन्य पशुओं की संख्या 36480 है । जिले के ऊँचे भागों में [illegible] गोमुख के ऊपरी क्षेत्रों नन्दनवन, तपोवन, डोडीताल, दयारा, कुश कल्याण भाभीवन, हरकीदून, सोरंगोथाल, पांगसिल, मनहरकांठा आदि स्थानों में विभिन्न प्रकार के पुष्प फल, पंछेदारी और जड़ीयाँ पाये जाते हैं ।

अध्याय- 2

जनसंख्या तथा व्यवसाय

उत्तरकाशी नगर को छोड़कर जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या गावों में निवास करती है। 1961 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 122835 थी जो 1971 में बढ़कर 147805 हो गई। इस दशक में आबादी की वार्षिक वृद्धि 1.85 प्रतिशत रही, जो गढ़वाल मण्डल में सबसे अधिक रहा है।

1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का व्यवसायिक दृष्टि से निम्न प्रकार वितरण है :-

मद	कुल	शहरी	प्रतिशत कुल का	
			कुल	शहरी
1- कुल काम करने वाले	93921	2478	100-0	100-0
2- कृषक	80682	498	86	20
3- कृषि मजदूर	939	25	1	1
4- खान, पशुपालन मत्स्य	1486	5	2	0
5- घरेलू उद्योगों के अलावा	681	37	1	2
6- घरेलू उद्योग में	1027	192	1	8
7- निर्माण कार्य में	1286	171	1	7
8- व्यापार	989	335	1	13
9- यातायात	142	61	0	2
10- दूसरी सेवायें	6689	1164	7	47

कर्मकारों एवं अकार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत

	कुल जनसंख्या	नगरीय जन संख्या
कर्मकार	64	41
अकार्यशील	36	59

इस जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार कर्मकार 69 प्रतिशत एवं कार्य न करने वालों का प्रतिशत 31 था ।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस जनपद में आबादी की वृद्धि के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, और यही तथ्य नगरी क्षेत्र में भी पाया गया है ।

1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है । इन जातियों के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है ।

गढ़वाल मण्डल में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 899 है जबकि अन्य चारों जिलों में स्त्रियां पुरुषों के अनुपात से अधिक है । 1931 दशक से इस जनपद में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात घट रहा है । यह इस बात का द्योतक है कि इस जनपद के लोग अधिकांशतः बाहरी जिलों में नौकरी अथवा फौज में नहीं जाते है । जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अन्य सेवाओं में 1961 के मुकाबले में 1971 में वृद्धि हुई है ।

सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल के क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत है । लेकिन जनसंख्या के आधार पर जनपद की जनसंख्या, मण्डल की जनसंख्या का 11 प्रतिशत है । इसी कारण आबादी का घनत्व 19 व्यक्ति प्रति कि0 मी0 है, जो इस मण्डल में सबसे कम तथा प्रदेश में भी 54 वे स्थान पर है । क्षेत्रफल की दृष्टि से यह गढ़वाल मण्डल में दूसरे तथा प्रदेश में चतुर्थ स्थान रखता है ।

आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत वितरण

आयु वर्ग	1971 ग्रामीण	1971 नगरीय
आयु-वर्ग 0-14	32	37
15-59	60	60
60 और ऊपर	8	3

अध्याय -3 प्राकृतिक संसाधन

भूमि :- जनपद का सम्पूर्ण भाग पहाड़ी होने के कारण, भूमि ढालदार है । यद्यपि अभी तक भूमि के गुणात्मक वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नही हुआ है, परन्तु पड़ोसी जिलों की तुलना में यहां की भूमि में जीवांश पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । जिले का कुल क्षेत्रफल 781600 हेक्टर है, जिसके उपभोग का विवरण निम्न प्रकार है :-

भूमि के उपभोग का विकासखण्डवार विवरण वर्ष 1973-74 (हजार हेक्टर में)

क्र0 स0	ब्योरा	भटवाड़ी	डुण्डा	नौगांव	पुरोला	योग
1	2	3	4	5	6	7
1-	भौगोलिक क्षेत्रफल	430-542	72-320 / 48-052	110-335	168-403	781-600
2-	वन का क्षेत्रफल	415-322		83-527	141-820	690-721
3-	ऊसर कृषि अयोग्य भूमि	0-547	0-452	1-809	4-137	6-945
4-	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	000-750	00-933	1-016	0-972	3-671
5-	कृषि योग्य बंजर भूमि	0-720	0-519	0-324	0-431	1-994
6-	स्थायी अन्य चारागाह	6-767	10-334	10-037	10-572	37-710
7-	अन्य उद्यान वृक्षों की फसल का क्षेत्रफल जो बोये गये क्षेत्र में शामिल नही है	0-745	0-730	1-847	0-803	3-345
8-	परती भूमि (अ) वर्तमान परती	0-606	0-150	0-754	0-233	1-743
	(ब) अन्य परती	-	0-075	-	0-328	0-403
	बोया गया शुद्ध क्षेत्र	5-085	11-075	9-801	9-107	35-068
10-	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	3-041	5-831	4-997	5-057	18-926

विभिन्न आकारों एवं इकाइयों के अनुसार कृषि योग भूमि को विभिन्न जातों का विवरण निम्न प्रकार है । यहाँ पर प्रति जोत 0-679 हेक्टर भूमि

औसत है जो बहुत कम है ।

जोतों का आकार वर्ष 1973-74 विकास खण्डवार (क्षेत्रफल 000 हेक्टर)

जोत की संख्या एवं उसके अन्तर्गत क्षेत्रफल	भटवाड़ी	डुण्डा	नौगांव	पुरोला	योग	कृषकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1 हेक्टर तक						
(क) संख्या	3195	11219	19719	4873	39006	76
(ख) क्षेत्रफल	1-463	3-858	2-547	[illegible] 1-838	9-706	
1 हेक्टर से अधिक परन्तु 3 हेक्टर से कम						
(क) संख्या	2132	2690	3010	3321	11153	22
(ख) क्षेत्रफल	2-566	4-295	6-326	5-487	18-674	
3 से 5 हेक्टर तक						
(क) संख्या	259	668	70	274	1271	2
(ख) क्षेत्रफल	1-003	2-331	0-413	1-180	4-927	
5 से अधिक						
(क) संख्या	10	90	78	28	206	0
(ख) क्षेत्रफल	0-053	0-591	0-515	0-602	1-751	
कुल (क) संख्या	5596	14667	22877	8496	51636	
(ख) क्षेत्रफल	5-085	11-075	[illegible] 9-801	9-107	35-068	

सिंचित तथा असिंचित दशा में प्रति हेक्टर पैदावार (कुन्तल)

	धान	गेहूँ	मक्का	चना	मटर	मंडुवा/झंगोरा/चौलाई	आलू
सिंचित	21-0	17-0	-	-	-	-	65-65
योग	9-50	8-00	7-75	3-50	3-50	1-00	40-00

इस प्रकार सिंचित तथा असिंचित दशाओं में पैदावार में 2:1 का अनुपात है सिंचित दशा में धान गेहूँ की फसलें बोई जाती है ।

जिले के किसी भी भाग में जल अवरोध के स्थल नही है । जल निकास प्राकृतिक रूप से ही हो जाता है । भूमि अम्ल व क्षार युक्त अवगुणों से मुक्त है ।

2- पानी (जल) :- पहाड़ी क्षेत्र के कारण यहाँ पानी केवल स्थानीय नालों गधेरों आदि श्रोतों से उपलब्ध होता है । पेयजल के लिए भी इसी का उपयोग होता है । गावों में अब नलों द्वारा स्वच्छ जल वाले गधेरों/श्रोतों से पानी कर डिग्गी, स्टैण्ड पोस्टों आदि की सुविधा देकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । सिंचाई के लिए भी इन गधेरों के जल का उपयोग छोटी छोटी नहरों को बनाकर किया जाता है । इसके अतिरिक्त सिंचाई हेतु नदी, गधेरों, प्राकृतिक स्रोतों से गूल व नहरों के अलावाँ हौज या नलों द्वारा भी पानी लाकर सिंचाई की जाती है की जाती है । सिंचाई के लिए यहाँ विद्युत का प्रयोग अभी तक नहीं होता है ।

निकट भविष्य में निम्न नदियों से लिफ्ट सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं ।

1- भागीरथी, 2- यमुना, 3- टोन्स, 4 पावर इन नदियों में वर्ष के 12 महीनों पर्याप्त पानी रहता है ।

यहाँ भूमिगत जल के उपयोग एवं संरक्षण कार्य कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । चट्टानों तथा पत्थरों को खोदकर भूमि की निचली सतह से पानी निकालना कठिन तथा बहुत महंगा है ।

3- पशुधन - वर्ष 1972 की पशुगणना के आधार पर विभिन्न वर्गों की संख्या निम्न प्रकार से थी ।

(1) दुधारु पशु (गौवंशीय एवं महिषवंशीय)	59215
(2) अदुधारु पशु ,,	73036
(3) भेड़ बकरियाँ	110843
(4) अन्य पशु	1980
योग -	245074

दुधारु पशु तथा अन्य पशुओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

	गाय	भैंस सांड	योग	औसत प्रति है0	औसत प्रति परिवार
(1) जोत वाले पशु -	39000	404	39404	1·10	1·61
(2) दुधारु पशु	36,961	25,221	62,182	1·69	2·40

(3) अन्य महत्वपूर्ण के पशु

भेड़ बकरी	110843
सुअर	211
घोड़ा टट्टू	742
अन्य	885

इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन के अन्तर्गत रियासत कालीन समय से कडियानी में एक हेचरी चल रही है, जिसमें ट्राउट मछली का पालन किया जा रहा है।

4- बन जिले की कुल 704835 हेक्टर भूमि वनों के अन्तर्गत है जिसमें से 690721 हेक्टर सुरक्षित वनों तथा 14114 हेक्टर सायम वनों के अन्तर्गत है। इन वनो में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ निम्न प्रकार आच्छादित हैं :-

1- चीड़	हेक्टर	70,004
2 फर	,,	43,022
3- देवदार	,,	9179
4- केल	,,	12,584
5 - कुरो	,,	58
6- पोपडी	,,	799
7- चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष (ऊँचे स्थाने में)	,,	9262
8- सन तथा अन्य कुकाट	,,	28,470
9 - बांज	,,	70,945
10- नीची ऊँचाई के वन	,,	1,802
11- बुगियाल	,,	84,542
12- वर्फानी		2,35,665
13- ऊँचे स्थानों पर ओक	,,	17,548
14- खाली केवल झाड़ी आदि		7,725
15- चट्टानी भाग	,,	1,40,563
16- अन्य वनस्पति	,,	38,553

सुरक्षित वनों में विभिन्न प्रकार की लकड़ी, रेजिन, जडी, बूटियाँ, ईंधन आदि प्राप्त होती हैं। उपलब्ध चारागाह चरान चुंगान के काम आते है। इन वनों तथा सायम वनों का प्रवन्ध वन विभाग द्वारा किया जाता है जलाने की लकडी को इकट्ठा करने से तथा जानवर चराने के लिए स्थानीय लोगो पर प्रतिवन्ध नहीं है। केवल बुगियालों में चरान चुंगान के लिये गाय, भैंस, बकरियों पर टेक्स लिया जाता है।

5- खनिज पदार्थ - जिले में खनिजों की उपलब्धता के सम्बन्ध में अभी तक कोई भूगर्भ सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अतएव इस सम्बन्ध में कोई

उल्लेख करना सम्भव नहीं है यहाँ चूने का पत्थर, बजरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । चूने का पत्थर की उपलब्धि के आधार पर इस जनपद में सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना की जा सकती है । इस सम्बन्ध में तकनीकी सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है ।

अध्याय -4

लक्ष्य और उददेश्य

पाँचवी पंच वर्षीय योजना का उददेश्य सर्वतोन्मुखी विकास का है, जिसमें क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके,

1- निर्धनता हटाना, विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनता ।

2- मूल्यों में स्थिरता लाना ।

3- सामाजिक विषमताओं को दूर करना ।

4 उत्पादन एवं बचत को बढ़ाना ।

5- आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर होना ।

6- जनसंख्या की वृद्धि को रोकना ।

उत्तरकाशी जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जनपद की उन्नति को इस प्रकार जानी है, जिससे यह प्रदेश के अन्य जनपदों के बराबर आ सके । इस हेतु विद्युत, सिंचाई, सड़के, एवं संचार साधनों के विकास तथा ऋण एवं विपणन की सुविधाएँ को उच्चतम प्राथमिकता देनी होगा ।

1- बेरोजगार एवं अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार देने तथा छोटे कृषकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है, ताकि यहाँ के ग्रामीण का जीवन स्तर उपर उठाया जा सके ।

2- निम्नलिखित कार्यों द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का प्रस्ताव है

(क) विदयुत, सिंचाई, एवं सड़को जैसे जैसे आधार भूत व्यवस्थानों का सुदृढ़ीकरण ।

(ख) कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि

(ग) औदयोगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ।

3- जिला स्तर पर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) ।

4- संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना ।

5- जन्म दर में कमी करना ।

6 - मूल्यों को स्थिर करना ।

7- विकास केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टर) तथा नगरीय क्षेत्रों का विकास ।

8- जनता का योगदान प्राप्त करना ।

रोजगार कार्यक्रम :- ऐसा विचार किया गया है कि 1960-61 के भावों पर सभी नागरिकों को कम से कम 20 रु0 प्रति माह निजी उपभोग के लिए सुलभ हो । प्रचलित भावों के आधार पर यह राशि 40 रु0

मासिक होगी । इस मापदण्ड से जनसंख्या का प्रयुत अंश इस निकृष्ट दैन्य रेखा से भी नीचे है । इसकी पूर्ति लोगों को लाभपूर्ण सेवायोजन सुलभ कराने से हो सकती है । इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर निम्नलिखित उत्पादन कार्यक्रमों को प्रखर किया जायेगा ।

(1) अल्प सिंचाई (2) भूमि संरक्षण (3) क्षेत्रीय विकास (4) दुग्ध विकास एवं पशुपालन (5) वनीकरण (6) बाढ़ नियंत्रण (7) मत्स्य (8) भण्डारण एवं विपणन (9) लघु एवं कुटीर उद्योग (10) सड़कें (11) विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

अभी तक कृषि तथा उद्योग में लगाई जाने वाली पूँजी के अभाव के कारण छोटे कृषकों तथा शिल्पकारों को योजना कार्यक्रमों का पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका है । चौथी योजना के प्राप्त अनुभव आधार पर इस कार्य को पाँचवीं योजना में सम्पूर्ण राज्य में फैलाये जाने का कार्यक्रम है । अभी तक मुख्य बाधा यह रही है कि कार्य के लिए उपयुक्त जमानतों के अभाव में राजकीय संस्थाओं से ऋण की सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती । इन संस्थाओं की क्षमता तथा कार्य कुशलता ऋण वितरण के आधार पर आँकी जायेगी । अभी तक कृषि एवं उद्योग प्रसार एजेन्सियों ने अपने प्रयास से सुसम्पन्न व्यक्तियों को ही सहायता दी है जोकि उपयोगित नहीं है । अब छोटे कृषकों तथा कारीगरों को उत्पादन कार्यों में सहायता पहुँचाने की दृष्टि में पूर्णतया भिन्न रुख अपनाना होगा ।

<u>तीव्र आर्थिक विकास</u> :- कृषि उद्योग तथा वृत्तात्मक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं की पूर्ति बहुत कुछ विद्युत शक्ति की पूर्ति पर निर्भर है । इस प्रकार यहाँ प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति की खपत 210 यूनिट होगी जो कि अन्य जनपद की तुलना में कम है ।

पर्वतीय क्षेत्र के तीन चार गाँवों के समूह का, जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक हो, इसके अन्तर्गत लाना होगा । पाँचवीं योजना में इस बात का भी लक्ष्य है कि कोई भी गाँव पक्की सड़क से 3-2 कि0मी0 से अधिक दूरी पर न हो । वर्तमान सड़कों का चौड़ा करना तथा वर्तमान पुलियों को भी मजबूत करना होगा ।

आस पास के क्षेत्रों को विकास को गति देने के लिए प्रत्येक जिले में ग्रोथ सेन्टरों की भी स्थापना करनी होगी, जिनमें बैंक डाकखाना, विपणन सेन्टर, हाउस और यातायात इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हों ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि :- चतुर्थ योजनाकाल में कृषि उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुई है । पाँचवीं योजना में 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए । प्रति हेक्टर उपज बढ़ानी है । ~~घटिया अनाजों के स्थान पर उन~~ बढ़िया अनाजों के उत्पादन पर जिनकी उपज अधिक होगी, प्रसार किया जाना है । कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि को जोतने योग्य बनाने तथा बहु-फसलीय क्रियायें कार्यान्वित करने के सतत प्रयास होने है ।

1978-79 तक निम्नलिखित उपायों से अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे ।

(क) उपज दर में वृद्धि ।
(ख) बहुफसलीय क्षेत्र में वृद्धि ।
(ग) घटिया खाद्यान्नों के स्थान पर बढ़िया खाद्यान्नों का उत्पादन ।
(घ) कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि में कृषि कार्य किया जाना ।

तिलहन व आलू जनपद की महत्वपूर्ण नकदी फसलें है जहां तक आलू की बात है, 1965-66 से 7.9 प्रतिशत वृद्धि दर के बावजूद भी हम कई जनपदों से पीछे हैं । फलोत्पादन के प्रसार और अधिकतम विकास की पूर्ण सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजकीय एवं निजी स्तर पर घोर प्रयास आवश्यक है तरकारी उत्पादन में भी वृद्धि इसी प्रकार हो सकेगी ।

पशुपालन के विकास के लिए चारा उत्पादन आवश्यक है । अभी तक चारे की फसलों का क्षेत्र 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है ।

कृषि सम्बन्धी विस्तृत योजना के निर्माण के समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है :-

(क) भूमि संरक्षण (ख) शुष्क कृषि कार्यक्रम (ग) फसलचक्र को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है उनके लिए सिंचाई नीति बनाना ।

तिलहन की फसलों विशेषकर सूरजमुखी तथा दालों पर विशेष बल छोटे कृषकों की समस्याओं, आवश्यकताओं उनकी प्राथमिकता निर्धारित

किया जाना ।

शोध शिक्षा और कृषि प्रसार में निकटतम सहयोग ।

कृषि पदार्थों की मूल्य नीति भी इस तरह निर्धारित किया जाय कि उनको फसलों को प्रोत्साहन मिले ।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि :- चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक वृद्धि का लक्ष्य 8-10 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन रखा गया था । चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन साल में औद्योगिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही । पाँचवी योजनाकाल में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यमान कारखानों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना आवश्यक होगा । जनपद के इस प्रमुख उद्योग के विकास के अलावा कृषि और वन पदार्थों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के भी विस्तृत अवसर है । उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण मशीनों की माँग में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

अभी उद्योग राज्य के कुछ जिलों में ही केन्द्रित हैं । अतः इस बात के प्रयत्न होंगे कि अधिक से अधिक कारखाने उन जिलों में स्थापित हो जहाँ वे अभी स्थापित नहीं है । इस बात का भी प्रयत्न किया जायेगा कि आधुनिक टेक्नालाजी के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा प्रत्येक श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाई जाये । इसके लिए औद्योगिक शान्ति भी स्थापित करनी होगी । लघु उद्योगों का विकास एवं प्रसार किया जाना भी आवश्यक होगा ।

प्रदेश में पर्याप्त संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्योग कर्ताओं को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, जैसे उद्योग पतियों को लाइसेंस विद्युत, जल तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक परामर्श उपलब्ध कराने में वास्तविक कठिनाइयाँ दूर करनी होगी । इस दिशा में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की रूपरेखा तैयार की जाय, जो उद्योग पतियों को उनकी आवश्यकतानुसार तत्काल उपलब्ध कराई जा सके ।

-1 कृषि :-

भूमिका :- यह जनपद उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी कोने में सघन वनों, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं एवं यमुना व गंगा के गहरी घाटियों में स्थित है। इस प्रकार ऊँचाई में असमानता होने के कारण जनपद को खेती की दृष्टि से सामान्यतः दो प्रकार के भूमि में विभक्त किया जाता है।

1- घाटी वाली दुमट भूमि।

2- पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती बलुवी दुमट मिट्टी।

घाटी वाले क्षेत्रों में प्रति हेक्टर उपज सीढ़ीनुमा खेती की अपेक्षा करीब दुगुनी है। घाटी वाले क्षेत्रों में चारागाहों के अभाव के कारण तथा चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति की कमी के कारण कम्पोस्ट की कमी है। पानी की सुविधाओं के फलस्वरूप उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किन्तु इसके विपरीत ढालदार पहाड़ियों पर सीढ़ीनुमा खेती वाले क्षेत्रों के वनों में प्राप्त चौड़ी पत्तीवाले कम्पोस्ट तथा हरवर्ष वर्षा के कारण धरातली मिट्टी बह जाने से तथा पानी व नमी रोकने की कम क्षमता होने के कारण कृषक रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा कृत कम प्रयोग कर रहे हैं। जनपद की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, मंडुवा, झंगोरा, एवं दालें आदि हैं।

2- वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन :-

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1-48 लाख है और 74-75 के अन्त तक बढ़कर 1-56 लाख हो गई है। उसके साथ ही साथ 73-74 के अन्त में खाद्यान उत्पादन 36040 मै0 टन हुआ। पांचवी योजना के अन्त तक वार्षिक उत्पादन 50726 मै0टन हो जावेगा। वर्ष 1974-75 में लगभग 43385 मै0टन खाद्यान उत्पन्न हुआ है। वर्ष 1975-76 में 46459 मै0टन खाद्यान उत्पादन होने का लक्ष्य है।

3- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

जनपद में 5500 फिट ऊँचाई के स्थानों में धान, गेहूँ, मन्डुवा, झंगोरा, आलु, तिल आदि पैदा किया जाता है। इससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र में गेहूँ, फाफरा, रामदाना, दालें, आलु एवं फलों की खेती की जासकती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 35068 हेक्टर क्षेत्र में खेती की गई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 36000 हेक्टर भूमि खेती के अन्तर्गत आजावेगी। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 1-48 लाख थी। यह जनसंख्या प्रक्षिप्त जनसंख्या के आकड़ों के अनुसार वर्ष 1974-75 में 1-56 लाख थी। जनपद में मनेरी भाली परियोजना तथा वन सम्पदा से सम्बन्ध रखने वाली अस्थिर प्रवासी मजदूरों की संख्या को जोड़ते हुए इस जनपद में वर्ष 1975-76 के प्रारम्भ में लगभग 1-73 लाख व्यक्ति रह रहे हैं। यही सूचना पूर्ति विभाग के रिकार्ड के अनुसार है। वर्ष 1974-75 में जनपद का कुल उत्पादन 43385 मैट्रिक टन था इसके अतिरिक्त खाद्य रसद विभाग द्वारा भी 4532 मैट्रिक टन खाद्यान का वितरण किया गया है। जनपद की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति प्रति दिन

उपभोग लगभग 700 ग्राम का है । इसमें 10 प्रतिशत की हानि एवं पशुआहार निश्चित दिया गया अनाज तथा बीज के लिये सुरक्षित अनाज भी सम्मिलित है । इस जनपद के सीमान्त पड़ोसी जिलों के मार्गों से भी अनाज बाहर चला जाता है, जिसका कोई रिकार्ड नहीं है । परन्तु यह स्पष्ट है कि यह जनपद इस समय जो कुछ बाहर से मंगाता है, वह नगण्य ही समझा जा सकता है ।

4- क्षेत्र की आवश्यकतायें :-

(1) समय से स्थानीय जलवायु में उत्पादित किया हुआ बीज कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्रों का खोला जाना ।

(2) ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के पास समय पर खाद व बीज कीटनाशक रसायन उपलब्ध करने हेतु गोदाम का निर्माण ।

(3) उर्वरक/बीज एवं कीटनाशक रसायनों के ~~भण्डार हेतु~~ के ढुलान पर राज सहायता देना ।

(4) विकास क्षेत्र स्तर पर कृषि रक्षा रसायनों एवं मशीनों के भण्डार हेतु गोदामों का निर्माण ।

(5) जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था ।

(6) उर्वरक/ बीज एवं कीटनाशक रसायनों के शीघ्र ढुलान हेतु एक सरकारी ट्रक की व्यवस्था ।

(7) जनपद मुख्यालय पर उर्वरकों के भण्डार हेतु पृथक भण्डार गृह का निर्माण ।

(8) क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप [illegible] अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ।

(9) जनपद मुख्यालय [illegible] भण्डार हेतु गोदाम एवं कार्यालय [illegible]

(10) 1 हेक्टर से कम जोत वाले किसानों को उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा [illegible] पर 50 % का अनुदान ।

5- विशिष्ट समस्यायें :-

आवागमन की सुविधा अधिक न होने के कारण कृषकों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है ।

(2) बरसात के दिनों में आवागमन व्यवस्था अनिश्चित सी रहती है ।

(3) जनपद के जन जातीय क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक एवं रूढ़ीवादी प्रथाओं का बाहुल्य है ।

(4) भूमि क्षरण की समस्या ।

उपरोक्त में सुधार एवं जागरूकता आवश्यक है ।

6- उद्देश्य :-

(1) कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना ।

(2) उत्पादन बढ़ाकर खाद्यान्न समस्या को दूर करना ।

(3) क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना ।

(4) संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना ।

6- कृषि भाग की नीति :- इस भाग में निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही है जिनको जनपद की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ।

(अ) उर्वरक संग्रहण वितरण योजना :- यह योजना इस जनपद में 1967-68 से क्रियान्वित की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 160 मे0टन उर्वरक वितरण किया गया । इस योजना के अन्तर्गत उर्वरकों का शीघ्र एवं समयानुकूल परिवहन हेतु एक सरकारी ट्रक क्रय करने का प्राविधान भी रखा गया है । इसके अतिरिक्त वर्ष 75-76 में 500 मे0टन का भण्डार गृह डुण्डा विकास क्षेत्र में, तथा 50 मे0टन का भण्डार गृह भटवाड़ी विकास क्षेत्र में प्रस्तावित है ।

(आ) तिलहन सोयाबीन, सूरजमुखी की उत्पादन योजना :- यह योजना इस जनपद में 1970-71 में क्रियान्वित हुई है इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 के लिए शासन से 21 हजार रुपये की स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 75-76 में 1000 भूमि में सोयाबीन की फसल उगाई जायेगी । सोयाबीन के अच्छे उत्पादन की आशा है । इस योजना के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर परीक्षण प्रदर्शन आयोजित किये जावेंगे ।

सूर्यमुखी की खेती 74-75 में 415 हे0क्षेत्र में [illegible] गई वर्ष 75-76 में 300 हे0 में सूर्यमुखी की फसल प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते है ।

(इ) पर्वतीय क्षेत्र में बीज संवर्धन योजना :- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में एक-एक बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र खोलने का प्रस्ताव है । वर्ष 1975-76 में पुरोला विकास क्षेत्र में बीजो प्रक्षेत्र प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत अभी तक भटवाड़ी विकास खण्ड क्षेत्र में सिरौर प्रक्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है । जिसमें लगभग 12 एकड़ भूमि पर बीज उत्पादन कार्य हो रहा है ।

(ई) भूमि परीक्षण प्रयोगशाला :- इस योजना के अन्तर्गत एक सचल मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी जिससे कृषकों की खेती की मिटटी का परीक्षण करके उनके फसलों के लिए तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके । और स्थिति अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग की सिफारिस की जा सके । जिससे उर्वरक का सार्थक प्रयोग हो सके एवं काश्तकार को अनावश्यक रूप से उर्वरक पर खर्चा न करना पड़े ।

(उ) उर्वरक परिवहन पर राज सहायता योजना :- इस योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के ढुलान पर ग्राम सेवक केन्द्र तक राजसहायता दी जायेगी, इस योजना के अन्तर्गत 1975-76 हेतु 20 हजार रुपये की धनराशि प्रस्तावित है ।

(ऊ) <u>कृषि रसायनों के शुद्धीकरण तथा हानिकर कीट के उन्मूलन की योजना</u> :-

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को [illegible] रसायन 50% मूल्य पर उपलब्ध कराये जा रहे है इस योजना के अन्तर्गत [illegible] धनराशि रु0 वर्ष 75-76 हेतु शासन से स्वीकृति का लक्ष्य [illegible] है जिससे निर्धन कृषक कृषि रक्षा रसायन का उपयोग अपनी फसलों पर करके कीटों तथा बिमारियों से फसल को बचा सकें ।

[illegible] आर्थिक [illegible] के

गोबर के अर्ध सड़ी खाद का प्रयोग करने से कुरमुलानाशक कीट का प्रकोप इस जनपद में अत्यधिक है जिससे यह कीट फसलों की जड़ों को काट कर पौधों को सुखा कर बहुत क्षति करता है । अतएव इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को कुरमुला कीट नियंत्रण हेतु प्रयुक्त रसायनों पर 75 % का अनुदान या (राजसहायता) दी जा रही है ।

(ए) पोस्त की खेती के स्थान पर अदरक, हल्दी के उत्पादन की योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र कुलैला एवं भटवाड़ी में पोस्त की खेती के स्थान पर अदरक, हल्दी तथा क्षार की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा । वर्ष 1975-76 हेतु 20 हजार रु0 व्यय करने का लक्ष्य शासन के निर्धारित किया है उपरोक्त फसलों की खेती के प्रसार प्रचार एवं विकास हेतु कृषकों के खेतो पर 65 प्रदर्शन आयोजित किये जायेगें और बुवाई के पूर्व कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में 355 कृषकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । 10हेक्टर क्षेत्र में अदरक, 10 हे0 क्षेत्र में हल्दी, तथा 2-50 हे0 में क्षार में पोस्त के स्थान पर उत्पादित की जायेगी ।

(ऐ) पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल उसके उत्पादन के अध्ययन एवं कृषि उत्पादन की सर्वेक्षण योजना :- इस योजना के अन्तर्गत उद्यानों के अन्तर्गत विभिन्न फलों के पेड़ों की गणना एवं क्षेत्र फल तथा उसमें उत्पादन का अध्ययन किया जाता है वर्ष 1975-76 हेतु शासन से 80 हजार रु0 व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा औसत उत्पादन अग्रगामी फल उत्पादन आदि ज्ञात किये जाते हैं ।

(ओ) पर्वतीय क्षेत्रों में फलों की विपणन प्रणाली एवं उत्पादन लागत की अग्रगामी परियोजना :- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि फलों का उत्पादन परिव्यय तथा ~~उसके~~ उससे हुई आय का अनुमान लगा सके । इसके साथ ही साथ इस बात ~~का~~ का भी पता लग जाये कि जनपद में फलों की विपणन प्रणालीयाँ क्या हैं ? तथा उन विपणन प्रणालियों में किस प्रकार सुधार किया जाय । ताकि कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित फलों के समुचित लाभ प्राप्त हो सके ।

इस परियोजना के अन्तर्गत गत वर्ष 31500-00 रु0 का परिव्यय स्वीकृत हुआ था जिसके विरुद्ध 23200-00 रु0 का व्यय किया गया ।

(औ) कृषि सांख्यकी के साधन की योजना :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद में सांख्यकी स्थिति को सुदृढ़ करना है ताकि जनपद के समस्त प्रकार के कृषि सम्बन्धी सही आँकड़े उपलब्ध हो सकें गत वर्ष मितव्ययता को देखते हुए शासन ने यह योजना चालू नहीं की थी ।

(अं) पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन योजना :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद में कृषकों को मौन वंशों के उपलब्ध करने हेतु एक मौनपालन केन्द्र की स्थापना डुण्डा में खोलने का प्राविधान है, ताकि कृषक मौनपालन सम्बन्धी आवश्यक सामग्री मौन वंश आदि प्राप्त कर शहद का उत्पादन कर सकें । जिससे कि कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सके ।

(अः) तम्बाकू की योजना :- इस जनपद में बीड़ी, सिगरेट तथा हुक्के का तम्बाकू बाहर से मंगाना पड़ता है जिससे कृषकों के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जनपद की जलवायु खास तौर पर घाटी वाला क्षेत्र तम्बाकू के लिये उपयुक्त है। मार्च माह में जब खेत खाली रहती हैं उस समय तम्बाकू की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 78-79 में 500 हेक्टर भूमि पर खेती की जायेगी तथा 15 कुन्तल बीज वितरण किया जायेगा।

(क) मिटटी परीक्षण कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों की खेती की मिटटी का परीक्षण किया जायेगा, ताकि कृषकों को यह पता चल सके कि उनके खेतों की मिटटी में अमुक तत्वों की कमी है, जिसकी पूर्ति कृत्रिम तत्वों के द्वारा पुरा की जा सके। खेतों की क्षमता एवं क्षारिता को उदासीन बनाये रखने में सहायता मिलेगी। इसके लिए उत्तर काशी में एक मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण करने का प्राविधान है।

(7) <u>प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम की रूप रेखा :-</u>

(1) अधिक उपज देने वाली जातियों का कार्यक्रम।
(2) उर्वरक वितरण एवं संग्रहण योजना।
(3) वाणिज्य फसलों के परिपालन में वृध्दि।
(4) कृषि रक्षा के परियोजना को बढ़ावा देना।
(5) के दालों तथा कम समय में पकने वाले फसलों के उत्पादन की योजना।
(6) मिटटी परीक्षण का कार्यक्रम।
(7) छोटे कृषकों के उत्थान हेतु योजना।

(8) <u>संसाधनों का जुटाने का स्त्रोत :-</u>

इस जनपद में उपरोक्त को प्राथमिकता के आधार पर चलाने हेतु धन का व्यय विभाग द्वारा ही किया जाना है। किसी संस्था एवं सहकारिता से धन का आवंटन नहीं होना है।

(9) <u>भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-</u>

(अ) अधिक उपज देने वाली जाति की योजना के अन्तर्गत लगभग 6 व्यक्तियों को पूर्णकालिक रोजगार तथा 2 से 10 तक अंशकालिक रोजगार मिलेगा।

(ब) उर्वरक वितरण एवं संग्रहण योजना के अन्तर्गत 9 व्यक्तियों को पूर्ण कालिक रोजगार तथा 4 व्यक्तियों का अर्द्धकालिक रोजगार मिलेगा।

(स) वाणिज्य फसलों के अन्तर्गत 43 व्यक्तियों का पूर्णकालिक रोजगार तथा 22 व्यक्तियों का व्यवसायिक रोजगार मिलेगा ।

(द) छोटे कृषकों के उद्यान हेतु योजनान्तर्गत 31 व्यक्तियों को पूर्णकालिक रोजगार तथा 1 से 4 व्यक्तियों का अल्पकालिक रोजगार प्राप्त होगा ।

(य) मिट्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 व्यक्तियों का पूर्ण वार्षिक रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

(10) शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

(1) उत्तरकाशी जनपद में किसी स्थान पर सोयाबीन के उपयोग हेतु तथा उसके विभिन्न पदार्थ बनाने हेतु एक कारखाने का निर्माण किया जाय ।

(2) आलू की पैदावार को सुरक्षित रखने हेतु शीतगृह [illegible] निर्माण किया जाय ।

रूप पत्र :- 1 - कृषि

23

पाँचवी योजना का परिव्यय (हजार रुपयों में)

क्र० सं०	[illegible]	1974-1979 राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का लक्ष्य परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग
(1)	(2)	(3)	4 ( )	5 ( )	(6)	(17)	8 (23)	9 (24)	(30)
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र की [illegible]	1000	1000	20-950	20-950	20-227	20-227	100-000	100-000
2-	पर्वतीय जिलों [illegible] एवं अगम्य पहाड़ी [illegible] संरक्षण भूमि परीक्षण [illegible] शाखा की स्थापना	150	150	-	-	-	-	-	-
3-	उर्वरक एवं कीट नाशक दवाओं के लिए भण्डार गृहों का निर्माण	300	300	-	-	-	-	-	-
4-	उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता	100	100	20-000	20-000	5-000	5-000	20-000	20-000
5-	पर्वतीय जिलों में कृषि सामग्री के भण्डार हेतु गोदामों का निर्माण	500	500	-	-	-	-	-	-
6-	कृषि रक्षा कार्यक्रम के सुदृढ़ी करण तथा कुरमुला कीट एवं उन्मूलन की योजना	700	700	100-000	100-000	60-000	60-000	60-000	60-000
7-	तिलहन सोयाबीन और सूर्य मुखी उत्पादन की योजना	21	21	0-770	0-770	0-759	0-759	21-000	21-000
8-	पोस्त की खेती के स्थान पर वैकल्पिक योजना	234	234	26-000	26-000	-	-	20-000	20-000
9-	पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल व इसके उत्पादन का अध्ययन एवं [illegible]	300	300	80-000	80-000	38-500	38-500	80-000	80-000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-	पर्वतीय क्षेत्रों में मिलों का [illegible] प्रणाली एवं उत्पादन लागत का [illegible] योजना	1500	150	20-00	20-00	23-200	23-200	-	-
11-	पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन योजना।	50-	50	-	-	-	-	-	-
12-	पर्वतीय क्षेत्रों में [illegible] सुधार की योजना	30	30	-	-	-	-	-	-
	योग :-	3535	3535	267-720	267-720	147-636	147-686	301-00	301-00

प्रपत्र :- 2

जिला उत्तरकाशी पाँचवी योजना का कार्यक्रम – कृषि – भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्रम सं०	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियाँ	31/3/74 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1-	2	3	4	5	6	7	8
1-	कृषि :-						
	(1) भौगोलिक [illegible] क्षेत्रफल	हजार हे०	781-600	781-600	781-600	781-600	781-600
	(2) शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	,,	35-000	35-068	36-000	35-1[illegible]	35-250
	(3) एक बार में अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	17-736	18-926	20-000	19-000	19-[illegible]
	(4) कुल बोया गया क्षेत्र	,,	52-[illegible]36	53-[illegible]94	56-[illegible]	54-[illegible]68	[illegible]
	(5) वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	[illegible]75	[illegible]75	[illegible]47	[illegible] 75	695-[illegible]
	(6) कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	1-[illegible]94	[illegible]	1-12[illegible]0	1-[illegible]35	[illegible]
	(7) ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	,,	6-[illegible]45	6-9[illegible]5	6-94[illegible]	6-[illegible]45	[illegible]
	(8) कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	,,	3-360	3-671	3-700	3-700	3-7[illegible]0
	(9) अन्य उद्योगों में वृक्षों की फसलों का क्षेत्र	,,	2-260	3-345	3-800	3-500	3-550
	(10) स्थाई चरागाह और अन्य चारागाह	,,	37-710	37-710	37-710	37-710	37-710
	(11) वर्तमान परती भूमि	,,	1-620	1-743	1-430	1-724	1-547
	(12) अन्य परती भूमि	,,	0-[illegible]	0-403	0-350	0-400	0-390
	(13) खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	33-766	34-466	34-782	34-502	34-580

कृषि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(14)	रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हेक्टर	18-970	19-528	21-218	19-598	19-770
(15)	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	00-030	00-040	00-200	00-075	00-125
(16)	फसल सघनता	,,	52-[illegible]	54-600	54-[illegible]	52-900	53-100
(17)	खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	4-600	5-000	5-700	5-048	5-288
(18)	रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	3-970	4-336	4-887	4-386	4-574
(19)	जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	-	-	-	-	-
(20)	सकल सिंचित क्षेत्र	,,	3-570	9-336	10-537	9-434	9-862
(21)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,	4-328	5-594	9-034	5-692	6-120
(22)	सिंचाई की सघनता	%					
	(1) शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में	,,	13-7	15-9	25-1	16-2	17-3
	(2) कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में	,,	16-2	17-0	18-9	17-4	18-1
(23)	कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत	,,	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
(24)	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	,,	4-5	4-5	4-6	4-5	4-5
(25)	विभिन्न स्रोतों के द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर						
	(1) नहरों	,,	राज्य 3026	3696	5660	3696	3868
	(2) [illegible] नल कूपों	,,	राज्य -	-	-	-	-
	(3) नीजि नल कूपों	,,	-	-	-	-	-
	(4) अन्य		1802	1898	3374	[illegible]	2252

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26-	अधिक उन्नतशील किस्मों के बीजों का वितरण :-	कुन्तल					
	(1) एक्जोटिक किस्में	,,	94	280	655	200	319
	(2) स्थानीय किस्में	,,	33	50	80	10	65
27-	अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हे0		-			-
	(क) एक्जोटिक किस्में :-						
	(1) धान	,,	0-300	1-778	3-500	1-998	2-350
	(2) मक्का	,,	0-068	0-047	0-500	0-125	0-230
	(3) बाजरा	,,	-	-	-	-	-
	(4) गेहूं	,,	1-916	3-530	6-100	3-600	3-871
	(ख) स्थानीय किस्में :-						
	(1) धान	,,	1-400	3-068	6-000	3-634	4-360
	(2) मक्का	,,	0-200	0-273	0-500	0-339	0-400
	(3) बाजरा	,,	-	-	-	-	-
	(4) गेहूं	,,	1-478	2-639	5-000	3-468	3-490
	(5) ज्वार	,,	-	-	-	-	-
28-	(क) महत्वपूर्ण फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र						
	(क) खाद्यान्न						
	(1) धान	,,	15-520	16-547	16-973	16-612	16-686
	(2) ज्वार	,,	-	-	-	-	-
	(3) बाजरा	,,	-	-	-	-	-
	(4) मक्का	,,	0-135	0-320	0-640	0-370	0-425
	(5) गेहूं	,,	15-175	16-102	18-260	16-512	16-940
	(6) जौ	,,	-	[illegible]	0-400	0-050	0-100
	(7) अन्य स्थानीय उपजें खाद्यान्न	,,	-	15-000	12-504	14-520	14-035
योग :-		,,	30-330	47-969	48-777	48-064	48-184

27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(ख) दलहन						
	(1) उर्द	हजार हे0					
	(2) मूंग	,,					
	(3) चना	,,	0-285	1-419	2-300	1-570	1-735
	(4) मटर	,,	-		-	-	
	(5) अरहर	,,	-	-	-	-	-
	(6) अन्य	,,					
	योग :-		0-285	1-419	[illegible]	1-570	1-735
	(ग) वाणिज्यिक फसल						
	(1) मूंगफली	हजार हे0	-	-	-	-	-
	(2) लाही/सरसों	,,	-	-	-	-	-
	(3) सूरजमुखी	,,	-	0-002	0-400	0-021	0-300
	(4) सोयाबीन	,,	[illegible]	0-205	1-400	0-430	1-000
	(5) अन्य तिलहन	,,	0-055	0-469	2-000	0-769	1-070
	(6) गन्ना	,,	-	-	-	-	-
	(7) आलू	,,	2-567	3-035	3-735	3-210	3-360
	योग :-		2-622	3-711	7-535	4-430	5-730

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	(अ) मुख्य फसलों का उत्पादन	हजार मी0टन	-	-	-	-	-
	(क) खाद्यान्न						
	(1) चावल	हजार मी0टन	13-479	14-892	18-670	15-781	17-360
	(2) ज्वार	,,	-	-	-	-	-
	(3) बाजरा	,,	-	-	-	-	-
	(4) मक्का	,,	0-175	0-240	0-513	0-285	0-330
	(5) गेहूं	,,	16-660	17-712	25-564	19-400	21-360
	(6) जौ	,,	-	-	0-320	0-035	0-072
	(7) अन्य	,,	4-846	4-096	4-718	4-210	4-320
	योग :-	,,	35-153	36-940	49-784	39-711	43-442
	(ख) दालें	,,					
	(1) उर्द	,,					
	(2) मूंग	,,	0-252	0-497	0-920	0-580	0-670
	(3) चना	,,					
	(4) मटर	,,					
	(5) अरहर	,,					
	(6) अन्य	,,					
	योग :-		0-252	0-497	0-920	0-580	0-670
	(ग) वाणिज्यिक फसलें						
	(1) मूंगफली	हजार मी0टन					
	(2) लाही/सरसों	,,					
	(3) सूरजमुखी	,,	-	0-007	0-040	0-008	0-025
	(4) सोयाबीन	,,	-	0-103	0-840	0-230	0-360
	(5) अन्य तिलहन	,,	0-060	0-117	0-600	0-119	0-435
	(6) गन्ना	,,	-	-	-	-	-
	(7) आलू	,,	अप्राप्त	15-000	21-611	16-500	17-781
	(8) तम्बाकू	,,	-	-	-	-	-
	(9) अन्य	,,	-	-	-	-	-
	कुल खाद्यान्न उत्पादन	,,	-	36-040	50-726	43-385	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30-	पौधा सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हे0	13-900	13-900	19-000	11-480	18-000
31-	भूमि संरक्षण	,,	1-139	1-139	1-500	2-283	0-300
32-	चकबन्दी	पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं हुई है।					
33-	रसायनिक उर्वरक का वितरण	हजार मि0टन (राज्य)					
	(1) नत्रजन						
	(क) कृषि विभाग	,, ,,	0-034	0-069	0-700	0-078	0-389
	(ख) सहकारीता विभाग	,, ,,	-	-	-	-	-
	(ग) ऐग्रो	,, ,,	-	-	-	-	-
	(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,,	-	-	-	-	-
	(ङ0) प्राइवेट ऐजेन्सीयाँ	,,	-	-	-	-	-
	(2) फास्फेटिक						
	(क) कृषि विभाग	,, ,,	0-029	0-084	0-300	0-663	0-150
	(ख) सहकारित विभाग	,, ,,	-	-	-	-	-
	(ग) ऐग्रो	,, ,,	-	-	-	-	-
	(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,, ,,	-	-	-	-	-
	(ङ0) प्राइवेट ऐजेन्सी	,, ,,	-	-	-	-	-
	(3) पोटास						
	(क) कृषि विभाग	,, ,,	0-008	0-032	0-200	0-022	0-060
	(ख) सहकारीता विभाग	,, ,,	-	-	-	-	-
	(ग) ऐग्रो	,, ,,	-	-	-	-	-
	(घ) गन्ना सहाकारी समितियाँ	,, ,,	-	-	-	-	-
	(ङ0) प्राइवेट ऐजेन्सी	,, ,,	-	-	-	-	-
	(4) कम्पोस्ट खाद्य का उत्पादन	,,	14-730	135-979	309-900	147-935	286-550
	(5) हरी खाद्य अन्तर्गत क्षेत्र	,,	-	-	-	-	-
34-	नियंत्रित बाजार	संख्या (राज्य)	-	-	-	-	-
35-	उपलब्ध संग्रहण क्षमता	हजार मी0टन ,,					

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(क) उर्वरक	हजार मी०टन	(राज्य)					
	(1) कृषि विभाग	,,	(,,)	0-225	0-225	0-400	0-225	0-
	(2) सहकारिता विभाग	,,	(,,)	1-500	1-500	2-500	-	0-
	(3) अन्य	,,	(,,)	-	-	-	-	-
	योग :-	,,	(,,)	1-725	1-725	2-900	0-225	0-
	(ख) खद्यान्न							
	(1) सहकारिता विभाग	,,	(,,)	-	-	-	-	-
	(2) खद्य [illegible]	,,	(,,)	-	-	-	-	-
	(3) अन्य (पूर्ति विभाग)	,,	(,,)	0-650	1-175	1-575	1-575	!-
	(सहकारी संघ)	,,	(,,)	0-300	0-300	0-300	0-300	0-
36-	[illegible] कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण	संख्या	(राज्य)					
	(1) पम्प सेट	,,	(,,)	-	-	-	-	-
	(2) शक्तिचालित टिलर्स	,,	(,,)	-	-	-	-	-
	(3) ट्रैक्टरर्स	,,	(,,)	-	-	-	-	-
	(4) अन्य (विवरण दीजिये)	,,	(,,)	-	-	-	-	-
37-	कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या							
	(1) कृषि उद्योग निगम	,,		-	-	-	-	
	(2) सहकारिता	,,		-	-	-	-	
	(3) कृषि विभाग	,,		-	-	-	-	
	(4) अन्य	,,		-	-	-	-	

उत्तरकाशी जिले में उद्यान एवं फल उपयोग विकास कार्य

उ0प्र0 में वर्ष 1953 में उद्यान एवं फल उपयोग विभाग की स्थापना हुई जिसका निदेशालय रानीखेत में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के सात जिलों में तथा देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में उद्यान विकास, सब्जी उत्पादन, पौध रक्षा कार्य तथा फल संरक्षण कार्य को बढ़ावा देकर यहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाना था।

वर्ष 1960 से पूर्व उत्तरकाशी जनपद टिहरी जनपद का एक भाग था। जिला बनने से पूर्व, इस जिले में दो उद्यान (रैथल एवं जरमोला) दो उद्यान रक्षा सचल केन्द्र (उत्तरकाशी एवं चिन्यालीसौड तथा एक फल संरक्षण केन्द्र उत्तरकाशी में स्थापित था। जिला बनने के बाद चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक 4 उद्यान (उत्तरकाशी, कुमाल्टी, डुण्डा, नौगाँव तथा बरौली) उद्यान रक्षा सचल दल (भटवाडी, डुण्डा, पौन्टी, बड़कोट, नौगाँव, पुरौला एवं ठडियार) एवं एक फल संरक्षण केन्द्र नौगाँव तथा एक फल उप अनुसंधान केन्द्र डुण्डा में स्थापना की गई।

उद्यानों का मुख्य कार्य उन्नतशील किस्म के फलपौध, सब्जी बीज सब्जी पौध का उत्पादन करना है केवल रैथल उद्यान का एक भाग हर्षिल में फलोत्पादन का कार्य करता है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1855 में विल्सन द्वारा की गई थी।

उद्यान रक्षा सचलदलों का मुख्य कार्य काश्तकारों द्वारा उद्यान स्थापना हेतु भूमि का चयन, रेखांकन, गड्ढों का खुदान तथा मिट्टी एवं खाद से भरान, पौधों का रोपण, कटाई, छटाई एवं कीट व्याधि के विपरीत उपचार करना होता है। इसके साथ साथ फलपौध, सब्जी बीज एवं सब्जी पौधों का वितरण करना भी इनका मुख्य कार्य है।

फल अनुसंधान केन्द्र द्वारा ऊँचे स्थानों पर गिरीदार फल पौधों के उत्पादन का कार्य है तथा अन्य नई नई खोजों का कार्य करना भी है।

फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा फलों को नष्ट होने से बचाना तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होता है। इसके साथ साथ इच्छुक व्यक्तियों को फल एवं तरकारी संरक्षण में प्रशिक्षण देना होता है।

इस प्रकार उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 1960-61 से किये गये मुख्य मुख्य कार्यों की वर्ष 1973-74 तक की प्रगति निम्न प्रकार से है :-

मद	लक्ष्य	पूर्ति
1- फल पौध वितरण संख्या में	10,00,000	1143102
2- उद्यान के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टर में	3090	3642
3- सब्जी बीज वितरण किलोग्राम में	19600	20161
4- सब्जी पौध वितरण संख्या	60 लाख	5931427
5- फसल सुरक्षा कार्य हेक्टर में	10379	10345
6- पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार हेक्टर में	3001	8415
7- फल पौध उत्पादन संख्या में	10 लाख	994808
8- सब्जी बीज उत्पादन किलो में	10000	7509
9- सब्जी पौध उत्पादन संख्या में	68 लाख	6736402
10- फल एवं तरकारी संरक्षण किलो में	36100	35994
11- फल एवं तरकारी में प्रशिक्षित व्यक्ति संख्या में	1675	3554
12- उद्यान ऋण वितरण रुपयों में	-	2698760

(1) चालू विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

वर्तमान उद्यानों से जिले की माँग को देखते हुए उत्पादन की पूर्ति कम ही हुई है। अतएव पंचम पंचवर्षीय योजना काल में नये नये उद्यान खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें से एक उद्यान की स्थापना विकास क्षेत्र भटवाड़ी के अन्तर्गत दवारी नामक स्थान पर वर्ष 1974-75 में की गई है। परन्तु जनपद के घाटी क्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड पौधालय अच्छी स्थिति में नहीं स्थापित हुआ है इसके कारण जिले की माँग की पूर्ति अन्य बाहरी जनपदों से करनी पड़ती है। इससे जहाँ एक ओर अधिक धन व्यय करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर पौधे का वांछित विकास प्रतिकूल जलवायु में (स्थानान्तरण) होने के कारण नहीं हो पाता है।

(2) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस जनपद में 9 उद्यान रक्षा सचलदल केन्द्र स्थापित थे। उद्यानों के विस्तार के साथ साथ कार्य भी दिन प्रतिदिन

बढ़ता जा रहा है इसलिए प्रगति को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी उद्यान एवं पौध रक्षा सचलदलों की स्थापना [illegible] की जाय ताकि उनके माध्यम से कृषकों को उद्यान की जानकारी के साथ साथ उनसे होने वाले लाभ की भी जानकारी प्राप्त होगी। जिसके लिए पंचम पंचवर्षीय योजना में अन्य उद्यान रक्षा सचलदलों की स्थापना हेतु प्राविधान रखा गया है जिससे कि वर्ष 1974-75 में एक उद्यान रक्षा सचलदल केन्द्र की स्थापना गैटवाड़ विकास क्षेत्र पुरौला के अन्तर्गत हो चुकी है।

(3) जिले में दो फल संरक्षण केन्द्र नौगाँव तथा उत्तरकाशी में कार्यरत है फलोद्यन के साथ साथ प्रायः देखा गया है कि 60 प्रतिशत फल बिक्री योग्य नहीं होते है जिससे कि उद्यानपतियों को काफी हानि होती है। अतः संरक्षण द्वारा सदुपयोग किया जाय जिससे कि उद्यानपतियों को इसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इन निर्मित पदार्थ बनाने हेतु लघु प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इसके साथ साथ उद्यानों की प्रगति को देखते हुए अनुभव किया जा रहा है कि बड़कोट एवं नौगाँव क्षेत्र में एक पैकिंग यूनिट की स्थापना का प्राविधान पंचम पंचवर्षीय योजना में किया गया है।

(4) फलपट्टी :- इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषकों को वन एवं सीमान्त भूमि उद्यान स्थापना हेतु उपलब्ध कराकर उद्यानों की स्थापना की जाय। इसके लिए राड़ी जैरकफनौल का प्रस्ताव रखा गया थी किन्तु स्वीकृति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-तक इस जिले में सारी विकास खण्डों में औद्यानिक उपनिवेशों की स्थापना की जा चुकी है। पंचम पंचवर्षीय योजना में भी इसका प्राविधान रखा गया है।

(5) फलपौध, सब्जी बीज, सब्जी पौध, कीटनाशक दवाओं तथा उद्यान यंत्रों का क्रय विक्रय तथा उनके परिवहन पर राज सहायता :- चतुर्थ योजनाकाल तक इस जिले में 1143102 फलपौधे 2016। किलोग्राम सब्जी बीज तथा 6931427 सब्जी पौधों का वितरण किया जा चुका है। काश्तकारों को उचित मूल्य पर सब्जी बीज पौध, फलपौध उद्यान सम्बन्धी उपकरण तथा कीट एवं व्याधिनाशक दवाओं को उपलब्ध कराने हेतु परिवहन पर राज सहायता दी जाती है। चूँकि यातायात की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनका विक्रय मूल्य बहुत बढ़ जाता है जिस

हेतु किसान सहायता देने का प्राविधान है । जिले के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पंचम पंचवर्षीय योजना में इसका प्राविधान रखा गया है ।

6. उद्यान प्रशिक्षण पुरस्कार तथा अन्तर्जिला एवं अन्तर राज्य शिक्षात्मक भ्रमण :- उद्यानपतियों को उद्यान सम्बन्धी जानकारी देने हेतु उन्हें लघु प्रशिक्षण देने की योजना चालू है जिसके अन्तर्गत उद्यानपतियों को उद्यान सम्बन्धी जानकारी 3.00 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देकर तीन दिन तक उद्यान प्रशिक्षण दिया जाता है । इसी प्रकार उद्यानपतियों में प्रतिस्पर्धा की भावना लाने हेतु उन्हें उत्तम उद्यान लगाने हेतु पुरस्कार एवं इच्छुक व्यक्तियों को विकसित उद्यान भ्रमण की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है । उक्त योजना उद्यान विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई है अतः पंचम पंचवर्षीय योजना में भी इसका प्राविधान रखा गया है ।

(7) यहाँ के काश्तकार की इतनी आर्थिक दशा ठीक नहीं है कि वे उद्यान स्थापना हेतु एक मुश्त धनराशि लगा सकें । चूँकि उद्यान को स्थापित करने में एक मुश्त भारी रकम की आवश्यकता होती है अतः विभाग द्वारा इस विभाग द्वारा बहु वर्षीय उद्यान ऋण देने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए । पाँचवी योजना में इसके निमित्त प्राविधान रखा गया है ।

(8) उद्यान यंत्र सेटों का बिना लाभ हानि के क्रय विक्रय :-

इस योजनान्तर्गत उद्यानपतियों को बिना लाभ हानि के औद्योगिक यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं । क्योंकि यहाँ का काश्तकार औद्योगिक यंत्रों के बारे में अनभिज्ञ है, अतः इस बारे में यही अधिक उपयोगी है कि उसे यह सुविधा सरकारी सहायता से दी जावे और यंत्रों का वास्तविक मूल्य ही उससे लिया जावे ।

(9) भारत सरकार द्वारा पुरोनिर्धारित अखरोट योजना :-

स्थानीय काश्तकारों में अखरोट योजना के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ××××××× द्वारा इस योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान देकर अखरोट के विकास एवं प्रसार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस जिले में अखरोट का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और इसके निमित्त भूमि भी उपलब्ध है । अखरोट से उत्पादन काफी लम्बे समय बाद मिलता है अतः उद्यानपतियों में यह भावना पैदा करना आवश्यक है, जिससे उनमें उसके लिए रुचि बनी रहे । पाँचवी योजनान्तर्गत इसके अन्तर्गत वित्तीय प्राविधान रखे गये है ।

Institute of Educational Plann... LIBRARY

(10) **कीट एवं व्याधिनाशक औषधियों का क्रय तथा 50 प्रतिशत राज्य सहायता पर विक्री :-** इस योजनान्तर्गत उद्यानपतियों को कीट एवं व्याधिनाशक औषधियों 50 प्रतिशत राज्य सहायता पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उद्यानपति समय पर ही कीटनाशकों पर नियन्त्रण रख सकें। यहाँ का स्थानीय उद्यानपति अभी अपने व्यवसाय के किशोरावस्था में है, और उसकी समयानुकूल सहायता के लिये यह आवश्यक है । योजनान्तर्गत इसे सम्मिलित किया गया है ।

(11) **फल अनुसंधान केन्द्र :-** उद्यानपतियों की समस्या निदान हेतु इस योजनान्तर्गत फल अनुसंधान, कार्य विभागीय उद्यान रैथल, हर्सिल, जरमौला एवं नौगांव में किया जा रहा है । जनपद के डुण्डा नामक स्थान में एक उद्यान अनुसंधान केन्द्र स्थापित है, जिसमें एक उद्यान विशेषज्ञ की देखरेख में उद्यानों सम्बन्धी गहन अनुसंधान कार्य एवं प्रयोग चल रहे हैं ।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

1- **प्रजनन उद्यान एवं पौधालयों की स्थापना :-** चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक इस जिले में 6 उद्यान एवं पौधशालायें स्थापित की गई हैं । पंचम पंचवर्षीय योजना में दो उद्यान और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा वर्ष 1975-76 से 1989-90 तक इस जिले की बढ़ती हुई पौधों एवं सब्जी पौधों, बीजों की मांग को देखते हुए 6 उद्यानों की और स्थापना की जायेगी इसके अन्तर्गत 5200000 रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

2- **उद्यान रक्षा [illegible]**

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 7 उद्यान रक्षा संचल दल केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है । पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में 3 अन्य उद्यान रक्षा संचल दलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, ताकि बढ़ते हुए उद्यानों के फल पर सुरक्षा, एवं अन्य कार्य सुचारू रूप से किया जा सके । वर्ष 1975-76 से 1989-90 तक इस जनपद में 15 उद्यान रक्षा संचल दलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा 6000 हेक्टर में उद्यान, 600 हेक्टर क्षेत्र सब्जी के अन्तर्गत तथा 31750 हेक्टर क्षेत्र में संरक्षण कार्य किया जा सकेगा ।

3- फल संरक्षण केन्द्र :- वर्ष 74-75 तक इस जिले में दो फल संरक्षण केन्द्र उत्तरकाशी तथा नौगांव में स्थापित थे पंचम पंचवर्षीय योजना में एक तथा आगे की योजना में एक और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा 1,6500 किलोग्राम फल एवं तरकारी संरक्षण किया जायेगा। तथा 600 प्रशिक्षितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4- फल पट्टी योजना :- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस जिले में जंगलात विभाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण फल पट्टी की स्थापना नहीं की जा सकी। यदि शासन से जंगलात विभाग की भूमि उद्यान स्थापना हेतु उपलब्ध की जाती है तो वर्ष 1975-76 से 1989-90 तक 1000 हेक्टर में उद्योनों के स्थापना की अपेक्षा की जा सकेगी।

5- फल पौध एवं सब्जी पौधों का बिना लाभ हानि के क्रय विक्रय :-

इस योजना के अन्तर्गत 1143102 फल पौधों 20161-540 किलो ग्राम सब्जी बीजों का बिना लाभ हानि के क्रय और विक्रय किये जा चुका है। वर्ष 75-76 से 1989-90 तक 15,00,000 फल पौधों तथा 6000 मैट्रिक टन सब्जी बीजों का वितरण किया जा सकेगा। जिसमें 6000 हेक्टर में उद्योनों की स्थापना की जावेगी।

6- उद्यानक्रम प्रशिक्षण :- यह योजना जिले की राजकीय उद्यानों में चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत 3 माह का फल उद्यान क्रम प्रशिक्षण दिया जावेगा। पंचम पंचवर्षीय योजना में 100 व्यक्तियों का तीन माह का उद्यान क्रम प्रशिक्षण देने का प्राविधान रखा गया है। तथा वर्ष 1975-76 से 1989-90 तक 300 व्यक्तियों को उद्यान क्रम प्रशिक्षण लेकर लाभान्वित होगें।

7- श्रेष्ठ उद्योनों पतियों को पुरस्कार :- इस योजना के अन्तर्गत जिला विकास क्षेत्र स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है वर्ष 1975-76 से वर्ष 1989-90 तक 150 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जावेगा।

8- अन्तर जिला, अन्तर राज्य उद्यानपतियों का भ्रमण :-

इस योजना के अन्तर्गत उद्योनपतियों को प्रान्त एवं प्रान्त के बाहर विकसित उद्यान क्षेत्रों का भ्रमण किया जाता है वर्ष 1975-76 से वर्ष 1989-90 तक 16 व्यक्ति प्रति वर्ष के आधार पर भ्रमण

कराया जायेगा जिससे 240 व्यक्ति लाभान्वित होंगे ।

9- बहु वर्षीय उद्यान ऋण :- इस योजना से 26,50,400 का उद्यान ऋण वितरण किया जा चुका है । पंचम पंच वर्षीय योजना मे 4,00,000 तथा वर्ष 1974-75 से 1989-90 तक 45,00,000 रु0 का उद्यान ऋण वितरण किया जाना का प्रस्ताव है । जिससे कि 1500 हे0 क्षेत्र में उद्यान स्थापित किये जा सकेंगे ।

10:- उद्यान यन्त्रो के सेटों का वितरण :- इस योजना के अन्तर्गत उद्यान पतियों को उद्यान सम्बन्धी आधुनिक औजारों को क्रय कर वितरण करने की व्यवस्था है (वर्ष 1974-75 से 1989-90 तक 1500 आधुनिक यन्त्रों के सेट तथा 750 दवा छिड़कने की मशीनों के वितरण करने की व्यवस्था की जायेगी ।

11- कीट एवं व्याधि नाशक औषधियों का क्रय तथा 50 प्रतिशत राजसहायता पर विक्रय :-

इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राज सहायता देकर उद्यानपतियों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं । वर्ष 1975-76 से वर्ष 1989-90 तक 120 मे0टन दवाइयों को क्रय कर 50 प्रतिशत राजसहायता देकर वितरण करने का अनुमान है ।

12- मौन पालन योजना :- इस योजना के केवल शहद उत्पादन ही नहीं बल्कि परागकण क्रिया में एक विशेष महत्व स्थान रखता है । इसको भी बढ़ते हुए उद्यानों की संख्या के साथ साथ इसका प्रसार होना भी अति आवश्यक है । इसके अन्तर्गत वर्ष 1973-74 से 1989-90 तक 150 मौन वंशों की स्थापना तथा 1500 किलो ग्राम शहद उत्पादन का अनुमान है

5- विकास की नीति :-

उद्यान विकास में जिले की प्रगति का तरीका :-

दीर्घकालीन उद्यान ऋण :- शासन द्वारा अभी तक 1000 रु0 प्रति एकड़ के हिसाब से दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, जो कि वर्तमान महँगाई को देखते हुए पर्याप्त नहीं है । अतः रु0 1000/- के स्थान पर रु0 2500/- प्रति एकड़ की दर से उद्यान ऋण दिया जाय ।

औद्यानिक संग्रहण :- इस जिले में कोई भी संग्रहण केन्द्र नहीं है ।

जिससे उद्यानपति अपने फलों को सुरक्षित रख सकें । तथा उत्पादन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके ।

सिचाई :- उद्यानपतियों को बड़ी सिचाई योजना हेतु ऋण की व्यवस्था प्रदान की जाय । वैसे तो उद्यान ऋण से भी उद्यान पति सिचाई की थोड़ी बहुत सिचाई की व्यवस्था करते हैं, जो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं होती है ।

यातायात :- यातायात की असुविधा होने के कारण उद्यानपतियों को अपने उद्यानों से मोटर रोड तक फलों को लाने में काफी व्यय करना पड़ता है । तथा उद्यान पति के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाता है । इसके लिए स्थापित आधुनिक उपनिवेश के क्षेत्रों में मोटर सड़कों का होना आवश्यक है ।

प्राथमिकता के आधार पर विकास :- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में जितनी उद्यान विकास हेतु योजनायें कार्यान्वित थी, उन सभी योजनाओं चलाया जाना आवश्यक है ।

7- योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उद्यान विकास हेतु उद्यान स्थापित करने योग्य भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है । ताकि जिले के उद्यानों को स्थापित करने में मदद मिले, साथ ही फल पौधे एवं सब्जी के बीजों की भी मांग पूर्ति की जा सकेगी । इस हेतु धन की स्वीकृति समय पर शासन से उपलब्ध होनी आवश्यक है ।

8- भौति-भौति साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- योजनाओं को सम्पादित करने के लिए दीक्षित तथा अदीक्षित मजदूरों की आवश्यकता होगी । दीक्षित मजदूरों को विभाग द्वारा एक साल तथा [illegible] तीन माह का उद्यान प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद [illegible] विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार दीक्षित मजदूरों का चयन [illegible] जाता है ।

9- [illegible] के विचार हेतु प्रश्न :- शासन द्वारा उद्यान विकास हेतु कृषकों को उद्यान स्थापित करने निमित्त वन विभाग से उपर्युक्त भूमि सघन उद्यानों की स्थापना हेतु देना आवश्यकीय है । इसके साथ ही मोटर मार्गों का निर्माण करना भी जरूरी है । यह भूमि जिले के इच्छुक कृषकों को दी जाय । तभी विभाग द्वारा एक फल पट्टी का

रख दिया जा सके ।

10- पंचम पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना हेतु रूप पत्र एक घ-दो में दर्शाये गये हैं ।

भौगोलिक स्थिति एवं अनुकूल जलवायु के कारण इस जनपद के ऊंचे स्थानों में सेब, नासपाती, चेरी, (प्लम) आड़ू, खुमानी, अखरोट, विलायती पाँगर तथा निचली घाटियों में माल्टा नारंगी, संतरे अंगूर, मीठे नीबू, कागजी नीबू गलगल, आदि सफलता पूर्वक उत्पादित किए जाते है । जनपद में उद्यान एवं फल उपयोग विकास कार्य को चार भागों में विभाजित किया जाता है ।

1- राजकीय उद्यान एवं प्रजनन उद्यानों की स्थापना ।

2- उद्यान एवं पौध रक्षा केन्द्रों को सचलदलों की स्थापना ।

3- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र ।

4- सामुदायिक तैयार फल डिब्बा बन्दी एवं प्रशिक्षण कार्य ।

पैकिंग :-

पैकिंग की सेवाओं हेतु शासन द्वारा जिले के आरा मशीनों मालिकों को रियायती दर पर पेड़ उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाय ।

10- पंचम पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना हेतु रूप पत्र 1 घ 2 में दर्शायें गये हैं ।

आलू विकास कार्यक्रम :-

जनपद में आलू विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से एक अलग इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस जनपद की 3035 हेक्टर भूमि आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल के रूप में रही। पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक 3785 हेक्टर अतिरिक्त भूमि आलू विकास के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 150 हेक्टर अतिरिक्त भूमि वर्ष 1975-76 में आलू विकास योजनान्तर्गत लाई जायेगी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना व वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजनान्तर्गत निम्न प्रकार भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित है :-

क्र०सं०	कार्यक्रम/मद	इकाई	पाँचवी योजना काल का लक्ष्य	74-75 की उपलब्धि	75-76 का लक्ष्य
1-	अतिरिक्त क्षेत्रफल में वृद्धि	हेक्टर	3785	3210	3360
2-	सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हेक्टर	3275	3085	3134
3-	सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हेक्टर	1200	250	490
4-	आलू उत्पादन (अतिरिक्त)	टन	21611	16,500	17,781

पाँचवी योजना के प्रथम वर्ष तक तत्सम्बन्धी सम्पादन व्यय आलू विकास अधिकारी जोशीमठ (चमोली) द्वारा किया जाता रहा है। अतः तब तक के वास्तविक व्यय का ज्ञान नहीं है।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

वर्तमान समय में आलू विकास कार्यक्रम पर काफी बल दिया जा रहा है, जिससे पहले से अधिक क्षेत्रफलों में आलू की खेती की जा रही है। जनपद के चिन्यालीसौड़ नामक स्थान में राजकीय आलू बीज प्रक्षेप खोला जा चुका है। इस प्रक्षेप में मैदानी क्षेत्रों में बोने हेतु, बीज तैयार किया जाता है। ऊँचाई वाले स्थलों में रबी की फसल के आलू के बीज को राजकीय आलू प्रक्षेप जोशीमठ एवं धनौल्टी से प्राप्त किया जाता है। और समयानुकूल परिस्थितियों में कृषकों में वितरित किया जाता है।

3- आलू विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

इस जिले में विकास खण्ड भटवाड़ी एवं मोरी के क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में रबी की फसल में आलू की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में बोने योग्य बीज जोशीमठ से ही मंगाना पड़ता है, जो प्रायः परिवहन की समस्या आदि के कारण उपयुक्त समय में अच्छी दशा में मिल पाना कठिन हो जाता है। अतः यह उपयोगी होगा, यदि एक ऊँचाई वाला आलू प्रक्षेप भटवाड़ी अथवा मोरी में स्थापित किया जावे।

4- दीर्घकालीन योजना :-

दीर्घकालीन योजनान्तर्गत आलू विकास के सघनीकरण एवं ततसम्बन्धी तकनीकी शिक्षा के प्रसार का विकास किया जायेगा; क्योंकि अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके और इस जनपद की जनता के सामान्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके ;

5- योजना को क्रियान्वित करने के जो नीति के अन्तर्गत सिंचाई साधन की सुविधा, बीज प्रक्षेत्रों की स्थापना, कुशल कर्मचारियों की प्रसार प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति एवं कूल गृह आदि की स्थापना आवश्यक है ।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

(1) आलू विकास योजना के सुचारू रूप से चलाने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति

(2) कूलगृह निर्माण ।

7- संसाधनों का जुटाना एवं उनका प्रयोग :-

यातायात की सुविधा, बाजार की उपलब्धता, सिंचाई की व्यवस्था, आलू फसल की सुरक्षा एवं रासायनिक रसायनों की उपलब्धता आलू विकास कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं । इनमें से अधिकांश की व्यवस्था स्थानीय संसाधनों एवं सरकार पर भी निर्भर है । वर्ष 1975-76 में जनपद में आलू विकास को ध्यान में रखते हुए एक आलू विकास अधिकारी की नियुक्ति हो गई है ।

8- विकास योजनाओं के लिए तकनीकी जानकारी :-

आलू विकास अधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों से प्राप्त होगी । यह स्वयं जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में आलू विकास की सम्भावनाओं एवं इस सम्बन्ध में की कठिनाईयों का निराकरण भी करेंगे ।

शासन के विचाराधीन प्रश्न :-

1- ऊँचाई वाले स्थानों में आलू के बीज की उपलब्धता हेतु एक ऊँचाई वाली बीज प्रक्षेत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है ।

2- इस जनपद में दो सहायक आलू विकास निरीक्षक कार्यरत हैं पर, प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम दो सहायक आलू विकास निरीक्षक तथा चार कामदार की नियुक्ति की जाय; क्योंकि प्रत्येक विकास खण्ड का विस्तार 100 कि0मी0 में फैला हुआ है ।

3- उन्नतिशील बीज पर विकास क्षेत्र से ग्राम सेवक मुख्यालय तथा ढुलान अनुदान दिया जाय क्योंकि ब्लाक से कृषक तक आलू बीज पहुँचते पहुँचते काफी महँगा पड़ जाता है जो कृषकों की क्रय क्षमता से बहुत ही अधिक होजाता है ।

रूप पत्र 1 / उद्यान

जिला उत्तरकाशी (हजार रूपयों में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय			1974-75 परिव्यय			1974-75 व्यय			1975-76 का परिव्यय		
		राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
3	कृषि बागवानी एवं फलोप योग	13009-4	321-0	1333-4	431-4	53-0	484-4	414-1	49-5	463-6	873-0	74-7	947-7
				रूप पत्र आलू	:-	1	-						

क्र0सं0	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	जन पोषित	योग	राज्य आयोजनागत	जन पोषित	योग	राज्य आयोजनागत	जन पोषित	योग	राज्य आयोजनागत	जन पोषित	योग
	पर्वतीय जिलों में आलू विकास कार्यक्रम के सघनीकरण एवं प्रगति तीव्रतर करने की योजना	1000-0	395-0	1395-0	-	-	-	-	-	-	44-1	20-0	64-1
	योग :-	1000-0	395-0	1395-0	-	-	-	-	-	-	44-1	20-0	64-1

बागवानी क्षेत्र :-

पाँचवी योजना कार्यक्रम भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

जिला उत्तरकाशी

रूप पत्र 2

क्रम संख्या	मद / कार्यक्रम	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियाँ	31/3/74 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	बागवानी एवं पौधों अन्तर्गत क्षेत्रफल						
1-	फल वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हजार हे0	1·994	3-779	5-642	4-205	4-553
2-	साग सब्जी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	0-155	0·504	0-704	0-569	0-604
3-	कीटाणु रोकथाम का क्षेत्रफल	,,	1-830	9-384	10-550	×1-993	2-000
4-	फलोत्पादन (सेब, आड़ू, खुबानी, पुलम, नाशपाती, अखरोट आदि)	हजार मी0टन	5-000	6-000	8-000	5-000	5-000

× वार्षिक स्तर

रूप पत्र :- 2 :- आलू

1	2	3	4	5	6	7	8
1-	अतिरिक्त क्षेत्र फल में वृद्धि	हैक्टर	2267	3035	3735	3210	3360
2-	सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	-	-	3275	3035	3134
3-	सामान्य कार्यक्रम के ,,	,,	-	-	1200	250	490
4-	आलू उत्पादन अतिरिक्त	मि0टन	अप्राप्त	15000	21611	16500	17781

भूमिका :-

उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्र सिन्धुतल से 2500 फिट ऊंचाई से लेकर 25000 फिट ऊंचाई की विषम घाटियो एवं पर्वतीय तलहटीय में अवस्थित है। प्रायः अधिकांश खेती घाटियों में ही होती है। प्रकृति की यह विडम्बना ही है कि इतना अधिक पानी होते हुए भी गंगा एवं यमुना नदियों का पानी इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रयोग में नही लाया जा सकता है, क्योंकि ये नदियाँ इस क्षेत्र में गहरी घाटियों में होकर बहती हैं। घाटियों में प्रायः 5500 फिट की ऊंचाई तक ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 6000 फिट से ऊंचे स्थल प्रायः नमी से युक्त रहते है। 10000 फिट से ऊँचे भूभाग सदैव बर्फ से ढके रहते है। वहाँ न तो आबादी ही है और न सिंचाई हेतु भूमि ही। जनपद में सिंचाई के साधनों की कमी हैं, और इसी वजह उपज भी अपेक्षाकृत कम है। सिंचाई के साधनों का अधिकतर विकास कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देगा। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप लघु सिंचाई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है।

2 - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

जो कार्य अब तक पूर्ण हुए हैं, उनका पूर्ण उपयोग सही मूल्यांकन नही हो पाया है। यह स्थिति भी स्पष्ट नही है कि कितने कार्य ठीक हैं, और कितने कार्य पूर्ण क्षमतायुक्त नही है तथा कितने क्षतिग्रस्त हैं। चतुर्थ योजनाकाल तक जो कार्य निर्मित किये गये, वे सीमान्त योजनान्तर्गत बनाये गये थे।

जनपद में जो गूलें (पहाड़ी नालियाँ) हैं, उनका रख रखाव प्रायः अच्छा नही है। पहाड़ी एवं दुर्गम स्थलों से गुजरती ये गूलें प्रायः भूस्खलन के कारण टूट फूट जाती है, और प्रायः पानी अधिक रिसता (परकोलेशन) हुआ बढ़ता है।

3- चालू विकास योजनाओं का समालोचनात्मक विवरण :-

जो कार्य अब तक पूर्ण है, उनमें सिंचाई साधनों की कमी के कारण पूर्ण उपयोग नही हो सका है हलांकि कृषक पहले से अधिक जागृत हो गये हैं तथा उर्वरक एवं सिंचाई साधनों से खाद उत्पादन में बृध्दि हुई है विकास अन्वेषणालय

एवं प्रयोग प्रभाग की एक योजनानुसार इस जनपद के भटवाड़ी स्थान पर एक हाईड्रम योजना कार्यान्वित है, जिससे सिचाई का विकास थोड़ी मात्रा में हुआ है । पर्वतीय क्षेत्रो के लिए संकीकृत सिचाई प्रसार, संरक्षण एवं कृषि विकास की अग्रगामी योजना (नौगांव) के अनुसार विकास की कुछ सम्भावना है ।

4- दीर्घ कालीन परिपेक्ष्य :- अधिक उपज लेने की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों में सिचाई के साधनों का व्यापक प्रसार किया जायेगा । भविष्य में लिफ्ट सिचाई साधनों का प्रसार भी किया जायेगा ।

5- विकास की नीति :- जो योजनायें अब तक बनी है, वह शासन द्वारा ही बनाई गई थी । परन्तु अब कृषक को अधिक आर्थिक लाभ देने हेतु उसे ऋण कम ब्याज पर देकर, सिंचाई कार्य निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है ।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :- क्योंकि यह जिला काफी पिछड़ा हुआ है और उसको सामान्य स्तर पर लाने के हेतु यह आवश्यक है कि अंकलित साधन उपलब्ध कराये जांय तथा उसी के अनुपात में इस जनपद के निवासियों का कार्य भी दिया जाय तथा उनकी जानकारी के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से तकनीकी आधार पर निर्माण कार्य कराये जाय । जो भी साधन जुटाने के लिये एवं कार्य निर्माण हेतु देना है, जो पेशा के पिछड़े, जाति के पिछड़े व्यक्ति हैं ताकि वे सामान्य स्तर पर आकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

7- संसाधनों का जुटाना एवं स्त्रोत :- जो कार्य सामूहिक स्तर पर बनवायें जांय उनके रख रखाव के लिए व्यवस्था का प्राविधान पूर्ण एवं समुचित प्राविधान रखा जावें ।

8- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- भौतिक साधनों के रूप में पत्थर, बजरी स्थानीय रूप से तथा सीमेन्ट बाहरी क्षेत्र से प्राप्त होगा । कुशल एवं अकुशल श्रमिक स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जायेंगें ।

9- शासन के विचार हेतु प्रश्न :- छोटे काश्तकारों के पास कम भूमि होने के कारण वे ऋण का उपभोग नहीं कर पाते, जिसके लिए ऋण नियमावली में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

2- साधनों का समय से जुटाया जाना आवश्यक है ।

3- अधिकृत बैंकों से छोटे - छोटे कृषकों का ऋण व्यवस्था सुलभ कराई जाय तथा बैंकों के नियमों में संशोधन किया जाय जो, प्राय: सुलभता के स्थान पर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ।

पांचवी योजना एवं वर्ष 1975-76 के प्रस्तावित लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय प्रपत्र । व 2 में दर्शाये गए हैं । वर्ष 1975-76 में निजी लघु सिचाई के अन्तर्गत राज्य आयोजनागत मद के अन्तर्गत 1'55 लाख रूपये का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त निजी सिचाई साधनों के तीव्र विकास एवं प्रसार हेतु वर्ष 1975-76 में 3'50 लाख रूपये ऋण के रूप में वितरित किए जायेंगें ।

जिला :- उत्तरकाशी
पाँचवी योजना परिव्यय

रूप पत्र :- 1 -

1974-75 (हजार रुपयों में) 1975-76 का परिव्यय

क्र० सं०	कार्यक्रम	1974-1979 राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग	व्यय राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	निजी लघु सिंचाई	1460-0	-	1460-0	500-0	-	500-0	475-0	-	475-0	155-0	-	155-0

जिला उत्तरकाशी का सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी है। इस का भौगोलिक क्षेत्रफल 781600 हैक्टर है, जिसमें से 35068 हैक्टर भूमि में कृषि की जाती है। स्वतन्त्रता से पूर्व इस जिले में राजकीय सिंचाई साधन नहीं थे। गत पंचवर्षीय योजनाओं में इस जिले में जो भी सिंचाई कार्य सम्पन्न हुये उनका ब्योरा निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	पंचवर्षीय योजना	लम्बाई कि0मी0 में	कृषि योग्य सिंचित क्षेत्रफल हैक्टर (शुध्द)
1-	प्रथम पंचवर्षीय योजना	23-00	
2-	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	30-00	932
3-	तृतीय पंचवर्षीय योजना	34-40	
4-	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	19-50	
	योग :-	106-90	932

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सिंचाई के राजकीय साधनों से कृषि योग्य भूमि में निरन्तर वृध्दि हुई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 932 हैक्टर शुध्द भूमि में इस राजकीय साधनों से सिंचाई हो रही थी। इन साधनों से सभी कृषक लाभान्वित हो रहे हैं, और सिंचाई सुविधाओं के प्राप्त होने पर वे उन्नत बीज एवं खादों का प्रयोग करना भी प्रारम्भ कर रहे हैं।

सिंचाई के अलावा सिंचाई विभाग व्दारा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्य भी सम्पन्न कराया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	योजना	योजनाओं की संख्या	लागत लाख रुपये
1-	प्रथम पंचवर्षीय योजना	-	-
2-	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	2	0-66
3-	तृतीय पंचवर्षीय योजना	2	2-35
4-	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	6	4-96

उपरोक्त बाढ़ नियंत्रण योजनाओं से उन्हीं स्थानों पर [illegible] चलायी गयी है जहाँ कि भागीरथी में अन्य छोटे-छोटे गधेरों से खतरनाक कटाव की स्थिति पैदा हुई है, और विभिन्न कस्बों एवं ग्रामों को खतरा हो गया था । इन कार्यों के सम्पन्न होने से यह कटाव बन्द हो गये, और सम्भावित खतरे भी कम हो गये ।

[illegible]

3- चालू विकास योजना का समालोचनात्मक विवरण :-

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में प्रारम्भ की गयी सभी [illegible] योजनायें सम्पन्न हो चुकी हैं । इस योजना में जिले में कुल 19[illegible] किलोमीटर लम्बी नहरें निर्मित की गईं । इन योजनाओं की सफलता से जनमानस में [illegible] के लिये ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों, आदि से भारी संख्या में प्रस्ताव आते रहते हैं । पंचम योजना में प्रस्तावित [illegible] सम्मिलित [illegible] हो चुका है ।

चतुर्थ योजना में जिले में 6 बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं का [illegible] किया गया । इसके आधार पर पंचम योजना में भी बाढ़ नियन्त्रण निर्माण योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है ।

4- दीर्घकालीन [illegible] परिपेक्ष्य :-

पंचम योजना बनाते समय दीर्घकालीन योजनाओं को आधार माना गया है । इन योजनाओं के संकलन के समय जिले की विभिन्न आवश्यकताओं क्षमता व सम्भावनाओं का [illegible] गया है । पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में 100 किलो मीटर लम्बी नई पर्वतीय नहरों के निर्माण का प्रस्ताव है । वर्ष 1975-76 में 6-6 किलो मीटर [illegible] निर्मित हो जायेगी । इसका विवरण निम्न प्रकार है ।

कार्य

1- कोटी - कुंय नहर)
2- पाला नहर)
3- गमन नहर) इन्हें पक्का किया जाना है ।
4- रा[illegible]सारी)

इसके अतिरिक्त वर्ष 1975-76 में निम्न [illegible] नहरों के निर्माणार्थ अनुदान [illegible] कार्य किया जायेगा ।

1- सेरा
2- देवढुंग
3- पुरोला
4- रैथल (एक्सटेनशन)
5- गुरसाली (एक्सटेनशन)

विवरण नीचे अंकित है। [redacted] वर्तमान पर्वतीय नहरों का

जिला योजना, उत्तरकाशी।

वर्तमान पर्वतीय नहरों का विवरण :-

क्र० सं०	नहर का नाम	लम्बाई कि०मी०	कमाण्ड क्षेत्र हैक्टर में	प्रस्तावित क्षेत्र खरीफ	रबी	(हैक्टेयर में) योग
1	2	3	4	5	6	7
1-	चिन्यालीसौड़ माइनर	9-2	243	73	36	109
2-	मथली बरेथी माइनर	3-9	171	30	15	45
3-	नैताला माइनर	4-0	80	24	12	36
4-	उत्तरकाशी माइनर	6-8	65	19	10	29
5-	रैथल माइनर	2-0	84	25	13	30
6-	रस्ती सिगतर माइनर	4-5	6	17	8	25
7-	मनेरा माइनर	0-8	14	4	2	6
8-	मिल सौर माइनर	0-8	12	3	2	5
9-	मस्ती बाँध माइनर	9-0	202	61	30	91
10-	बरकोट माइनर	3-4	40	12	15	108
11-	कान्याकू माइनर	4-4	81	24	12	36
12-	नन्द गाँव माइनर	3-4	54	16	8	24
13-	मुरसाली माइनर	2-2	100	61	31	92
14-	नागन गाँव माइनर	9-0	202	61	30	91
15-	सैन्ज माइनर	1-8	32	10	5	15
16-	रिखरी माइनर	1-8	40	28	12	14
17-	रनेई लारी माइनर	1-6	81	24	12	36
18-	कोट गाँ माइनर	4-1	62	19	9	28
19-	कुठारा माइनर	4-0	61	18	9	27
20	बरेथ माइनर	3-8	49	14	7	21

1	2	3	4	5	6	7
21-	भार गेट माइनर	4-0	51	19	9	2[illegible]
22-	सिन्दरी माइनर	1-8	36	11	6	17
23-	पुन्नी माइनर	6-45	73	29	18	47
24-	कैलाथ माइनर	3-80	52	21	13	34
25-	लदरी क्वीन माइनर	[illegible] 1-8	49	19	12	31
26-	थान गाँव माइनर	1-6	24	6	10	16
27-	तिलाड़ी	1-50	10	8	3	11
28-	कुणा	1-60	30	18	6	24
29-	कडारी	2-50	66	20	9	29

जिला योजना उत्तरकाशी :-

पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पर्वतीय नहरों का विवरण :-

क्रम सं0	नहर का नाम	विकास खण्ड	नहर की लम्बाई कि0मी0 में	कमाण्ड क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	जमेक माइनर	भटवारी	2-80	30	15	9	24
2-	सौड़ा माइनर	भटवारी	1-00	16	8	5	15
3-	पाला माइनर	भटवारी	4-00	155	27	26	73
4-	भेटि सीमा माइनर	भटवारी	2-50	72	24	14	38
5-	गुसौली माइनर विस्तार	भटवारी	2-50	32	14	8	22
6-	रैथल माइनर विस्तार	भटवारी	2-00	24	11	6	17
7-	डुण्डा माइनर	डुण्डा	10-00	180	90	54	144
8-	हिटानु माइनर	डुण्डा	8-00	100	50	30	80
9-	धरासु बरेठी माइनर	डुण्डा	9-00	160	80	48	128
10-	सार्फ माइनर	डुण्डा	3-00	20	10	6	16
11-	पिपल खण्डा माइनर	डुण्डा	4-00	60	27	15	42
12-	कुमराज माइनर	डुण्डा	1-50	20	10	6	16
13-	भर कोट माइनर	डुण्डा	2-00	24	11	6	17
14-	मझगांव माइनर	डुण्डा	3-00	30	8	15	24
15	गमाड़ी माइनर	डुण्डा	2-50	40	20	12	32
16-	[illegible] माइनर (गौनाड़ी माइनर)	नौगांव	4-00	48	22	12	34

1	2	3	4	5	6	7	8
17-	सेराकुँआ माइनर	नौगाँव	9-00	132	66	40	106
18-	कुन्साला माइनर	नौगाँव	1-70	24	11	6	17
19-	पाशा माइनर	पुरोला	5-00	30	36	20	56
20-	सुनाली माइनर	पुरोला	1-50	26	13	8	21
21-	रवरसारी माइनर	पुरोला	2-00	35	18	11	29
22-	गुराड़ी माइनर	पुरोला	2-50	48	24	14	38
23-	पुरोला माइनर	पुरोला	2-50	48	24	14	38
24-	देवदुंग माइनर	पुरोला	2-00	32	16	10	26
25-	वल्डाडगोली माइनर	पुरोला	3-00	20	10	6	16
26-	धुचानु माइनर	पुरोला	3-00	32	16	10	26
27-	धुनरान्नावाल्रा माइनर	पुरोला	6-00	50	25	8	33
1		योग :-	100-00	1539	413	713	1126

5- ... की नीति :-

उपरोक्त प्रस्तावित सभी कार्य विभागीय ठेकेदारों के माध्यम से स्थानीय मजदूरों द्वारा कराये जायेंगे। इससे करीब 1000 व्यक्तियों को 5 साल तक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ये योजनायें जिले के सभी विकास खण्डों के आधार पर बनाई गयी हैं ताकि जिले का विकास सभी ... क्षेत्रों में समान रूप से हो सके।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इन योजनाओं में कृषि तथा उद्यान सम्बन्धी कार्यों को ही उच्च प्राथमिकता दी गयी है। उन क्षेत्रों को प्रथम स्थान दिया गया है, जहाँ सिंचाई साधन या तो नहीं है या बहुत कम हैं। इसी आधार पर नयी पर्वतीय नहरों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है। उन क्षेत्रों में जहाँ नदियों के जल स्रोत दूर हैं और सिंचाई की सुविधा नहीं हैं, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं द्वारा इस कमी को पूरा किया जायेगा। कुछ पर्वतीय नहरों में भी विकास की सम्भावनायें हैं, जिससे उनके कमाण्ड क्षेत्र में वृद्धि से कृषि योग्य भूमि में सिंचाई हो सकेगी। अतः पंचम योजना में वर्तमान नहरों सुदृढीकरण एवं विस्तार भी प्रस्तावित है। विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	योजना ... का ...	अनुमानित लागत लाख रुपये	नहरों की लम्बाई	इन नहरों से लाभान्वित क्षेत्र हेक्टर
1-	पर्वतीय नहरों का निर्माण	136	100	1964

7- संसाधनों को जुटाना :-

इन योजनाओं के धनराशि शासन द्वारा ही जुटाई जायेगी।

8- भौतिक संसाधनों एवं कुशल श्रमिकों की ... आवश्यकता :-

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक भौतिक ... साधन जिले में ही उपलब्ध हो जायेंगे। निर्माण के दौरान जिन श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी वे भी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जायेंगे। लिफ्ट सिंचाई योजनाओं तथा हाइड्रम योजनाओं के निर्माण के दौरान तथा निर्माण पूर्ण हो जाने पर सुपरवाइजर तथा मैकेनिक आदि कुशल कारीगरों की आवश्यकता भी पड़ेगी।

9- **शासन के विचार हेतु प्रश्न :-**

1- योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति ।

2- कई नहरों के क्षेत्र में कई खेत ऊबड़-खाबड़ हैं और ये सिंचाई के अनुपयुक्त होते हैं । अतः खेतों को समतल बनाने के लिए कृषकों का आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

3- नहर निर्माण में भूमि की आवश्यकता पड़ती है । चौथी योजना में ऐसी भूमि के अधिग्रहण में काफी कठिनाईयाँ हुई हैं । कृषकों को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा समुचित दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें भूमि देने में कोई झिझक न हो ।

4- नहरो के निर्माण के उपरान्त कई स्थलों पर नहरों के शीर्ष पर स्थित खेतों की कृषक, पानी को नहर के अन्त तक पहुँचाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं । सिंचाई विभाग के पास ऐसे कृषकों से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से समय संरक्षण दिया जाना परमआवश्यक है ।

रूप पत्र 1
=======

जिला :- उत्तरकाशी

जिला :- उत्तरकाशी

पांचवी योजना परिव्यय

पांचवी योजना परिव्यय

(हजार रुपये में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय: राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	1974-75 परिव्यय: राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	1975-76 का परिव्यय: राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(क) वृहत एवं माध्यमिक सिंचाई योजनाएं													
	(ख) लघु सिंचाई :- (केवल राजकीय साधन)													
	पर्वतीय नहरें		13600	-	13600	900	[illegible]	900	259	-	259	1100		
	लघु डाल योजनाएं		500	-	500	50	-	50	5	-	5	100		
	योग :-		14100	-	14100	950	-	950	259	-	259	1200		

प्रपत्र -2 -

जिला उत्तरकाशी

पाँचवी योजना का [illegible] भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक उपलब्धियाँ	चौथी योजना के अन्त तक उपलब्धियाँ	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ)	वृहत एवं माध्यमिक सिंचाई योजनायें	हजार हेक्टर-					
(ब)	लघु सिंचाई						
1-	पर्वतीय नहरें	"			1-13	1-13	
2-	लघु डाल सिंचाई योजनायें	"			0-15	0-02	0-07
	योग :-			0-96	1-28	0-15	0-07

रूप पत्र :- 2 -

जनपद उत्तरकाशी :- पाँचवी योजना का कार्यक्रम :- भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ ।

क्रमांक	मद	इकाई	31-3-1969 तक की उपलब्धियाँ	31/3/1974 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1975-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-	लघु सिंचाई						
	(क) निजि लघु सिंचाई						
	(1) पक्के कूप	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) कूप बोरिंग	,,	-	-	-	-	-
	(3) रहट	,,	-	-	-	-	-
	(4) नल कूप	,,	-	-	-	-	-
	(5) पम्पिंग सेट	,,	-	-	-	-	-
	(6) पौधे	हेक्टर	-	-	-	-	-
	(7) पहाड़ी क्षेत्रों में नालियाँ	कि0मी0	269	231-0	174-00	19-2	0-0
	(8) पहाड़ी क्षेत्रों में हौज निर्माण	संख्या	36	40	1049	73	2 [illegible]
	(9) सिंचन क्षमता का सृजन	ह0हेक्टर	4-0 5	4-662	1-476	0-098	[illegible]-256
	(ख) राजकीय लघु सिंचाई						
	(1) नल कूप	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) गूल निर्माण	कि0मी0	-	-	-	-	-
	(3) अन्य (नहरें)	,,	87.4	106-9	100-0	3-0	6-5
	सिंचन क्षमता का सृजन (नहरें)	ह0हेक्टर	0-823	0-960	1-280	0-150	0-070

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(ग) मौजूदा सिंचन क्षमता में ह्रास						
	(1) निजी लघु सिंचाई	हजार हेक्टर	एन0ए0	0.233	एन0ए0	[illegible]	[illegible]
	(2) राजकीय लघु सिंचाई	,,	एन0ए0	0.048	एन0ए0	[illegible]	[illegible]
	(घ) कुल उपलब्ध सिंचन क्षमता						
	(1) निजी लघु सिंचाई	हजार हेक्टर	4.005	4.662	1.476	0.098	0.256
	(2) राजकीय लघु सिंचाई	हजार हेक्टर	0.823	0.960	1.280	0.150	0.070
	योग	,,	4.828	5.622	2.756	0.248	0.326
2-	वृहत एवं माध्यम सिंचाई योजनायें लघु सिंचाई	हजार हेक्टर					
	(1) पर्वतीय नहरें	,,	-	-	1.130	0.130	-
	(2) लघु डाल सिंचाई योजनायें	,,	-	-	0.150	0.020	0.070
	योग :-		-	-	1.280	0.150	0.070
3-	सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग						
	(1) निजी लघु सिंचाई	हजार हेक्टर	4.005	4.429	1.476	0.098	[illegible]
	(2) राजकीय लघु सिंचाई	,,	0.823	[illegible]	1.280	0.150	[illegible]
	(3) वृहत एवं मध्यम सिंचाई	,,	-	0.912	-	-	0.068
			4.828	5.341	2.756	0.248	0.318

नोट :- राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत ही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना सम्मिलित है ।

भूमि संरक्षण 40

1- भूमिका :-

जनपद का भौगोलिक क्षेत्र 78, 1600.00 है0 है, जो पूर्णतया पर्वतीय है और यह उत्तरीय हिमालय में लगभग 2500 फीट से 10 हजार फीट की उचाई के मध्य में स्थित है, जिसमें 35069 है0 क्षेत्र में कृषि की जाती है। इसमें 4980 है0 सिंचित तथा 30089 है0 बन्जर व असिंचित भूमि के अन्तर्गत है। इस प्रकार भूमि का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है।

जनपद की तीन विशेष नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और टोंस। गंगा व यमुना नदियों के ऊपरी भाग वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ से ढके रहते हैं। इन तीनों नदियों में प्रायः पानी पूरे वर्ष काफी मात्रा में उपलब्ध रहता है। जनपद में भूमि कटाव की समस्या प्रायः असिंचित क्षेत्र में बंजर भूमि एवं सिंचित भूमि के कुछ भाग व वन विभाग की भूमि जहाँ पैरवनीकरण नहीं हुआ है, तक ही सीमित है। इस प्रकार से जनपद में लगभग 12000 है0 भूमि के क्षेत्र को भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम हेतु समस्या ग्रस्त क्षेत्र आंका गया है। जो जनपद के चारों विकास क्षेत्रों में भटवाड़ी, डुण्डा, नौगाँव, व पुरोला में स्थित है।

जनपद में वर्ष 1958-59 से नौगाँव विकास क्षेत्र में योजना का प्रारम्भ टिहरी स्थित भूमि संरक्षण इकाई द्वारा किया गया और वर्ष 1962-63 तक 71.92 है0 क्षेत्र संरक्षित किया गया। जनपद में भूमि संरक्षण सघनता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1963 में अलग से एक भूमि संरक्षण इकाई स्थापित की गई और जिले के चारों विकास खण्डों में योजना को प्रारम्भ कर, कार्य क्षेत्र विस्तृत किया गया।

जनपद में समस्या ग्रस्त तथा संरक्षित क्षेत्र की नवीनतम स्थिति विवरण विकास क्षेत्र तथा जल समेटवार निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र	क्षेत्रफल	जलसमेट	समस्या ग्रस्त	31-3-75 तक उपचारित क्षेत्र
1-	भटवाड़ी	430542.00	गंगा	1800	2368 (1-4 का योग)
2-	डुण्डा	72320.00	गंगा	3800	
3-	नौगाँव	110.35	यमुना	3400	
4-	पुरोला	168403.00	टोंस	3000	
योग		781600.00		12000	2368

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

जनपद में [illegible] पंचवर्षीय योजना को [illegible] प्रगति इस प्रकार रही है :-

भौतिक लक्ष्य (क)

क्रम सं0	योजना	70-71	वर्षवार लक्ष्य 71-72	72-73	73-74	74-75
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण योजना					
	लक्ष्य	3000 0	300·00	300·00	300·00	300·00
	पूर्ति	300·00	280·43	252[illegible]	144·24	284·00

वित्तीय (लाखों रुपयें में) (ख)

क्र0सं0	योजना [illegible]	प्रगति	70-71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74-75
1-	पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि एवं जल संरक्षण	परिव्यय	2·833	3·40	3·40	3·40	4·00
		व्यय	3·363	2·911	2·902	2·772	4·06

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रगति (क) तालिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 70-71 को छोड़कर अन्य किसी वर्ष में लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति नहीं [illegible] हुई है।

2- वर्तमान इकाई द्वारा वर्ष अक्टूबर 1963 से आज तक 2096·03 हे0 क्षेत्र उपचारित किया गया है तथा इससे पूर्व [illegible] स्थित इकाई द्वारा लोहाँघाट क्षेत्र में 71·92 हे0 उपचारित किया गया था। इस प्रकार आज तक जनपद में 12000 हे0 समस्याग्रस्त क्षेत्र के विपरीत 236[illegible]·93 हे0 क्षेत्र उपचारित किया गया है। उपचारित क्षेत्र में 1493·04 3 हे0 [illegible] विधि से सम्पन्न कराया गया है। शेष 802·9 89 हे0 राजकीय माध्यम से उपचारित किया गया है।

3- विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

1- पत्थर के पुस्तों व पत्थर के पुस्तों को लेविलिंग तथा केवल लेविलिंग के कार्यों पर गत वर्ष से अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह कार्य भूमि जल संरक्षण के नाते [illegible] सिंचित क्षेत्रों में ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं; [illegible] करने [illegible] असिंचित क्षेत्र में

सिंचाई का स्रोत भी वृद्ध ग्राम है, फलस्वरूप यह कार्य दिन-प्रतिदिन जनप्रिय होता जा रहा है।

2- उद्यानीकरण के कार्य से वास्तव में न केवल पहाड़ियों का उपयोग ही होता है, जो कृषि के लिए अनुपयोगी है, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में कम उत्पादन लागत पर अधिक लाभ होता है। परन्तु उद्यानीकरण में विशेष देख-रेख भी अपना महत्व रखती है। खासतौर से पौधे लगाने के बाद से फल लगने तक की अवस्था तक। इस प्रकार उचित देख-रेख के फलस्वरूप धन का अतिरिक्त व्यय स्वाभाविक है, इसलिए ... ... हो रहा है और कुछ ही व्यक्ति ... तक सीमित है, फिर भी इस कार्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक ... बनाने हेतु प्रयास जारी है।

3- वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में चारे के उत्पादन तथा पशुओं की संख्या के लिहाज से चारे की कमी की समस्या है। साल के अधिकांश महीनों में चारे की कमी हो जाती है, इसलिए चारागाह विकास की आवश्यकता है परन्तु कृषकों के पास कृषि जोत कम होने तथा ग्राम सभा के पास जमीन न होने के कारण यह कार्य अपनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अधिकतर भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रगति का अवलोकन से यह विदित हो जाता है कि वर्ष 70-71 को छोड़कर ... लक्ष्यों के विपरीत प्रगति शत प्रतिशत नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि कृषि जोत कम होने के कारण अधिकांशतः कृषकों की आर्थिक-स्थिति कमजोर है, और चूँकि भूमि संरक्षण के साधनों के पर्वतीय क्षेत्रों में निपादन में अधिक धन व्यय होता है, इसलिए स्वयं अथवा स्वयं के व्यय पर यह कार्य कराने में असमर्थ होते हैं। ऐसे कृषकों के यहाँ कार्य राजकीय माध्यम से पूर्ण कराया जावे तो वे उसमें व्यय किए गए धन को वाजिब वसूली लौटाने में असमर्थता प्रकट करते हैं। इसके कारण राजकीय माध्यम से कार्य सम्पादन कराने की सहमति भी कम हो जाती है। फलस्वरूप लक्ष्य पूर्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही हो जाता है।

2- अधिकांशतः यह देखा जाता है कि यहाँ पर योजना के कार्यान्वित हेतु मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले कार्यकर्ता नियुक्त किये जाते हैं। अधिकांशतः प्रतिकूल जलवायु, घर से काफी दूरी पर नियुक्त होने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण पर जाने वाली समस्या आदि के कारण परेशान होकर ये लोग अपने स्थानान्तरण के इच्छुक होते हैं, फलस्वरूप लक्ष्य पूर्ति पर ... विपरीत प्रभाव पड़ता रहता है।

4- दीर्घकालीन उपरीक्षा

जनपद में भूमि एवं जल संरक्षण की दीर्घकालीन योजनायें निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :-

छठवीं योजना वर्ष 1979'-84

क्र0 सं0	योजना	वर्षवार विवरण					
		1979-80	80-81	81-82	82-83	83-84	योग
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की योजना						
	भौतिक हे0	300	300	300	300	300	1500·00
	वित्तीय (लाख रु0)	4	4	4	4	4	20

[illegible]

सातवीं योजना

क्र0 सं0	योजना	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	योग
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण यो0						
	भौतिक हे0	300	300	300	300	300	1500
	वित्तीय (लाख रु0·)	4	4	4	4	4	20

वि[illegible] नीति

भूमि एवं जल [illegible]क्षण की नीति भूमि की उत्पादन क्षमता के निरन्तर ह्रास को रोकने [illegible] लक्ष्य द्रद की अन्न की उत्पादन की है जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो [illegible] और [illegible] में [illegible] प्राप्त हो सके।

भूमि एवं जल [illegible]रक्षण की योजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना को जल सवेट जल सवेट के सिद्धान्तों [illegible] जाता है, और यह चयन [illegible] जल सवेट की समस्याओं की गम्भीरता [illegible] आधारित होता है।

[illegible] पद्धति के अनुसार अधिकतर कार्य [illegible] विधि से कराना लक्षित है जिस पर 1000·00 रु0 प्रति [illegible] अथवा कुल निष्पादन व्यय करने में 50 [illegible] अनुदान दिया जाता है। इससे

न केवल कृषकों को व्यय वहन करने में ... सहूलियत होती है, बल्कि बाकी ... का सदुपयोग करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो कृषक स्वयं अथवा ... के रूप में कार्य करने में असमर्थ होते हैं उनका कार्य उनकी अनुमति पर विभाग द्वारा कराया जाता है इस प्रकार कराये गये कार्य में व्यय धन की वसूली को कुल निष्पादन ... की 50 प्रतिशत अथवा एक हजार रुपया ... प्रति हेक्टेयर जो कम हो अनुदान स्वरूप छूट देने के बाद साढ़े चार प्रतिशत ब्याज की दर से 10 साल की आसान किस्तों में वसूल की जाती है।

6 - ... के आधार पर पांच - पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 की योजना में भूमि एवं जल संरक्षण योजनायें ... के आधार पर निम्न प्रकार क्रमगत है :-

1- पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण योजना।

2- पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण की योजना तथा ... विकास की अनुपूरक योजनायें।

7- संसाधन एवं उसका श्रोत :- भूमि एवं जल संरक्षण की योजना पूर्ण रूप से विभागीय ही संचालित होगी फिर भी प्रसार विधि से कार्य निष्पादन कराने हेतु विशेष प्रयास जारी रहेंगे।

8- राज्य सरकार के विचार हेतु कठिनाइयाँ/सुझाव :- कृषकों की जोत सीमा कम होने के कारण अधिकांश कृषकों की आर्थिक दशा सोचनीय है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण साधनों के निष्पादन में ... धन अधिक व्यय होता है। यद्यपि यह कार्य राजकीय माध्यम से ... की वसूली ... हाती है तो 50 प्रतिशत अनुदान के बाद साढ़े चार प्रतिशत ब्याज सहित 10 वर्षों तक की सरल किस्तों में वसूली की जाती है। अतः भूमि संरक्षण के निष्पादन अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाय। जिससे लक्ष्यों की पूर्ति शत प्रतिशत हो सके।

2 - पर्वतीय क्षेत्रों में साधारण तथा ... लैण्ड स्लिप तथा गैंक कन्ट्रोल की समस्यायें भी प्रमुख है। इनके उपचार में अधिक व्यय की आवश्यकता होती है तो उसमें चारागाह कार्यक्रमों में इनको लिया जाना सम्भव नहीं है। अतः इनके उपचार के लिए अलग से धन की आवश्यकता होती है

3 - योजना के अन्दर निम्नांकित कार्यों की छूट छूट होती रहती है जो

स्वाभिक है । अतः ऐसे कार्यों की प्रशस्त तथा देखरेख हेतु 5 सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक तथा एक भूमि संरक्षण निरीक्षक तथा आवश्यक धन अलग से स्वीकृत किए जाने [illegible] की आवश्यकता है । पर्वतीय क्षेत्रों में इसका कोई प्राविधान नहीं है ।

4 - जनपद की अधिकतर बन्जर भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है जो भूमि कटाव से ग्रस्त हैं, ऐसी भूमि यदि ग्राम सभा को हस्तान्तरण हो जाती है । तो उसमें चारागाह विकास व वनीकरण कार्यक्रम अपनाया जा सकता है ।

5 - प्रायः भूमि संरक्षण की योजना के ऊपर का क्षेत्र वन विभाग के अर्न्तगत होता है जिसमें वृक्षारोपण बहुत कम पाया जाता है । इसके कारण लैण्ड स्लिप लैण्ड स्लाइड की सम्भावना अधिक हो जाती है । इसके कारण कृषि भूमि को हानि हो जाती है ।

अतः वन विभाग को ऐसे क्षेत्रों में वनीकरण एवं चारागाह विकास का कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है जिससे भूमि के उपयोग के साथ साथ नीचे की कृषि भूमि लैण्ड स्लिप आदि के कारण क्षति से बच सकती है ।

पांचवीं योजना व वर्ष 1975-76 के भौतिक एवं वित्तीय परिव्ययों की सूचना संलग्न है ।

जिला :- उत्तरकाशी भूमि संरक्षण (अनुभाग) उत्तरकाशी

प्रपत्र :- 1 :-

पांचवी योजना परिव्यय

(हजार [illegible] रुपयों में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	1974-1979 राज्य आयोजनागत	योग	1974-[illegible] परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1-	मद/उप मद) भूमि एवं) जल[illegible] का संरक्षण) योजना)	1223-3	1223-3	381-2	381-2	406-1	406-1	240-8	240-8
	योग :-	1223-3	1223-3	381-2	381-2	406-1	406-1	240-8	240-8

रूप पत्र :- 2 :-

भूमि संरक्षण

उत्तरकाशी ।

पाँचवी योजना का कार्यक्रम :- भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ :

क्र0सं0	कार्यक्रम / मद	इकाई	31/3/1969 तक की उपलब्धियाँ	31/3/1974 तक उपलब्धियाँ	पाँचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	हेक्टर	1139	1189	1500	283-65	300

कृषि विपणन संग्रहण एवं गोदाम

कृषि विपणन का प्रमुख उद्देश्य, कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ग्रोथ सेन्टरों के माध्यम से विक्रय की समयोचित व्यवस्था करना है। जनपद उत्तरकाशी में कृषि विपणन प्रणाली का संगठन अभी नहीं हो पाया है। परन्तु विकास के बढ़ते हुए चरणों के साथ साथ जब कृषि के अन्तर्गत नकदी फसलों के क्षेत्र में विस्तार किया जायेगा, इसकी आवश्यकता अनुभव होने लगेगी। बीजों के खरीद व विक्री में, कृषि विपणन प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है, जनपद की विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से इसके प्रसार में सहयोग मिलेगा।

इस समय जनपद अन्तर्गत, जिला सहकारी उपभोक्ता एवं क्रय विक्रय संघ लि०, (उत्तरकाशी) अपनी तीन उपशाखाओं जो डुण्डा, ब्रम्हखाल एवं बड़कोट में स्थित हैं, के द्वारा कपड़ा एवं आनाज के वितरण का कार्य सम्पादित कर रहा है। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़, हर्षिल एवं बड़कोट में सस्ता गल्ला की दुकाने भी स्थापित है। संघ एवं 7 साधन सहकारी समितियों द्वारा निर्मित गोदामों की क्षमता 300 मी०टन है।

कृषि विभाग के अन्तर्गत गोदामों की क्षमता 4.15 मी०टन की है, जिसमें बीज एवं रसायनिक उर्वरकों के भन्डार है।

पूर्ति विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 तक विभिन्न गोदामों की संग्रहण क्षमता 1600 मी०टन थी। इसमें से 580 मी०टन का संग्रहण किराये के मकानों में था।

वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

जनपद का पूर्ण भाग पर्वतीय है। यातायात की असुविधा तथा मन्डी की उपलब्धता न होने के कारण सहकारी संघ भी कृषकों की उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में समर्थ नहीं है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कृषि विपणन प्रणाली का प्रारम्भ [illegible] कराया जावे।

राज्य स्तर पर उत्तरप्रदेश राज्य भन्डारागार निगम भन्डार गृहों के निर्माण का कार्य संचालित कर रहा है। पाँचवी योजना अवधि में जनपद उत्तरकाशी में निगम द्वारा कोई भी भन्डार गृह निर्मित किया जाना प्रस्तावित नहीं है और न कोई व्यय ही प्रस्तावित है।

पशुपालन :-

1- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- पशुधन राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। वर्ष 1971-72 की पशुगणना के अनुसार जनपद में पशुओं की संख्या निम्न प्रकार थी :-

1- बैल तथा साँड 3 वर्ष के ऊपर	38164
2- गाय तीन वर्ष के ऊपर	35946
3- गायों के बच्चे	265[illegible]9
4- भैंसा तीन वर्ष के ऊपर	404
5- भैंसे तीन वर्ष के ऊपर	23269
6- भैंसों के बच्चे	7879
7- याक	145
8- भेड़ एक साल के अन्दर	16226
9- भेड़ एक साल से अधिक	14660
10- बकरी एक साल से कम	11620
11- बकरी एक साल से अधिक	38327
12- घोड़े	781
13- खच्चर	860
14- गधे	25
15- सुअर	211
16- मुर्गियाँ	5334

इस जनपद के सृजन के समय यहाँ पर पशुधन विकास हेतु केवल एक चिकित्सालय, एक [illegible] पशुपालन केन्द्र तथा दो भेड़ा केन्द्र कार्यरत थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विकास में आशातीत प्रगति लाने के लिए पशु सेवा संस्थाओं का विकास निम्न प्रकार हुआ :-

1: पशु चिकित्सालय	5
2: पशुसेवा केन्द्र	22
3: नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र	19
4: भेड़ा केन्द्र	10
5- भेड़ प्रक्षेत्र	2
6: कुक्कुट प्रसार केन्द्र	3
7: चारा प्रापालन	4

8- दुग्ध पालन केन्द्र I

9 प्रगाढ़ पशुधन विकास केन्द्र I

10- ड्राउट पशु पालन केन्द्र I

11- रिवर्स कार्प मत्स्य प्रक्षेत्र I

उपरोक्त संस्थाओं एवं पशुधन की संख्याओं को दृष्टिगत करते हुए निम्न तथ्य प्रस्तुत हैं :-

(अ) भेड़ एवं बकरियों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए भी एक चिकित्सालय औसतन 27000 पशुओं के रोग निवारण की सुविधा लगभग 1300 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में प्रदान करता है । पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा नगण्य ही कही जा सकती है ।

(ब) एक पशुपाल केन्द्र लगभग 6000 पशुओं को 400 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में सुविधा प्रदान करता है ।

(स) स्थानीय गाय एवं भैंसों की नस्ल को सुधारने हेतु केवल 19 प्रजनन केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो गाय भैंसों की कुल संख्या के केवल 17 प्रतिशत भाग को ही अधिजनन सुविधा प्राप्त करा पाते हैं ।

2- वर्तमान योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

रोग नियंत्रण के लिए जनपद में जो सुविधायें जनपद में उपलब्ध हैं उन्हें किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है । प्रदेशीय मानदण्डों के आधार पर यह सुविधायें अपने आप में ही कम हैं । पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते कठिनाइयाँ अधिक प्रतीत होती हैं ।

स्थानीय पशुधन विकास के लिए उपलब्ध अधिजनन सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त हैं ।

कुक्कुट प्रसार केन्द्र जो आवश्यक कर्मचारी एवं साधन से सुसज्जित नहीं हैं, मात्र प्रदर्शन केन्द्र बने हुए हैं । चतुर्थ योजना में शासन को बल पूर्वक निवेदन किया जा चुका है कि इस जनपद में कुक्कुट विकास को प्रगति बढ़ाने के लिए एक प्रक्षेत्र की स्थापना अनिवार्य है ।

उन्नतशील चारा के चारों की प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जनपद में वनों से पशुओं के लिए चारा बहुतायत से प्राप्त होता रहता है । इसके अतिरिक्त जो सिंचित कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है वह कम भूमि होने के कारण चारा उत्पादन हेतु प्रयोग करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

3- दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :-

पंचम पंचवर्षीय योजना जो विभाग द्वारा प्रस्तावित है, में दिये गये लक्ष्यों के अनुसार रोग नियंत्रण के लिए योजनाकाल में केवल एक पशु चिकित्सालय

एवं एक सचल पशु चिकित्सालय प्रस्तावित है । इन दो संस्थाओं के स्थापित हो जाने पर जनपद में लगभग 20000 पशुओं पर एक चिकित्सालय का लक्ष्य प्राप्त हो जावेगा ।

पशुधन विकास के लिए योजनाकाल में 31 उन्नतशील एवं विदेशी नस्ल के नर पशु अभिजनन हेतु दिये जाने का लक्ष्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति पर जनपद की गाय भैंसों की कुल संख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग लाभान्वित हो सकेगा ।

भेड़ विकास की ओर पंचम पंचवर्षीय योजना में शासन का विशेष ध्यान आकर्षित है तथा वर्तमान भेड़ा केन्द्रों को बदलकर भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र में परिवर्तन कर तथा नये भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्रों के खोले जाने से जनपद को जनपद की लगभग 50 प्रतिशत भेड़ों को उन्नत करने की सेवायें प्राप्त हो सकेगी । कुक्कुट विकास, पौष्टिक आहार योजनान्तर्गत सुचारु रूप से चल रहा है तथा लक्ष्यों को उपयुक्त प्राप्त की आशा है । परन्तु इस जनपद में कुक्कुट प्रक्षेत्र न होने के कारण दूसरे जनपदों से पक्षी लाकर वितरण किया जाना कठिन कार्य है , जिसे दीर्घकालिक योजनाओं में समावेश किया जावेगा ।

कुक्कुट विकास, पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत सुचारु रूप से चल रहा है तथा लक्ष्यों की उपयुक्त प्राप्ति होने की आशा है किन्तु अन्य विकास खण्डों में जनपद में कुक्कुट प्रक्षेत्र न रहने के कारण दूरस्थ प्रक्षेत्रों से पक्षी लाकर वितरण करना बड़ा कठिन होता है ।

4 .- विकास की नीति :-

जनपद के पशुधन के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रति 10000 पशु संख्या पर एक पशुचिकित्सालय तथा 5000 पशु संख्या पर एक पशुपालन केन्द्र होना नितान्त आवश्यक है । कुक्कुट विकास में तीव्र गति लाने के लिए एक कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना की आवश्यकता है ।

पाँचवी योजना में क्षेत्र की आवश्यकता माँग आदि को देखते हुए स्थानीकृत योजनायें तदनुसार स्थापित की जायेंगी । पशु विकास तथा पशु पालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से क्षेत्रों में स्थानीय पशुओं के नस्ल सुधार हेतु सांड प्रसार केन्द्र , भेड़ा केन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोले जायेंगे, जहाँ पर उन्नत नस्ल के सांड /भैंसें कवरिंग हेतु रखे जायेंगे । पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए भैंसें, भेड़ , गाय, सांड भैंसा सांड आदि अंशदान पर एवं

अनुदान पर दिये जायेंगे । कुक्कुट पालन की योजनायें उनके विकास हेतु कुक्कुट वितरण ऋण आदि दिया जायेगा । आहार एवं परिवहन कार भी राज सहायता दी जावेगी ।

5 - संसाधनों का जुटाना एवं श्रोत :-

जनपद में दुधारु पशुओं, भेड़ों एवं बकरियों की संख्या बहुत अधिक है, इन पशुओं के लिए थोड़े प्रयास से हरे चारे की पूर्ण समस्या का समाधान हो सकता है । जनपद के जंगलों में हरा चारा प्रचुरता से प्राप्त होता है । इस उत्पादन को अधिक उपयुक्त एवं संगठित बनाने से समस्त पशुओं की खाद्य समस्या का निदान ही नहीं किया जा सकता बल्कि भविष्य के उपयोग के लिए हरे चारे को सुरक्षित रखने एवं अन्य स्थानों को आवश्यकतानुसार भेजने का कारखाना लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है ।

मादा पशुओं से दुग्ध उत्पादन को बाजार में आधुनिक प्रक्रियाओं की सुविधायें बढ़ाकर उत्पादन चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्षेत्रों से फालतू दुधारु पशुओं को जनपद के पशुपालकों को तकावी के रूप में वितरित करके पशुओं की नस्ल की संख्या में वृद्धि की जा सकती है । यदि तकावी का प्राविधान न हो सके तो आवश्यक धन का प्राविधान सहकारिता विभाग से किया जा सकता है अथवा संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाया जा सकता है ।

6- पाँचवीं योजना का कार्यक्रम :-

चौथी योजना तक की हुई प्रगति :- चौथी योजना काल तक जो भौतिक प्रगति विभागीय संस्थाओं तथा चौथी योजना काल के अन्त तक की स्थिति दी गई है ।

7- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :- इस योजना में स्थानीय जनता के आर्थिक विकास हेतु कुक्कुट विकास की योजना चलाई जायेगी । जिसमें प्रति व्यक्ति को कुक्कुट पालन के लिए समुचित सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ।

8- अन्तर क्षेत्रीय विषमतायें :- हरिजन एवं पिछड़ी जाति के विकास हेतु प्रस्तावित प्रस्तावित योजना जिले को क्षेत्रवार योजना में दी गई हैं, जिसके अन्तर्गत नौगाँव

एवं पुरौला क्षेत्र लिया गया है ।

9- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

पंचम योजनाकाल में 4 अर्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा 7 प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त स्थानीय पशुओं के आशातीत सुधार होने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत आय के साधन बढ़ जाने की सम्भावना है ।

10 - शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

उपरोक्तानुसार शासन से आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है ।

जिला स्तर प्रपत्र — स्क पत्र :- 1 — पशुपालन

पांचवी योजना प्रारूप : 1974-1979

(हजार रूपयों में)

क्रसं०	कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का परि... राज्य आयोजनागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना ।								
2-	फ्रोजेट आहार इकाई								
3-	सीमेन डोजिंग -								
4-	अतिरिक्त दवाओं की सुविधा -								
5-	वकरों का क्रय -	662-2	662-2	112-1	112-1	112-1	112-1	247-3	2
6-	चारा बीज वितरण -								
7-	रगिस्तान ढोरों के लिये राशन -								
8-	भेड़ पालकों का प्रशिक्षण								
9-	कृत्रिम अभिजनन केन्द्रों की स्थापना -								
10-	सांडों का क्रय -								
11-	ए०एन०पी० प्रोग्राम -								
12-	मेढ़ों का क्रय -								
13-	क्रास ब्रेड मेढ़ों का क्रय								
	योग हजार रूपयों में :-	662-2	662-2	112-1	112-1	112-1	112-1	247-3	2

पशु पालन :- उत्तरकाशी ।

परिपत्र :- 2

भौतिक लक्ष्य तथा उ[illegible]

क्रमांक	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियाँ	31/3/1974 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	कृत्रिम गौ गर्भाधान केन्द्र	संख्या	-	-			
2-	कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या				!	!	-
3-	कृत्रिम गौ गर्भाधान उपकेन्द्र	,,	-	[illegible]	1200	[illegible]99	400
4-	स्टॉकमैन सेन्टर (पशु सेवा केन्द्र)	,,	-	[illegible]	20	3	-
5-	राजकीय कुक्कुट फार्म	,,	21	22	-	-	-
6-	सहकारी कुक्कुट फार्म	,,	1	3	-	-	-
7-	पशु चिकित्सालय /औषधालय	,,	-	-	-	-	-
8-	भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र	,,	5	5	1	-	-
9-	सघन पशु विकास खण्ड	,,	10	10	10	-	-
10-	चारे के फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हे०	-	0-036	0-232	0-050	0-053
11-	पशुओं को बीमारी की रोकथाम	संख्या	-	-	-	-	-
	1- एच०एस०						
	2- बी०क्यू०	,,	59973	202861	-	39538	-
	3- रेण्डर पेस्ट						

75

दुग्ध योजना :-

भूमिका :-

इस जनपद में अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की आपूर्ति संगठित ढंग से कर सके । इस कमी को बहुत दिनों तक से महसूस किया जा रहा था । जिसके निराकरण हेतु शासन ने जनपद से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक दुग्ध संघ स्थापित करने हेतु जिले का सर्वेक्षण कराई और इस पर निर्णय पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1975-76 में किया जाने वाला है ।

विकास की नीति :-

इस योजना का उद्देश्य एक तरफ ग्रामीण अंचलों में दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पादन का सही मूल्य दिलाने तथा दुधारू पशुओं के माध्यम से कृषि कार्यों में सहायता पहुँचाते हुए आर्थिक स्थिति सुधारने तथा दूसरी तरफ सहकारिता के माध्यम से दूध को इकट्ठा कर के नगर वासियों को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति, शुद्ध एवं पास्चराइज दूध एवं दूध पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना ।

इस योजना के कार्यान्तर्गत प्रथम चरण में ग्रामीण अंचल के सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों एवं जनपद स्तर पर एक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का संगठन करना । इस कार्य हेतु शासन ने सहकारिता विभाग के अन्तर्गत दुग्ध अनुभाग के 1 वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक एवं 5 दुग्ध राजकीय पर्यवेक्षकों की स्वीकृति दे दी है जिनकी नियुक्ती शीघ्र होने वाली है ।

रूप पत्र :- 1.4

(राज्य आयोजनागत के अन्तर्गत) (हजार रुपये)

कार्यक्रम	पांचवी योजना का परिव्यय उपलब्ध सूचना के अनुसार	1974-75		1975-76
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1- जन जाति डेयरी विकास योजना	45-00	शून्य	शून्य	20-00
2- डेयरी विकास योजना	33-00	शून्य	शून्य	33-00

मत्स्य विकास

जनपद सृजन से पूर्व मत्स्य विकास की विभागीय योजना, उत्तरकाशी में चल रही थी । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इस जनपद के गंगोरी नामक स्थान पर एक मत्स्य प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु 1-70 एकड़ भूमि का क्रय किया गया था । पुनः वर्ष 1974-75 में 1-90 एकड़ भूमि वन विभाग से खरीदी गई । इस प्रकार गंगोरी मत्स्य प्रक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3-60 एकड़ हो गया है । वर्ष 1974-75 में क्रय की गई कुल भूमि का मूल्य 26300 रु० था । अभी गंगोरी हैचरी का निर्माण नहीं हुआ है ।

जनपद में रियासत कालीन एक हैचरी कल्याणी में स्थित है । इस स्थान पर 4 पौन्ड्स बने हुए हैं । इस हैचरी में ट्राउट मछलियों की अंगुलिकाओं का उत्पादन किया जाता है और पुनः इन्हें नदियों में संचित कर दिया जाता है । विगत कुछ वर्षों में अंगुलिकाओं के उत्पादन एवं नदियों में उनके संचय की स्थिति निम्न प्रकार रही है :

वर्ष	अंगुलिकाओं का उत्पादन	अंगुलिकाओं का नदियों में संचय
1967-68	597	497
1968-69	1200	1100
1969-70	5000	4900
1970-71	1206	1000
1971-72	4094	3864
1972-73	2842	2842
1973-74	3356	3288
1974-75	2549	2519

उत्तर काशी   रूप पत्र 1- 1

पाँचवीं योजना परिव्यय   (हजार रुपयों में)

क्र0 सं0	मद	पंचवर्षीय परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	परिव्यय 1974-75 राज्य आयोजनागत	योग	व्यय राज्य आयोजनागत	योग	परिव्यय 1975-76 राज्य आयोजनागत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	मत्स्य विकास	110	110	17	17	26	26	104	104
		(अनुमानित)							

79

रूप पत्र- 2

मत्स्य :- उत्तरकाशी । भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्र० सं०	मद	इकाई	31/3/69 तक उपलब्धियाँ	31/3/74 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 तक का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	नावों का मशीनीकरण	संख्या	-	-	-	-	-
2-	श्रमिक मछुवा सहकारी समितियाँ	,,	-	-	-	-	-
3-	अंगुलिकाओं का वितरण	लाखों में	-	-	-	-	-
4-	मत्स्य बीज फार्म	संख्या	-	-	-	-	-
5-	मत्स्य उत्पादन	मी०टन	-	-	-	-	-

86

जनपद उत्तरकाशी के सम्पूर्ण क्षेत्र का 33.6 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है । वन सम्पदा इस जनपद का महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है । इन्हीं वन क्षेत्रों में विपुल मात्रा में खनिजों के भण्डार हैं यद्यपि इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है, परन्तु प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर यह सम्भावनायें व्यक्त की गई हैं कि जनपद के भूगर्भ में ये बहुमूल्य मात्रा में हैं । वन ही ऐसा प्राकृतिक साधन है, जो जलवायु को मानव के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । वर्षा का समयानुकूल होना, वनों पर आधारित है । इस जनपद में सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल 690721 हेक्टर तथा सोयम वनों का क्षेत्रफल 1,41,114 हेक्टर है ।

सोयम वनों का क्षेत्र, जो सिविल तथा श्रेणी तीन के वन भी कहलाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषता है । इन वनों का प्रबन्ध राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है । इन वनों में भारी कटान के कारण काफी क्षति हुई है, जिससे भूमि कटान तथा अनावृष्टि को बढ़ावा मिल रहा है, पांचवीं योजना अवधि में वनविभाग वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर शनैः शनैः इन वनों के विकास की भी योजना कार्यान्वित करेगा ।

इस जनपद में वनों का प्रबन्ध, तीन वन प्रभागों द्वारा किया जा रहा है । ये वन प्रभाग हैं : उत्तरकाशी टौन्स तथा यमुना । इन वन प्रभागों के मुख्यालय क्रमशः उत्तरकाशी, पुरोला तथा मसूरी (जिला देहरा दून) में स्थित हैं । ये सभी प्रभाग हिमालय की गोद में ढलानों में स्थित है । इनमें अतिमूल्यवान वृक्षों के सघन क्षेत्र, जड़ी बूटियों तथा अन्य पशुओं की बाहुलता है ।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

वर्तमान समय में उत्तरकाशी, टौन्स तथा यमुना वन प्रभाग का क्षेत्रफल क्रमशः 463374, 141320 तथा 35527 है । जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त एवं वर्ष 1974-75 तक कुछ मदों की प्रगति निम्न प्रकार रही ।

	चतुर्थ योजना के अन्त तक	1974-75 की उपलब्धि
(अ) मूल्यवान वृक्षों का रोपण हेक्टर	4307	130
(आ) वन संचार किमी मोटर मार्ग	415	5
पैदल मार्ग	1261	-
(इ) वन भवन निर्माण/मरम्मत	94	-

3- चालू योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन :-

चतुर्थ योजना के अन्तर्गत मूल्यवान वृक्षारोपण का कार्य 4307 हेक्टर वन भूमि में किया जा चुका था । पांचवी योजना अवधि में 1000 हेक्टर अतिरिक्त भूमि इसके अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है । विभिन्न उद्योगों, जैसे दियासलाई, प्लाई उद्योग, अखबार कोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, कत्था आदि के लिये कच्चे माल की उपलब्धि के लिये आर्थिक महत्व के वृक्षों का लगाया जाना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से इसके प्लान्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है । परन्तु आवश्यकता के अनुरूप यह कार्य नहीं किया जा रहा है । वन संचार के अन्तर्गत जो मार्ग बनाये गये हैं, परन्तु इसके व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये ।

4- दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

वनों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । इसी विचार से दीर्घकालीन योजना में मूल्यवान वृक्षों का रोपण, संचार व्यवस्था का सुधार एवं विस्तार तथा पशु विहार की व्यवस्था को पर्यटन के उद्देश्य से उपयोगी समझते हुए, इसके विकास की योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी ।

5- विकास की नीति :-

वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुई ही सभी योजनायें बनाई गई हैं । जंगलों के निर्दयतापूर्ण कटान (वान्टन कटिंग) एवं चोरी को रोका जायेगा, तथा विनियोजित ढंग से ही पेड़ों को आवश्यकतानुसार कटवाने की नीति का अनुशरण किया जायेगा ।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

सोयल क्षेत्रों के तीव्रतर विकास, चरागाह व नर्सरी को बढ़ावा देना तथा आर्थिक महत्व के वृक्षों को लगाना तथा वनसंचार कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा ।

7- संसाधनों का जुटाना एवं स्रोत :-

धन का स्रोत शासन ही रहेगा ।

8- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

भौतिक साधनों के रूप में भूमि, जल, पत्थर, लकड़ी एवं बजरी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जायेगी । अन्य साधनों की पूर्ति बाहरी जनपदों से हो सकेगी ।

9:- शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति करानें में भूमि के अधिग्रहण का प्रमुख महत्व होता है । ग्राम सभा प्रधानों से प्रायः आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र के प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई एवं काफी समय लग जाता है, और इस प्रकार कार्य के संचालन में व्यवधान उतपन्न हो जाता है । अतः यह वांछनीय है कि इस सम्बन्ध में एवं एसे सरल एवं सुविधापूर्ण नियम बनाये जायें, ताकि भूमि उपलब्ध होने में एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलनें में कठिनाई न होवे ।

पाँचवी योजना एवं वर्ष 75-76 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य क्रम पत्र 1 एवं 2 में अंकित हैं ।

रूप पत्र I ब न

पाँचवी योजना परिव्यय (हजार रुपयों में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	1974-75 व्यय राज्य आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत
1-	आर्थिक महत्व के वृक्षों का लगाना				
2-	वन संचार				
3-	भवन निर्माण एवं मरम्मत	25911-0	[illegible]46-0	1589-0	1365-0
4-	सिविल एवं सोयम वनों का विकास				
5-	वन्य जन्तु परिरक्षण				
6-	वन मनोरंजन				
योग :-		25911-0	2646-0	1589-0	1365-0

रूप पत्र - 2

क्रम सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धि	31/3/74 तक की उपलब्धि	5वीं योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-	वन विभाग के प्रबन्धक के अन्तगर्त क्षेत्रफल।	हजार हेक्टर					
	(क) उत्तरकाशी वन प्रभाग	"	463-37	463-37	463-37	463-37	463-37
	(ख) यमुना वन प्रभाग	"	90-28	90-28	90-28	90-28	90-28
	(ग) टौन्स वन प्रभाग	"	141-82	141-82	141-82	141-32	141-32
		"	695-47	695-47	695-47	695-47	695-47
2-	वर्किंग प्लान क्षेत्र						
	(क) उत्तरकाशी	"	463-37	463-37	463-37	463-37	463-37
	(ख) यमुना	"	90-28	90-28	90-28	90-28	90-28
	(ग) टौन्स	"	141-82	141-28	141-28	241-32	141-28
			695-47	695-47	695-47	695-47	695-47
3-	आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र						
	(क) उत्तरकाशी (ख) यमुना (ग) टौन्स	) हेक्टर))	1771	4807	1000	130	150
		"	1771	4807	1000	180	150

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धिया	31/3/74 तक की उपलब्धिया	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)
4-	जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	हजार हेक्टर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(क) उत्तर काशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		-	-	-		
	(ग) टौन्स		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5-	ईंधन वाले वृक्षों का क्षेत्र		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(क) उत्तर काशी		2-22	2-22	2-22	2-22	2-22
	(ख) यमुना		29-42	29-42	29-42	29-42	29-42
	(ग) टौन्स		23-83	23-83	23-83	23-63	23-83
			55-47	55-47	55-47	55-47	55-47
6-	भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(क) उत्तर काशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ग) टौन्स		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियां	31/3/74 तक की उपलब्धियां	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974 तक की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सड़कों की लम्बाई (कच्चे मोटर मार्ग)	कि0मी0					
	(क) उत्तरकाशी		134-00	203-00	79-00	-	-
	(ख) यमुना		115-00	134-00	16-00	-	15-00
	(ग) टौन्स		72-00	78-00	17-00	5-00	4-00
			321-00	415-00	112-00	5-00	19-00
	पक्के मोटर मार्ग						
	(क) उत्तरकाशी		-	-	2-00	0-80	0-60
	(ख) यमुना		-	-	-	-	-
	(ग) टौन्स		-	-	-	-	-
			-	-	2-00	0-80	0-60
	पैदल मार्ग	,,					
	(क) उत्तरकाशी		338-00	338-00	-	-	-
	(ग) यमुना		360-00	360-00	-	-	-
	(घ) टौन्स		563-00	567-00	-	-	-
			1261-00	1261-00	-	-	-

9:- शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति कराने में भूमि के अधिग्रहण का प्रमुख महत्व होता है । ग्राम सभा प्रधानों से प्रायः आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र के प्राप्त होने में बडी कठिनाई एवं काफी समय लग जाता है, और इस प्रकार कार्य के संचालन में व्यवधान उतपन्न हो जाता है । अतः यह वांछनीय है कि इस सम्बन्ध में एवं ऐसे सरल एवं सुविधापूर्ण नियम बनाये जायें, ताकि भूमि उपलब्ध होने में एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलने में कठिनाई न होवे ।

पाँचवी योजना एवं वर्ष 75-76 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य क्रम पत्र 1 एवं 2 में अंकित हैं ।

स्म पत्र । वन

पाँचवी योजना परिव्यय (हजार रूपयों में)

क्रम सं०	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	1974-75 व्यय राज्य आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत
1-	आर्थिक महत्व के वृक्षों का लगाना				
2-	वन तैयार				
3-	भवन निर्माण एवं मरम्मत	25911-0	[illegible]46-0	1589-0	1365-0
4-	सिविल एवं सोयम वनों का विकास				
5-	वन्य जन्तु परिरक्षण				
6-	वन संरक्षण				
योग :-		25911-0	2646-0	1589-0	1365-0

रूप पत्र-2

क्रम सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियां	31/3/74 तक की उपलब्धियां	5वीं योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-	वन विभाग के प्रबन्धक के अन्तर्गत क्षेत्रफल।	हजार हेक्टर					
	(क) उत्तरकाशी वन प्रभाग	"	463-37	463-37	463-37	463-37	463-37
	(ख) यमुना वन प्रभाग	"	90-28	90-28	90-28	90-28	90-28
	(ग) टौन्स वन प्रभाग	"	141-32	141-32	141-32	141-32	141-32
		"	695-47	695-47	695-47	695-47	695-47
2-	व र्क प्लान क्षेत्र						
	(क) उत्तरकाशी	"	463-37	463-37	463-37	463-37	463-37
	(ख) यमुना	"	90-28	90-28	90-28	90-28	90-28
	(ग) टौन्स	"	141-32	141-28	141-28	241-32	141-28
			695-47	695-47	695-47	695-47	695-47
3-	आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र						
	(क) उत्तरकाशी (ख) यमुना (ग) टौन्स	हेक्टर	1771	4307	1000	130	150
		"	1771	4807	1000	180	150

क्र०सं०	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धिया	31/3/74 तक की उपलब्धिया	पाँचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4-	जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	हजार हेक्टर					
	(क) उत्तर काशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		-	-	-		-
	(ग) टौन्स		-	-	-		-
5-	ईंधन वाले वृक्षों का क्षेत्र						
	(क) उत्तर काशी		2-22	2-22	2-22	2-22	2-22
	(ख) यमुना		29-42	29-42	29-42	29-42	29-42
	(ग) टौन्स		23-33	23-83	23-83	23-83	23-83
			55-47	55-47	55-47	55-47	55-47
6-	भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र						
	(क) उत्तर काशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ग) टौन्स		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियां	31/3/74 तक की उपलब्धियां	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974 तक की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7-	सड़कों की लम्बाई (कच्चे मोटर मार्ग)	किमी0					
	(क) उत्तरकाशी		134-00	203-00	79-00	-	-
	(ख) यमुना		115-00	134-00	16-00	-	15-00
	(ग) टौन्स		72-00	78-00	17-00	5-00	4-00
			321-00	415-00	112-00	5-00	19-00
	पक्के मोटर मार्ग						
	(क) उत्तरकाशी		-	-	2-00	0-80	0-60
	(ख) यमुना		-	-	-	-	-
	(ग) टौन्स		-	-	-	-	-
			-	-	2-00	0-80	0-60
	पैदल मार्ग	,,					
	(क) उत्तरकाशी		338-00	338-00	-	-	-
	(ग) यमुना		360-00	360-00	-	-	-
	(ग) टौन्स		563-00	567-00	-	-	-
			1261-00	1261-00	-	-	-

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियां	31/3/74 तक की उपलब्धियां	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4-	जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	हजार हेक्टर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(क) उत्तर काशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		-	-	-		-
	(ग) टौन्स		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						
5-	इंधन वाले वृक्षों का क्षेत्र		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(क) उत्तर काशी		2-22	2-22	2-22	2-22	2-22
	(ख) यमुना		29-42	29-42	29-42	29-42	29-42
	(ग) टौन्स		23-33	23-83	23-83	23-63	23-33
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		55-47	55-47	55-47	55-47	55-47
6-	भूमि संरक्षण के अन्तगर्त क्षेत्र		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(क) उत्तर काशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ग) टौन्स		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियां	31/3/74 तक की उपलब्धियां	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974 तक की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7-	सड़कों की लम्बाई (कच्चे मोटर मार्ग)	कि0मी0					
	(क) उत्तरकाशी		134-00	203-00	79-00	-	
	(ख) यमुना		115-00	134-00	16-00	-	15.00
	(ग) टौन्स		72-00	78-00	17-00	5-00	4-00
			321-00	415-00	112-00	5-00	19-00
	पक्के मोटर मार्ग						
	(क) उत्तरकाशी		-	-	2-00	0-80	0-60
	(ख) यमुना		-	-	-	-	-
	(ग) टौन्स		-	-	-	-	-
			-	-	2-00	0-80	0-60
	पैदल मार्ग	,,					
	(क) उत्तरकाशी		338-00	338-00	-	-	-
	(ग) यमुना		360-00	360-00	-	-	-
	(घ) टौन्स		563-00	567-00	-	-	-
			1261-00	1261-00	-	-	-

८८

क्र०सं०	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धि	31/3/74 तक की उपलब्धि	पाँचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974 तक की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	रिवाइन रिक्लेमेशन	हजार हेक्टर					
	(क) उत्तरकाशी		-	-	-	-	-
	(ख) यमुना		-	-	-	-	-
	(ग) टौन्स		-	-	-	-	-
	योग		-	-	-	-	-
	अर्ध्लान के बाहर क्षेत्र						
	(क) उत्तरकाशी		2019	2019	2019	2019	2019
	(ख) यमुना						
	(ग) टौन्स						
			2019	2019	2019	2019	2019
10-	भूमि संरक्षण वनों प्रभाग का कार्यकलाप		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(क)	वृक्षा रोपण	हेक्टर					12-0
(ख)	चरागाह विकास	हेक्टर					35-0
(ग)	सीमांकन कार्य	हेक्टर					1000-0
(घ)	नर्सरी	हेक्टर					3-0
(ङ)	भूमि संरक्षण	हेक्टर					दो नालों में मातली व वारागढ़ी क्षेत्र में

-: सामुदायिक विकास :-

इस जनपद में सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत चार विकास खण्ड : भटवाड़ी, डुण्डा, नौगाँव एवं पुरोला है । इन विकास खण्डों के मुख्यालय इन्हीं स्थानों पर स्थापित है । इन चारों विकास खण्डों के कार्यालय भवनों का निर्माण बहुत वर्ष पूर्व हुआ था । और जो भवन बने हैं, वे पुराने प्लान के आधार पर निर्मित हैं । ये भवन प्रायः अच्छी दशा में भी नहीं हैं । विकास खण्ड डुण्डा एवं नौगाँव में कर्मचारियों के आवास हेतु प्राप्त सरकारी भवन नहीं बने हुए है, जिन्हें निर्मित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है । जो भवन प्रयोग में हैं, उनकी आवश्यकतानुसार मरम्मत होनी चाहिये, और इनके रखरखाव के लिए प्राप्त धन शासन से उपलब्ध होना आवश्यक है । भवनों का विद्युतीकरण भी आवश्यक है ।

विकास खण्ड मुख्यालयों में जीप गाड़ी के गैराज एवं भंडार भवन (स्टोर) तथा सहायक विकास अधिकारी टाइप आवास गृहो निर्माण की भी आवश्यकता है । यदि यह व्यवस्थायें हो जाती है, तो विकास खण्ड स्तर पर कर्मचारियों को सुविधा होगी तथा उनके कार्य की क्षमता भी बढेगी ।

सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत पाँचवी योजना एवं वर्ष 1975-76 के परिव्यय एवं व्यय रूप पत्र १ में अंकित है ।

रूप पत्र :- 1

पाँचवी योजना परिव्यय सामुदायिक विकास (हजार रूपयों में)

क्र०सं०	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	पाँचवी योजना परिव्यय योग	[illegible] परिव्यय राज्य आयोजनागत	1974-75 योग	व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	विकास खण्डों के भवनों का निर्माण एवं सुधार तथा विकास खण्डों के भवनों का विद्युतीकरण	39-0	39-0	4-3	4-3	4-3	4-3	14-0	14-0
	योग	39-0	39-0	4-3	4-3	4-3	4-3	14-0	14-0

-: पंचायत :-

भूमिका :-

जनपद का क्षेत्रफल 7836 वर्ग किलोमीटर है, तथा 1971 का जनगणना के अनुसार ग्रामीण अंचल की जनसंख्या 141785 है। जिसमें 74,020 पुरुष व 67765 महिलायें हैं। इस जनसंख्या में 33668 हरिजन तथा 274 जनजाति के लोग हैं। कुल ग्रामों की संख्या 692 है जो 4 विकास खण्डों में बटे हैं। पंचायतों के चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के पश्चात् जनपद के गांव सभाओं की कुल संख्या 282 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 36 हो गयी है। चतुर्थ योजना काल में 280 ग्राम सभायें एवं 32 न्याय पंचायतें थीं। इस योजनावधि में ग्राम सभा भटवाड़ी (विकास खण्ड भटवाड़ी) तथा ग्राम सभा दड़कोट (विकास खण्ड नौगांव) नगर समिति क्षेत्र में, गांव सभाओं की सहमति से शासन द्वारा परिवर्तित किये गये और पंचायतों के निर्वाचन से पूर्व ग्राम सभाओं की संख्या 279 के स्थान पर 278 रह गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1971 के जनगणना के आधार पर 25,702 पुरुष तथा 2791 महिलायें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित हैं जिनका प्रतिशत 20.09 है। गांव पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः 2122 तथा 630 है।

पंचायतों की स्थापना से प्रदेश के प्रत्येक गांव को एक गणतन्त्र ढांचे के अन्तर्गत स्वालम्बी और साधन सम्पन्न बुनियादी इकाई के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से था। अब तक पंचायती राज्य व्यवस्था के अधीन त्रिस्तरीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास जिला परिषद की स्थापना न होने के कारण पूर्ण रूपेण न हो सका। अब जनपद में जिला परिषद का गठन हो चुका है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संस्थाओं के सर्वाङ्गीण विकास के लिये उत्तरदायी बनाना है, जिससे वे अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः बेरोजगारी तथा गरीबी से निपटने के लिये दीर्घकालीन परियोजनाओं का समावेश किया गया है।

चौथी योजना तक हुई प्रगति :-

जिले के नौगांव विकास क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1961-62 में ग्रामीण ग्रह निर्माण योजना के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों को 20,000.00 रु0 ऋण दिया गया 9 व्यक्तियों ने अपने ऋण का उपयोग किया है शेष 7 व्यक्तियों में जिन्होंने ऋण का उपभोग नहीं किया से सम्पूर्ण ऋण की वसूली हो चुकी है साथ ही यह योजना उक्त वर्ष के उपरान्त बन्द कर दी गई है।

(2) चौथी योजना काल में ग्राम सभाओं को उनके आय के साधन जुटाने एवं वृद्धि करने के लिए 5 ग्राम सभाओं को 17500 रुपया का ऋण दिया गया वर्ष 1969-70 में ग्राम सभा मैल्ला को 3500 रुपया वर्ष 1970-71 में ग्राम सभा कुराड़ी को 3500 रुपया व ग्राम सभा बड़कोट को 3500 रु0, वर्ष 1971-72 में ग्राम सभा गडोली को 3500 रु0 व वर्ष 1972-73 में ग्राम सभा गवाड़ा को 3500 रु0 ऋण दिया गया। सभी ग्राम सभाओं ने ऋण का उपयोग किया है और योजना से सम्बन्धित ग्राम सभा को लगभग 240 रु0 प्रति वर्ष आय हो रही है।

(3) वर्ष 1972-73 व 1973-74 में विभाग द्वारा जन साक्षरता योजना के अन्तर्गत क्रमशः 32 व 31 कक्षाएं 6-6 माह की चालू की गई जिससे दोनों वर्षों में 1542 प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने सम्बन्धी है।

सीमा सड़क परियोजना :-

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों 1972-73 व 1973-74 में योजना के अन्तर्गत कुल 190 [illegible] रु0 का आवंटन सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था जिसमें से वर्ष 1972-73 में 95411 रु0 की लागत से 3 आर0सी0सी0 पुल तथा 6-5 कि0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 1973-74 में 90315 रु0 के आवंटन से 4 आर0सी0सी0 पुलों का निर्माण कराया गया। यह योजना भी वर्ष 1974-75 से [illegible] की गई है।

पंचायत उद्योग

डुण्डा :-

पंचायत उद्योग डुण्डा की स्थापना 15 अगस्त 1973 ई0 को गई थी, संयुक्त समिति, प्रबन्ध समिति गठन कर उसकी उपनियम पास करवाये गये। विकास खण्ड डुण्डा की 93 ग्राम सभाओं में से 79 ग्राम सभाओं द्वारा अंशदान प्राप्त हुआ, कुल 4913 रु0 की प्रारम्भिक पूँजी एकत्र की गई। सर्व प्रथम लकड़ी से कोयला बनाने का कार्य संयुक्त समिति तथा प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव के आधार पर [illegible] छोटा नागे तोक जो नाकुरी मोटर सड़क से नजदीक पड़ता है, कार्य के लिए चुना गया इस सम्बन्ध का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट महोदय को भेजा गया। वन विभाग तथा तहसील की संयुक्त जाँच के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 250 पेड़ों की स्वीकृति दी गई। उक्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात

2 दिसम्बर 1973 से कार्य प्रारम्भ किया गया। ~~250 स्वीकृत पेडों में से केवल~~ 203 पेड ही लिए गये। वर्ष 1973-74 के चार माह अर्थात दिसम्बर 1973 से मार्च 1974 तक 23645 रु0 का माल उत्पादित किया गया। कतिपय कारणों से 8457 रु0 की बिक्री हुई और 15188 रु0 का माल बिना बिके पड़ा रहा ... कार्य के बाद पुनः 74-75 में कार्य आरम्भ किया गया और 16984 रु0 का माल उत्पादित किया गया। अन्य क्रय की गई वस्तुओं के सहित इस वर्ष 31667-30 रु0 की बिक्री की गई। केवल 1999 रु0का माल अवशेष रहा। एक साल तीन माह कार्य के पश्चात अब उद्योग की कार्यकारी पूँजी नकद 20000 रु0 हो गई है जिसमें 9560-98 शुद्ध लाभ है। वर्तमान समय में उद्योग रिंगाल से बनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जैसे फलोपाल, चटाइयाँ, टोकरी आदि हैं।

अटवाड़ी :-

पंजीकृत उद्योग अटवाड़ी की स्थापना दिनांक 2-8-67 में की गई थी। संयुक्त समिति, प्रबन्ध समिति गठन कर सार्थ उपनियम पास करवाये गये। जिला पञ्चायत अटवाड़ी को 43 ग्राम सभाओं द्वारा 6454 रु0 अंशदान प्राप्त हुआ। कुल 6454 रु0 की कार्यकारी पूँजी एकत्र की गई। उद्योग द्वारा रिंगाल से बनी वस्तुओं शौचालय सेट चूना निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया इसके साथ-2 पत्थर की सिलिट निकालने का कार्य भी किया गया। उद्योग ने प्रारम्भ से अबतक 24032=37रु0का उत्पादन एवं क्रय का कार्य किया, और 22738-37 रु0 की बिक्री का कार्य किया। इस प्रकार उद्योग को अब तक 8 वर्ष में 940-41 का शुद्ध लाभ हुआ। इस वक्त उद्योग के पास 1294 रु0 का माल अवशेष पड़ा है, और उद्योग के पास वर्तमान समय में अवशेष माल के अतिरिक्त 6315 रु0 बैंकों में जमा है। 323 रु0 नकद हाथ में, तथा 467 रु0 उधार में हैं। इस प्रकार अब तक उद्योग की पूँजी 6454 रु0 के स्थान पर 8399 रु0 हो गई है। अब पंचवर्षीय योजना में शौचालय सेट प्रतिवर्ष 200 तैयार करने, ब्लैक बोर्ड, मेज कुर्सी बनाने का विचार है। प्रत्येक वर्ष 200 मेज, 200 कुर्सी, 200 ब्लैक बोर्ड तैयार करवाये जायेंगे। प्रति वर्ष 20000 रु0 का उत्पादन किया जायेगा और 22000 रु0 की

विक्री की व्यवस्था की जायेगी , ... में ... किया जायेगा

।- पाँचवी योजना के क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य तथा नीति :-

पाँचवी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विभाग द्वारा निम्न तीन योजनायें ही स्वीकृत हैं :-

(क) पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण

इस योजना का कार्यान्वयन प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जाता है । योजना का मूल उद्देश्य पंचायतों के कार्य करने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी सुलभ करना है । पाँचवी योजनाकाल में जिले में 4 पंचायत सेवक प्रशिक्षित करना है ।

(ख) पंचायतों को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना:-

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 3 ग्राम सभाओं को नकद पारितोषिक दिये जाने की योजना है जिसका मूल उद्देश्य यह है कि ग्राम सभायें स्वयं अपने आप आत्मनिर्भर बनें। योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ग्राम सभा को क्रमशः 3000, 1000 व 400 रुपया का नकद पारितोषिक दिया जायेगा, यह योजना 1973-74 से चालू की गई इस हेतु वर्ष 1975-76 के लिये 4 46 2 रु0 का आवंटन प्राप्त हो चुका है।

(ग) पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना:-

प्रशिक्षण की योजना का उद्देश्य पंचायत पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वाहन से परिचित कराना है। वर्ष 1973-74 व 74-75 में सरपंचों के प्रशिक्षण केन्द्र आयोजन किये गये, जिसमें 90 सरपंचों तथा सहायक सरपंचों को प्रशिक्षण दिया गया ग्राम सभाओं के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था वर्ष 1975-76 से की गई है। इस वर्ष 5 0 पदाधिकारी प्रशिक्षित किये जायेंगे। जिन पर 36 48 रु0 व्यय होने का अनुमान है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के ~~अन्तर्गत~~ अन्त तक । 90 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जावेगा । जिस पर पूरी योजनावधि में 16 38। रु0 व्यय होने का अनुमान है।

चालू योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण:-

विभाग द्वारा ... योजनाओं की परियोजनाओं के निमित्त विशेष धन आवंटित न किये जाने के फलस्वरूप पंचायतों के विकास

को विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। वर्तमान समय में न्याय पंचायत केन्द्रों से ग्राम सभाओं की दूरी काफी अधिक है। कई ग्राम सभाओं में सम्मिलित ग्रामों की दूरी 5 से 8 किलोमीटर तक है। इनके पुनर्गठन की भी आवश्यकता है।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यः-

पांचवीं योजना के अन्तर्गत जितनी भी परियोजनायें परिलक्षित की गई है वे सभी दीर्घकालीन महत्व की है। जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रमः-

भौगोलिक तथा स्थानीय स्थितियों के आधार पर पंचम योजना में ऐसी ही योजनायें रखी गई हैं जो उपयुक्त है। योजनाओं की प्राथमिकतायें [illegible] स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल योजनाओं के स्वीकृत होने पर क्षेत्र समितियों से ही प्रतिवर्ष प्रस्तावित होगी।

आवश्यक संशोधन तथा उनका सुधार जानाः-

विधानतः विधानीय बजट से ही योजनायें सम्पादित की जा सकेगी।

संस्थागतः- संस्थाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है। कर वसूली से जो आय होती है, वह नाममात्र है जो पंचायतों की प्रशासकीय एवं लेखन सामग्री क्रय हेतु भी पूरी नहीं होती। श्रमदान द्वारा कार्य करवाये जा सकते है जैसे, कच्चे मार्गों का निर्माण, मरम्मत, पुलों का निर्माण एवं मरम्मत।

जनपोषित कार्यों।

भौतिक साधनों तथा कुशल व्यक्तियों की आवश्यकताः-

पंचायत उद्योगों के समग्र रूप से प्रारम्भ होने पर विभिन्न उद्योगों में विशेष शिक्षित व्यक्तियों को लगाया जायेगा जिसका विवरण योजना की रूप रेखा में भौतिक एवं वित्तीय रूप से दर्शाया गया है।

शासन के विचार हेतु प्रश्नः-

पंचायत राज अधिनियम एवं तदन्तर्गत नियमावली में पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिये जाने की आवश्यकता है।

~~जिससे सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ ग्राम राज्य का साकार स्वरूप प्राप्त होकर। अपने विभिन्न कार्यकलापों के निर्वाहन करने में यथा समय जागरूक हो सकें।~~
~~ग्रामीण इकाइयाँ आत्मोत्सर्गित~~

पंचायतों के इस प्रकार विकेन्द्रीकरण के साथ साथ ग्राम राज्य का साकार स्वरूप प्राप्त होकर... ग्रामीण इकाइयाँ आत्मोत्सर्गित होकर अपने विभिन्न कार्यकलापो के निर्वाहन करने में यथासमय जागरूक हो सके।

जिला उत्तर काशी — प्रपत्र 1 — (हजार रुपयों में)

पांचवी योजना परिव्यय

क्र0 सं0	कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय 1974-1979: राज्य आयोजनागत	पांचवी योजना परिव्यय 1974-1979: योग	परिव्यय 1974-75: राज्य आयोजनागत	परिव्यय 1974-75: योग	व्यय: राज्य आयोजनागत	व्यय: योग	1975-76 का परिव्यय: राज्य आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय: योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	मद/ उपमद								
1-	पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण								
2-	पंचायत राज संस्थाओं का प्रोत्साहन	122-0	122-0	7-0	7-0	6-0	6-0	10-0	10-0
3-	पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण								
	(क) सरपंच तथा सहायक सरपंच								
	(ख) प्रधान/ उप प्रधान								
	योग :-	**122-00**	**122-0**	**7-0**	**7-0**	**6-0**	**6-0**	**10-0**	**10-0**

रूप पत्र :- 2

जिला उत्तरकाशी पंचायती योजना का कार्यक्रम संशोधित लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ ।

क्र० सं०	कार्य मद	इकाई	चौथी योजना काल में उपलब्धियाँ	चौथी योजना के अन्त तक उपलब्धियाँ	पाँचवी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 75-76 का लक्ष्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्राम्य गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण	व्यक्ति	- [illegible]	14 व्यक्ति 135-	- 3-	- 3-	6- 6-	योजना एक ही वर्ष चालू हुई फिर बन्द हो गई
2-	उत्पादन परिसम्पद के सृजन एवं अधिकरण हेतु ऋण	ग्राम सभायें	5	5	-	-	-	-
3-	पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण	संख्या	5	15	4	-	1	-
4-	ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना	ग्राम सभायें	7	7	15	3	3	-
5-	पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण							
	(क) सरपंच	व्यक्ति	45	45	54	45	..	-
	(ख) प्रधान	-	-	-	190	-	50	-

ग्रामीण अभियन्त्रण :-

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1972-73 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का शुभारम्भ किया । इसका उद्देश्य विभिन्न विकास विभागों के निर्माण कार्यों में तकनीकी सलाह एवं उनकी देख रेख करना है । इसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में निहित होगा । इस विभाग द्वारा 3 किलोमीटर तक की ग्रामीण लिंक मार्गों का निर्माण, पुल एवं पुलिया निर्माण, नालियों, हरिजन आवासीय भवनों का निर्माण, पशुचिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों, ग्रामीण पेयजल साधनों का निर्माण, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आवास - ग्रह - साइटस का विकास, आदि करना है । इसके अतिरिक्त यह विभाग ग्राम सभाओं को उनके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में भी तकनीकी सलाह देने का भी कार्य करता है ।

उत्तरकाशी जनपद में यह विभाग वर्ष 1972-73 से ही कार्य कर रहा है । इस विभाग द्वारा अपने बजट का कोई कार्य अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है ।

मार्च 1974 तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा 13 हरिजन गृहों का निर्माण कराया गया है । क्योंकि इस सेवा द्वारा अपना कोई कार्य नहीं किया जाता है, अतः पाँचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लक्ष्यों की जानकारी अभी अप्राप्त है ।

वर्ष 1975-76 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जो कार्य सम्पादित किये जायेंगे, उन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जा रहा है ।

क्र०सं०	कार्यक्रम	इकाई	मार्च 1974 तक प्रगति	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1.	हरिजन गृहों का निर्माण	संख्या	13	-	-
2.	शेष क्षेत्र (जिरौर) में				
	(अ) तारबाड	,,	-	-	1
	(ब) रवालगाव	,,	-	-	1
	(स) पम्प हाउस	,,	-	..	1
3.	हरसिल गंगोरी मार्ग में खण्डजा बिछाना	कि०मी०	-	-	1-10
4.	नाकुरी उपमार्गों में खण्डजा निर्माण	,,	-	..	0-75
5.	उत्तरकाशी में स्टेडियम का निर्माण	संख्या	-	-	1

6- मत्स्य विभाग के कार्यालय एवं प्रयोगशाला	संख्या	-	-	[illegible]
7- डेयरी निर्माण (हल्द्वानी)	,,	-	-	[illegible]
8- साँड प्रसार केन्द्र	,,	-	-	2
9- राजस्व विभाग के भवन	,,	-	-	2

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिकांशतः सभी कार्य डिपोजिट (Deposit works) द्वारा किए जाते हैं। भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा ही किया जाना है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 1975-76 में 4-94 लाख रुपयों के कार्य का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास दल

यह संस्था स्वेच्छा से कार्य करने वाले व्यक्तियों को निर्माण में प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य करती है । इसके अतिरिक्त यूथ क्लबों, द्वारा सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है जिसमें वनीकरण मेलों का आयोजन मत्स्य विकास, फलोत्पादन, कुक्कुट विकास, तीर्थ यात्राओं का आयोजन आदि प्रमुख है । म ग्रामीण जनता में सहकार्य एवं सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है ।

1- भूमिका :- यह दल अभी तक नान प्लान के अन्तर्गत रहा और इस वर्ष से यह प्लान में सम्मिलित किया गया है ।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

अभी तक जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, उनके सुधार-मरम्मत एवं रख रखाव की आवश्यकता है ।

3- वर्तमान योजनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी :-

चालू योजनाओं एवं पूर्व की पूर्ण योजनाओं के रख रखाव के लिए शासन से यथेष्ट बजट समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण कराने में व्यवधान बना रहता है ।

4- योजना का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

योजना प्रारम्भ होने से ग्रामीण मार्गों का सुधार और [illegible] ग्रामों का उत्थान तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में उन्नति, इसके अलावा युवकों का शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा ।

5- योजना कार्यान्वयन की नीति :-

प्रत्येक विकास खण्डों में ग्रामीण स्वयं सेवकों और युवक मंगल दलों की सहायता से योजनानुसार कार्य सम्पादन ।

6 - योजनाओं के संचालन अथवा सम्पादन में प्राथमिकता के निर्धारण :-

ग्रामीण जनता में सहकार्य और सह अस्तित्व की भावना तथा जन जागृति के साथ ग्रामीण मार्गों का सुधार प्रस्तावित है, जो श्रमदान से कराये जायेंगे । पाँचवी योजना व वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजनान्तर्गत युवक क्लबों की सहायता विकास खण्ड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के प्रस्ताव हैं । इसके

अतिरिक्त 20 युवक कलबों से फलदार पौधों के वितरण का लक्ष्य है ।

7- साधन जुटाने के श्रोत :-

विभागीय आयोग स्वयं सेवक दल तथा युवक मंगल दल ।

8- विकास योजनाओं के लिए स्थानीय जानकारी :-

प्रशिक्षित क्षेत्रीय संगठन कर्ता इसमें योगदान करेंगे ।

9- शासन के विचारार्थ प्रश्न :-

बजट की स्वीकृति, इसके अतिरिक्त पशु एवं रेकडों को दर्ज किया जाना आवश्यक है ।

स्टेटमेंट – सापत्र।

जिला – उत्तरकाशी।
पांचवीं योजना परिव्यय — प्रादेशिक विकास दल — हजार रुपयों में

क्रमसं0	कार्यक्रम	पांचवीं योजना परिव्यय: राज्य सा0 योजनागत	पांचवीं योजना परिव्यय: जिला	1974-75 परिव्यय: राज्य आयोजनागत	1974-75 परिव्यय: जिला	1974-75 व्यय: राज्य आयोजनागत	1974-75 व्यय: जिला	1975-76 का परिव्यय: राज्य आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय: जिला
1	2	3	4	5	67	7	8	9	10
1	व्यायाम/प्रशिक्षण शिविर	-	-	-	-	-	-	-	-
2	[illegible]/[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	औजार	-	-	-	-	-	-	-	-
4	खेल-कूद आयोजन	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
5	समाज सेवा कार्य	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
6	जिला स्तर पर युवक समिति	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
7	युवक मंगल दल बनाने में प्रोत्साहन एवं सहायता।	5.0	5.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
8	खेल [illegible] का रख रखाव।	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[illegible] प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-
10	[illegible] स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता एवं क्लबों की सहायता	5.0	5.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

जिलाः- उत्तरकाशी

पांचवीं योजना परिव्यय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-शल्यकता पर प्रतियोगिता		-	-	-	-	-	-	-	-
12-व्यायामशाला स्टोर हेतु अनुदान		-	-	-	-	-	-	-	-
13- तैराकी प्रशिक्षण		-	-	-	-	-	-	-	-
14-आकस्मिक प्रतियोगिता व्यय		4.0	4.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
15-अधिष्ठान पर व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-
योग		34.0	34.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

जिला:- उत्तरकाशी पाँचवी योजना का कार्यक्रम —— भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्र0सं0	मद	इकाई	चौथी योजना काल में उपलब्धियाँ	चौथी योजना के अन्त तक उपलब्धियाँ	पाँचवी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रमदान/प्रशिक्षण शिविर:-	ब्लाक					
	(क) श्रमदान/प्रशिक्षण शिविर संख्या	,,	-	-	-	-	-
	(ख) शिक्षार्थियों की संख्या	,,	-	-	-	-	-
	(ग) ग्रामीण नागरिक निर्माण (कि0मी0)	,,	-	-	-	-	-
	स्वयं सेवक संगठन (क) ब्लाक कमाण्डर/हल्कादार/दलपति को वर्दी की संख्या	,,	-	-	140	4	3
	युवक सेमिनार	जनपद	-	-	5	-	-
	व्यायामशाला प्रशिक्षण	जनपद					
	(क) शिक्षार्थियों की सं0	,,	-	-	-	-	-
	विकास स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितायें	ब्लाक					
	(क) खेलकूद प्रतियोगिता संख्या	,,	-	-	20	4	4
	(ख) प्रतियोगियों की संख्या	,,	-	-	1000	200	400
	(ग) क्रीड़ा केन्द्र संख्या	,,	-	-	20	4	4
	नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर	जनपद	-	-	5	-	-
	(क) शिक्षार्थियों की संख्या	,,	-	-	250	-	-

रूप पत्र-2

जिला:- उत्तरकाशी पांचवी योजना का कार्यक्रम --- भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

1	2	3	4	5	6	7	8
	अन्य जनपोषित कार्य						
	ग्रामीण संयोजक मार्ग पर ख्यात	रु0 लाख	-	-	-	-	4कि0मी0
	पुल निर्माण	,,	-	-	-	-	2कि0मी0
	पुल निमराति	,,	-	-	-	-	4कि0मी0
	तलाव खुदाई	,,	-	-		-	-
	नाला, निर्माण एवं परस्पतसंख्या	,,	-	-	-	-	-
	लगाये गये वृक्षों की संख्या	,,	-	-	-	539	2000
	वितरित पौधों की संख्या	,,				2791	2000
	योग						

सहकारिता

भूमिका :-

सन् 1956 से पूर्व जिले में कोई सहकारी संस्था नहीं थी, वर्ष 1950-51 में सहकारिता का संगठन अटटों सैयों के रूप में किया गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के जन साधारण के लिए कपड़ा, नमक व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराना था। जिला स्थापित होने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी 669 ग्राम सहकारिता परिधि के अन्तर्गत आ चुके थे। सहकारी विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के अन्त तक की स्थिति नीचे दी गई है।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

(क) सहकारी संघ तथा अधिप्रेषण योजना, इसयोजना के अन्तर्गत शासन से 3 सहकारी निरीक्षक तथा 36 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत थे, जिनमें कार्यरत कर्मचारियों के प्रयास से प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। जिले में 31-3-75 को 51 प्राइमरी सहकारी समितियाँ पंजीकृत थी जिनकी सदस्य संख्या 17829 हिस्सा पूँजी 9-75 लाख और कार्यशील पूँजी 3-43 लाख रुपये थे। इन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 27-73 लाख रुपयें अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण के रूप में दिये गये। 27-00 लाख रुपये अल्प एवं मध्यकालीन ऋण वसूल किया गया और 45-57 लाख रुपया मध्य एवं अल्पकालीन ऋण कृषकों पर लगा हुआ था जिसमें से 8-80 लाख रुपये कालातीत के रूप में था। जिले के कृषकों की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं उनमें प्रगति की भावना प्रेरित करने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला सहकारी बैंक एवं उसकी तीन शाखायें लिस्यानी मोड़, बड़कोट एवं पुरोला में कार्य कर रही है। जिला सहकारी बैंकमें 50 सहकारी संस्थायें सदस्य हैं। बैंक का हिस्सा पूँजी 9-00 लाख रुपये व बैंक में अमानत जमा समितियों का 2-12 लाख रुपये है। बैंक का अपनी सदस्य समितियों पर 23-33 लाख अल्पकालीन व 14-71 लाख रुपये मध्यकालीन ऋण लगा हुआ था जिसमें से 21-33 लाख रुपये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण कालातीत अवशेष के रूप में है।

(अ) सहकारी क्रय विक्रय एवं सम्पूर्ति योजना, जिले में जिला सहकारी उपभोक्ता क्रय विक्रय संघ लि0 उत्तरकाशी, अपनी तीन शाखाओं के साथ कार्यरत है। ये शाखायें डुण्डा, बड़कोट व नकुरवाल में कार्यरत है। संघ दवारा कपड़ा एवं अनाज आदि के फुटकर वितरण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है जिसके लिए संघ दवारा चिन्यालीसौड़, हर्षिल व बड़कोट में सेल डिपो स्थापित किए गये है, जिनका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। संघ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजनान्तर्गत 4 सहकारी निरीक्षक, राजकीय पर्यवेक्षक एवं कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ब) जड़ी बूटी योजना। कृषकों की आय में वृध्दि करने के उद्देश्य से जड़ी बूटी विकास योजना चलायी गई है, जिसके लिए धराली बैंक के अन्तर्गत एक जड़ी बूटी फार्म प्रदर्शन इकाई जिसका क्षेत्रफल 7 एकड़ है, स्थापित की गई है। जिसके स्थापना से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी का उत्पादन कर यहाँ के कृषकों को ज्ञान अर्जन कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत शासन दवारा एक कृषि पर्यवेक्षक, एक सहायक विकास अधिकारी, तीन वर्गीकरण सहायक, 8 जड़ी बूटी पर्यवेक्षक और तीन अटेन्डेन्ट के पद स्वीकृत हैं। वर्ष 1974-75 में उपरोक्त 7 एकड़ के अतिरिक्त 24-16 एकड़ भूमि में जड़ी बूटी की कृषि हेतु अनुदान भी दिया गया था।

3 - चालू विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

चतुर्थ योजना तक सहकारी समितियाँ एवं जिला सहकारी बैंक ही किसानों की आवश्यकता के लिए ऋण वितरण कार्य करते रहे। जिले में भूमि विकास बैंक की स्थापना न होने के कारण किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। किसानों की उपज, फल, अनाज, ऊन आदि लिए विशेष प्रकार की समितियों का गठन किया जाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चाय बागानों एवं शीत भण्डारों तथा जड़ी बूटी शोध कार्यक्रम अभी तक जिले में नहीं लिया गया है।

4 - दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

किसानों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने एवं उनको सहकारी साधनों का अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए गये हैं :-

(क) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना :-

(1) सैक्टर :- पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 45 साधन सहकारी समितियाँ कार्य करेंगी। पंचम पंचवर्षीय योजना में इन समितियों में सदस्य संख्या 60 00 एवं हिस्सा पूंजी 1-20 लाख रुपये वृध्दि होने का लक्ष्य है। इन समितियों दवारा पांचवी योजना के अन्त तक 100-00 लाख रुपया अल्पकालीन एवं 45-000 लाख रुपया मध्यकालीन ऋण वितरित किया जायेगा

(2) जिला सहकारी बैंक :- पंचम योजना में बैंक अपनी 3 शाखाओं के साथ -

कार्य करने में पूर्ण सक्षम हो गया है। सहकारी समितियों द्वारा जिला सहकारी बैंक के 0.40 लाख रुपये की पूंजी व 6-00 लाख रुपये जमा पूंजी वृद्धि का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(ब) क्रय विक्रय एवं सम्पूर्ति योजना :-

योजना के अन्तर्गत पंचम योजना में 22 ग्रामीण गोदामों के निर्माण का का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(ग) भेषज विकास योजना :-

योजनान्तर्गत 40 हेक्टर भूमि में जड़ी बूटी की कृषि करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, इसके साथ ही 4 जड़ी बूटी समितियों का संगठन व। भेषज विकास सहकारी समिति का गठन करना भी प्रस्तावित है। यह समिति विकास खंड भटवाड़ी के स्थान भटवाड़ी में वर्ष 1975-7 में संगठित की जायेगी।

(घ) विशेष प्रकार की सहकारी समितियों का संगठन :-

पंचम योजना में निम्न विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के संगठन के लक्ष्य का प्रस्तावित है :-

1- ऊन क्रय विक्रय सहकारी समिति।

2- दुग्ध विकास सहकारी समिति :- योजना के अन्त तक 3000 लीटर दूध की दैनिक बिक्री की जायेगी।

3- ट्रान्सपोर्ट सहकारी समिति :- जनपद में यातायात की सुविधा व्यवस्था बनाने हेतु एक समिति के संगठन का लक्ष्य रखा गया है।

4- लीसा सहकारी समिति।

5 - फल एवं सब्जी संस्था क सहकारी समिति।

5- विकास की नीति

सहकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भूमि विकास बैंक की स्थापना जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं को खोलकर सहकारी समितियों को सुदृढ़ कर कार्यक्रम सफल बनाये जायेंगे।

66 - प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम -

प्राथमिकता के आधार पर सहकारी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से जिले में भूमि विकास बैंक की स्थापना, ऊन, दुग्ध, फल एवं अनाज की समितियों का गठन किया जाना तथा जड़ी बूटी शोध कार्यक्रम की स्थापना की जावे।

7- संसाधनों का जुटाया जाना तथा स्रोतों :-

सहकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अधिक हिस्सा पूंजी एवं अमानत की वृद्धि की जावेगी एवं शासन से ऋण व सहायता अपेक्षित है।

8- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

सहकारी कार्यक्रमों के लिए क्षेत्र में अनाज, फल, ऊन, दुग्ध तथा जड़ी बूटी की पैदावार स्थानीय रहेगी। कुशल श्रमिक स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जायेंगे। जिसके लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

9- शासन के लिए विकरणों प्रश्न :-

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना में शासन द्वारा अशोध्य ऋण संचय हेतु अनुदान चतुर्थ योजना में प्रस्तावित था जिसके न मिलने से समितियों में कतिपय सदस्यों से ऋण की वसूली किसी भी प्रकार न होने से इस ऋण की राशि को समितियों को स्वयं वहन करना पड़ता है, और समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की जगह शिथिल पड़ जाती है। यहाँ के कृषकों को अल्पकालीन ऋण की जगह मध्यकालीन ऋण की मांग है। अतः मध्यकालीन ऋण की समुचित पूर्ति आवश्यक है।

क्रय विक्रय व सम्पूर्ति योजना का उद्देश्य जनपद के कृषकों के लिए अतिरिक्त उपज की हाट व्यवस्था एवं उपभोक्ता वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है, लेकिन मण्डी की सुलभता एवं यातायात की समुचित व्यवस्था न होने से योजना सफलतापूर्वक नहीं चलायी जा रही है। अतएव जनपद में रेगुलेटेड मण्डी का होना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्रय विक्रय एवं सम्पूर्ति संघ को 2 ट्रकों (माल वाहनों) के लिए ऋण एवं अनुदान दिया जाना आवश्यक है।

वनौषधियों के निकालने का ठेका वन विभाग द्वारा बिना निविदाओं के दिया जाता है। इसमें सहकारी समितियाँ व्यक्तिगत ठेकेदारों के आगे ठेका प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में प्रदर्शन इकाइयाँ स्थापित की जाय, ताकि यहाँ के कृषकों को वनौषधियों की पहिचान व कृषिकरण का ज्ञान प्राप्त हो सके। भेषजों के प्रशोधन के लिए भेषज प्रशोधन इकाइयों का निर्माण जनपद में किया जाय ताकि यहां की जड़ी बूटियाँ यहीं

आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण हो सके तथा स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त हो सके।

4- कार्यक्रमवार पाँचवीं योजना तथा वार्षिक योजना 1974-75 एवं 1975-76 की तुलना

क्रम सं0	कार्यक्रम/मद	इकाई	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
1-	सहकारी उधार एवं बैंकिंग योजना				
	अ- प्राइमरी सहकारी समितियों में				
	1- सदस्यता वृद्धि	संख्या	6000	1893	2000
	2- हिस्सापूँजी वृद्धि	(रु0 लाखों में)	1·20	1·18	0·40
	3- अमानत वृद्धि	"	-	1·56	-
	4- ऋण वितरण				
	1- अल्पकालीन	"	93·00	26·76	20·00
	2- मध्यकालीन	"	46·00	2·89	9·20
	5- जिला सहकारी बैंक में				
	1- शाखा जिला सहकारी बैंक संख्या		1	1	[illegible]
	2- हिस्सापूँजी वृद्धि	(रु0 लाखों)	0·40	0·80	0·10
	3- अमानत वृद्धि	"	[illegible]·00	2·68	4·00
2-	सहकारी क्रय विक्रय एवं सम्पूर्ति योजना				
	1- गोदाम निर्माण	संख्या	22	-	1
3-	जड़ी बूटी विकास योजना				
	1- जड़ी बूटी के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र	हेक्टर में	40	-	8
	2- जड़ी बूटी संग्रहण		3·70	-	0·80

सहकारिता से सम्बन्धित पाँचवी योजना व वर्ष 1975-76 के [illegible] वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट 1 व 2 में प्रदर्शित हैं।

-112-

रूप पत्र :- 1 -

जिला उत्तरकाशी

पाँचवी योजना परिव्यय

(हजार रूपये)

क्र० सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	[illegible] केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	परिव्यय 1974-75 संस्थागत	1974-75 योग	1975-76 का परिव्यय संस्थागत	1975-76 का परिव्यय योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सहकारिता								
1-	सहकारी उधार एवं बैंकिंग योजना	—	370-000	-	370-000	150-00	160-00	155-000	155-00
2-	सहकारी क्रय विक्रय एवं सम्पूर्ति योजना	—	231-900	206-400	433-300	13-200	13-200	143-000	143-00
3-	जड़ी बूटी विकास योजना	—	254-300	-	254-300	23-000	23-000	-	-
4-	दुग्ध उत्पादन श्रम सहकारी समितियाँ	—	38-000	-	33-000	-	-	-	-
	योग :-	—	894-200	206-400	1100-600	196-200	196-200	298-000	298-000

नोट:- वर्ष 1974-75 के वास्तविक व्यय शून्य है।

रूप पत्र :- 2 -

(सहकारिता) जिला उत्तरकाशी पांचवी योजना का कार्यक्रम — भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्र० सं०	मद	इकाई	31/3/1969 तक की उपलब्धियाँ	31/3/1974 तक की उपलब्धियाँ	पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	बैंक						
(क)	जिला सहकारी बैंक						
1-	बैंकों की संख्या	संख्या	1	1	-	-	-
2-	शाखाओं की संख्या	,,	2	3	4	1	-
3-	अंश पूंजी	हजार रूपये	300-000	900-000	40-000	80-000	10-000
4-	चालू पूंजी	,,	5037-00	6063-000	-	6617-000	-
5-	जमा धनराशि	,,	90-000	212-000	600-000	268-000	400-000
6-	ऋण वितरण						
क-	अल्प कालीन	,,	1500-000	1735-000	9300-000	2565-000	2000-000
ख-	मध्य कालीन	,,	462 046-000	1038-000	4600-00	983-00	1903-000
ग-	भूमि विकास बैंक	संख्या	-	-	-	-	-
घ	शाखा की संख्या	,,	-	-	-	-	-
2-	दीर्घकालीन ऋण वितरण	,,	-	-	-	-	-
2-	प्राथमिक ऋण समितियाँ						
1-	समितियों की संख्या	संख्या	62	51	-	-	-
2-	सदस्यता	हजार में	12	18	6	2	2
3-	अंश पूंजी	,, रू०	463-00	975-00	120-00	118-00	40-00
4-	चालू पूंजी	,,	2733-00	5200-00	-	-	-
5-	जमा धनराशि	,,	114-00	343-00	-	156-00	-
6-	अल्पकालीन ऋण विवरण						
क-	नगद	,,	1100-00	1735-00	9800-00	2565-00	2000-00
ख-	वस्तु के रूप में	,,	51-00	263-00	-	111-00	-
7-	मध्यकालीन ऋण वितरण	,,	483-00	1038-00	4600-00	983-00	1903-00

1	2	3	4	5	6	7	8
3	क्रय विक्रय समितियाँ						
	1- समितियों की संख्या	संख्या	1	1	1	1-	1
	2- सदस्यता	हजार में	1-00	,0-500	-	-	-
	3- निजी पूंजी	,, रु0	100-00	200-00	-	-	-
	4- विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	-	-	-	-	-
	(क) उर्वरक	,,	-	-	-	-	-
	(ख) बीज	,,	-	-	-	-	-
	(ग) खाद्यान्न	,,	300-00	427-00	-	140-00	-
	(घ) अन्य	,,	240-00	643-00	-	650-00	-
4-	सहकारी विधायन समितियाँ						
	(1) समितियों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) सदस्यता	हजार में	-	-	-	-	-
	(3) निजी पूंजी	,, रु0 में	-	-	-	-	-
	(4) विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	-	-	-	-	-
5-	उपभोक्ता सहकारी समितियाँ						
	(1) समितियों की संख्या	संख्या	3	4	-	-	-
	(2) सदस्यता	हजार में	1	1	-	-	-
	(3) निजी पूंजी	,, रु0में	9	9	-	9	-
	(4) विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	107-00	247-00	-	265-00	-
6-	सहकारी दुग्ध समितियाँ						
	1- समितियों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
	2- सदस्यता	हजार में	-	-	-	-	-
	3- निजी पूंजी	,, रु0में	-	-	-	-	-
	4- वितरण की गई दुग्ध की मात्रा	,, लीटर में	-	-	-	-	-
7-	अन्य समितियाँ						
	1- समितियों की संख्या	संख्या	11	9	-	1	-
	2- सदस्यता	हजार में	1	1	-	-	-
8-	गन्ना समितियाँ						
	1- समितियों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
	2- सदस्यता	हजार में	-	-	-	-	-
	3- अंश पूंजी	,, रु0में	-	-	-	-	-
	4- चालू पूंजी	,,	-	-	-	-	-
	5- जमा धनराशि	,,	-	-	-	-	-

व्यवसायिक बैंक

क्र० सं०	मद	इकाई	31/3/1969 तक की उपलब्धि	31/3/1974 तक की उपलब्धि	पांचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या	संख्या	-	2	-	1	-
	(1) स्टेट बैंक	"	-	2	-	3	-
	(2) पंजाब नेशनल बैंक	"	-	1	-	-	-
	योग			3	-	3	-
(2)	प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या	संख्या	1,47,3,5	49268	-	24634	-
(3)	अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में जमा धनराशि	लाख रु०					
	(1) स्टेट बैंक	"	-	36-37	-	52-30	अप्राप्त
	(2) पंजाब नेशनल बैंक	"	-	23-29	-	31-80	"
	योग	"	-	64-66	-	84-10	"
(4)	अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण	लाख रु०					"
	(1) स्टेट बैंक	"	-	1-27	-	5-36	"
	(2) पंजाब नेशनल बैंक	"	-	2-07	-	1-14	"
	योग	"	-	3-34	-	6-50	"
(5)	प्रति व्यक्ति जमा धनराशि	रुपया	-	43	-	57	-
(6)	प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण	रुपया	-	2	-	4	-

नोट :-

1:- पांचवी योजना व वर्ष 1975-76 के लक्ष्यों का निर्धारण सम्भव नहीं ।

2:- सारिणी में वर्ष 1971 की जनसंख्या के योगों का प्रयोग किया गया है ।

- बाढ़ नियन्त्रण :-

पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों में वर्षा ऋतु में पानी के तीव्र प्रवाह के कारण नदियों के किनारों के किट जाने एवं किनारे की भूमि में जल के जमाव की स्थिति से क्षति पहुँचती है। इससे नदियों के तटवर्ती स्थलों की जनसंख्या को प्रायः क्षति पहुँचती है। भूमि के कटाव को रोकने के लिए हेतु वने, भौतिक साधनों को भी नुकसान हो जाता है। बरसाती नालों (गधेरे) में एकाएक तेज पानी के आ जाने के कारण भूमि का कटाव तो होता ही है, उपजाऊ एवं खेतीहर भूमि में भारी बोल्डर्स एवं पत्थरों का जमाव भी हो जाता है :

(2) जनपद में बाढ़ नियन्त्रण योजनायें उन्हीं स्थानों के लिए बनाई गई हैं, जहाँ भागीरथी नदी तथा अन्य छोटे छोटे गधेरों से खतरनाक कटाव की स्थिति पैदा हो गई है। इन कार्यों से यह कटाव कम होगा, और सम्भावित खतरे भी कम हो जावेंगे।

(3) 31/3/1974 तक केदारघाट (उत्तरकाशी) गंगोत्री नाकुरी, मनेड़ा उत्तरकाशी, मंगला घाट एवं शाल्ड बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को पूरा किया जा चुका है।

(4) इस प्रकार जनपद में बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रमान्तर्गत भातली ग्राम को ले लिया गया है। पांचवी योजनान्तर्गत 1.03 लाख रुपयों के व्यय इस योजना में प्रस्तावित है। वर्ष 1975-76 में इस योजना पर 50 हजार रुपयों के व्यय का प्रस्ताव है।

रूप पत्र :- 1

पाँचवीं योजना परिव्यय — बाढ़ नियन्त्रण — (हजार रुपयों में)

क्र०सं०	कार्यक्रम	पाँचवीं योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	1974-75 परिव्यय रा० आयो.	1974-75 व्यय रा० आयो.	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत
1	मातली बाढ़ नियन्त्रण योजना	133-0	-	-	50-0
	योग :-	133-0	-	-	50-0

- विद्युत -

1- भूमिका :- विद्युत औद्योगिक विकास का स्तम्भ है । अब तक देश में हुए आर्थिक विकास एवं औद्योगिक उत्पादन की प्रगति का इस जनपद के जनजीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । इसका मुख्य कारण आवागमन के साधनों के अभाव से विद्युत की माँग का न्यूनतम होना था । इस जिले में विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1963 से प्रारम्भ हुआ है ।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- वर्तमान समय में जनपद में विद्युत गृहों की संख्या, एवं उनकी क्षमता का विवरण निम्न प्रकार है ।

1- उत्तरकाशी	जल	विद्युतगृह	क्षमता	600	कि0वा0
2- कोटी	,,	,,	,,	200	,,
3- भटवाड़ी	,,	,,	,,	50	,,
4- बड़कोट	,,	,,	,,	5	,,
5- धरासू	,,	,,	,,	5	,,
6- भटवाड़ी	डीजल	विद्युतगृह	,,	5	,,
7- बड़कोट	,,	,,	,,	15	,,
कुल क्षमता				880	,,

इसके अतिरिक्त हर्षिल विद्युतगृह के पूर्ण हो जाने पर 100 कि0वा0 अतिरिक्त क्षमता का सृजन हो जायेगा । चतुर्थ योजना के अन्त तक जनपद में 34 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसके निमित्त 72 कि0मी0 11 के0वी0 की लाइनें बनाई गई हैं चौथी योजना के अन्त तक इन लाइनों की लम्बाई विद्युतीकरण के प्रसार हेतु 113-5 कि0मी0 लम्बी निर्मित हो चुकी है । चतुर्थ योजना के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की विकास खण्डवार संख्या इस प्रकार थी । भटवाड़ी 12, डुण्डा 11, नौगाँव 7, व पुरोला 4 ।

2- चालू योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :- चतुर्थ योजनाकाल तक जनपद में विद्युत प्रसार की कठिनाई का प्रमुख कारण भारी संयन्त्रों के ढुलान के कारण रहा । लोहा, सीमेंट व अन्य उपकरणों के यातायात में बहुधा कठिनाई रही है । पर्वतीय मार्ग प्रायः वर्षा ऋतु में प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करते रहे हैं । विद्युत कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा का उपलब्ध न होना भी उत्पादन में प्रतिकूल

प्रभाव डालता रहा है । इन सब कठिनाइयों को दूर किया जाना परमावश्यक है । पंचवर्षीय परियोजना इस उद्देश्य की पूर्ति में बड़ा योगदान प्रदान कर सकेगी।

3- दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :- पंचम पंचवर्षीय योजना विद्युत सम्बन्धी योजना बनाने में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि इन प्रस्तावित कार्यक्रमों का दीर्घकालीन क्या प्रभाव होगा जिले की बढ़ती हुई विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि वर्तमान विद्युत गृह जिले की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पायेंगे । अतः 11 के0वी0 लाइन के अलावा 33 के0वी0 विद्युत लाइन बनाने का प्रस्ताव पंचम योजना में रखा गया है । यह लाइन मुख्यतः भागीरथी व यमुना नदी की घाटियों में जिला देहरादून से जोड़ी जायेगी । साथ ही उत्तरकाशी भटवाड़ी हर्षिल विद्युतगृहों को इस योजना के अन्तर्गत 11 के0वी0 लाइन से जोड़ा जायेगा । जिले में कुल आबाद जनगणना ग्रामों की संख्या 659 है । पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में 197 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है । इसमें से 40 ग्राम वर्ष 1975-76 में विद्युतीकरण के अन्तर्गत आ जायेंगे । इन 40 ग्रामों में से विकास खण्ड भटवाड़ी, डुण्डा, नौगांव व पुरोला में क्रमशः 12, 14, 11, व 3 ग्रामों में विद्युतीकरण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त 16 ग्राम व 29 हरिजन बस्तियों आर0ई0सी0 की योजना के अन्तर्गत 3 साल में विद्युतीकरण के अन्दर ले ली जायेगी यह योजना दिनांक 1-1-74 से आरम्भ हो चुकी है जिसमें से 13 गाँवों व 18 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण 31-3-75 तक हो चुका है ।

4- विकास की नीति :- विद्युत शक्ति को औद्योगिक उन्नति का मुख्य श्रोत मानते हुए जनपद में विद्युत शक्ति के उत्पादन की योजना इस प्रकार बनाई गई है, जिसके आधार पर जनपद में विभिन्न उद्योगों की स्थापना हो सके, और जनता का आर्थिक स्तर उठ सके ।

5 - प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम :- पाँचवी योजना में प्रस्तावित योजनाएं प्राथमिकता की दृष्टि से बनाई गई है ।

6 - आवश्यक संसाधन एवं उनका जुटाना :- सभी योजनाएं विभागीय बजट से सम्पादित की जायेगी ।

7- भौतिक साधनों तथा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- जनपद में योजना के सम्पादन हेतु भौतिक संसाधन एवं कुशल श्रमिक स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं हो

पायेंगे , अतः इनका प्रबन्ध बाहर से करना पड़ेगा ।

8- शासन के विचाराधीन प्रश्न :- स्टील, सीमेन्ट, स्टेरोड व अन्य सामान की न्यूनता होने के कारण भौतिक प्रगति में कमी आ रही है । साथ ही यातायात की दिक्कतें एवं अत्यधिक महंगाई एवं भवनों की कमी के कारण कर्मचारी यहां आने में इच्छा प्रकट नहीं करते हैं । अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास होने चाहिए ।

(विद्युत)

(हजार रु0 में)

जिला:- उत्तरकाशी — पांचवीं योजना परिव्यय

क्रम0	कार्यक्रम	1974-1979 राज्य आयोजनागत	केन्द्रागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्रागत	योग	व्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्रागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्रागत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ग्रामीण विद्युतीकरण (क) विद्युतीकरण ग्राम	-	-	-	(10)	10	10	-	10	10	-	-	
	(ख) 11 के0वी0 लाइन (230 कि0मी0) (ग) एल0टी0 लाइन (120 कि0मी0)	4311	1794	6105	598	233	831	598	233	831	720	280	1000
2	एम0एन0पी0, 11 के0वी0 लाइन (75 कि0मी0)	3700	-	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	पर्वतीय विकास यो0	1000	—	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	हरिजन सम्बद्ध... (क) 11 के0वी0 लाइन (11 कि0मी0)	2467	-	2467	126	-	126	126	-	126	100	-	100
	(ख) एल0टी0 लाइन (6 कि0मी0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(ग) विद्युतीकरण हरिजन एवं सन्निकट ग्राम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्रमशः

//2// रूप पत्र-

(हजार रुपये में)

जिला:- उत्तरकाशी

परियोजना परिव्यय [illegible]

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
छोटी हाइड्रिल [illegible] (क) i [illegible] लाइन (14- [illegible])	1991	-	1991	5	-	5	5	-	5	0	0	0
(ख) एल०टी० लाइन ([illegible])												
(ग) विद्युत [illegible] 4 न०												
[illegible]												
(क) i [illegible] लाइन (2 [illegible])	-	3.6	3.6	-	3.6	3.6	[illegible]	3.6	3.6	0	0	0
(ख) [illegible]-विद्युतीकरण (ग) [illegible] 2 न०		2.5	2.5	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	0	0	0
योग	15169[illegible]	1800.00	15269.00	729.000	247.600	976.600	729.000	247.600	976.600	820.000	280.000	[illegible]

122

प्रपत्र- 2

जिलाः- उत्तरकाशी ।

पांचवी योजना का कार्यक्रम - भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां ।

क्रमसं० मद	इकाई	31-3-1969 तक की उपलब्धियां	31-3-1974 तक की उपलब्धियां	पंचवर्षीय पांचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 तक उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1 2	3	4	5	6	7	8
1- विद्युत उपभोग	किलोवाट	85	734	980	767	880
2- विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपभोग।	किलोवाट					
(क) घरेलू एवं वाणिज्यक	,,	70	435		269	
(ख) औद्योगिक	,,	-	62	980	225	880
(ग) कृषि एवं सिंचाईहेतु	,,	-	-		-	-
(घ) अन्य	,,	15	237		273	
3- उपरोक्त (1 से 4) मदो में प्रतिव्यक्ति उपभोग	,,	0-0005	0-0047	0-0050	0-00[illegible]	0-0049
4- विद्युतीकृत ग्राम						
(क) संख्या	संख्या	3	34	197	40	40
(ख) कुल ग्रामो से प्रतिशत	प्रतिशत	0-3	5	26	-	-
5- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	-	13	29	16	-
6- औद्योगिक कनेक्शन	,,	-				
(क) ग्रामीण	,,	-	12	मांग के अनुसार	-	मांग केअनुसार
(ख) शहरी	,,	-	12	,,	-	,,
7- विद्युतीकरण/ट्यूबवैल/पम्पिंग सेटो की संख्या	संख्या					
(क) राजकीय	,,	-	-	-	-	-
(ख) निजी	,,	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	,,	-	-	-	-	-
योग						

भूतत्व एवं खनिकर्म :-

प्रदेश का भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय पर्वतीय अंचल में खनिजों की खोज पर निरन्तर सर्वेक्षण कर रहा है। उत्तरकाशी जनपद में मैग्नेसाइट सोपस्टोन तथा ग्रेफाइट गार्नेट का अन्वेषण के पांचवी योजना अवधि में किया जायेगा। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार उत्तरकाशी जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त धातुओं के भण्डार भी भूमिगत हैं। वर्ष 1975-76 में इस सम्बन्ध का खनन कार्य हाथ में लिया जायेगा।

रूप पत्र :- 1

भूतत्व एवं खनिकर्म

(हजार रुपये में)

राज्य आयोजनागत

मद	पांचवी योजना परिव्यय		1974-75 के परिव्यय		1975-76 के परिव्यय
	राज्य आयोजनागत	योग	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
भूतत्व एवं खनिकर्म					
(1) खनन सम्बन्धी कार्य	500	500	25	10	10

उद्योग_

भूमिका :-

जिला बनने से पूर्व यहाँ पर केवल ग्रामीण उद्योग जैसे, ऊन कताई, तथा लकड़ी का काम होता रहा है । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त में ऊन उद्योग के विकास के लिये खादी बोर्ड तथा खादी एवं ग्रामोद्योग कार्य रत थे । उद्योग विभाग द्वारा ऊन की ग्रेडिंग तथा रंगाई तथा साज सज्जा की सुविधायें प्रदान की गई । साथ ही जल चर्खे पर तागे का उत्पादन किया गया ।

खादी बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग कमीशन की कार्य प्रणाली ऊन उद्योग के सम्बन्ध में एक सी है । साथ ही कताई द्वारा तागे का उत्पादन तथा हैन्डलूम पर कपड़ा उत्पादन तथा उसकी बिक्री । यह संस्थायें ऊन एवं इसके उत्पादन के अलावा खादी सिद्धान्त पर निर्मित जिले के बाहर के सामान को भी अपने विक्री केन्द्रों पर बेचने की व्यवस्था करते हैं ।

उद्योग विभाग ने अब तक ऊन उद्योग को बसूली चलाने के लिये बुनाई रंगाई कारपेन्ट बुनवाई शाल बुनवाई, नमदा बनाना तथा होजरी के [illegible] की भी [illegible] की है । उपरोक्त विभिन्न कारिगिरि के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं । और प्रशिक्षण के साथ ही उत्पादन कार्य भी करते हैं ।

निबद्ध फैक्टरियाँ :- इस जनपद में अभी तक कोई रजिस्टर्ड फैक्टरियाँ स्थापित नहीं हैं । पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में भी इस सम्बन्ध में काई प्रस्ताव नहीं किये गये हैं ।

उद्योग निदेशालय द्वारा निबद्ध औद्योगिक इकाइयाँ- लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 31-3-69 तक 4 लघु इकाइयों का पंजीकरण किया गया ये इकाइयाँ कृषि उद्योग तथा वन सम्पदा पर आधारित इकाइयाँ हैं । कृषि उद्योग में धान चक्की, तेल घानी एवं आटा चक्की की इकाइयाँ स्थापित हैं । वन सम्पदा पर आधारित इकाइयाँ आरा मशीनें हैं जो फल पेटियों का निर्माण जीव वर्क के आधार पर करती हैं । ऐसी इकाइयाँ 31-3-74 तक 17 तथा वर्ष 74-75 में 18 पंजीकृत की गई हैं । इस प्रकार अब तक 35 इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है । पाँचवीं योजना के लिये 100 इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । जिनमें से वर्ष 75-76 में 30 इकाइयाँ स्थापित की जायेगी । ये इकाइयाँ माँग, वनसम्पदा पर आधारित होंगी । इन इकाइयों की स्थापना जिले के प्रत्येक विकास क्षेत्र में आवशयकता के आधार पर स्थापित की जायेगी ।

आश्रित व्यक्ति - स्थापित इकाईयों में अब तक 110 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं । जो इकाईयाँ अभी तक कुटीर उद्योग के आधार पर कार्य कर रही है उनका पंजीकरण नहीं हुआ है । ऐसी इकाईयाँ 164 हैं [illegible] जो अपने घरों पर बुनाई का कार्य करते हैं । इनमें लगे व्यक्तियों की संख्या 500 है । पाँचवी योजना में जिन इकाईयों के स्थापना प्रस्ताव हैं उनमें रोजगार के रूप में 350 व्यक्ति लाभान्वित होने का अनुमान है ।

नई औद्योगिक इकाईयाँ जैसे कि उपरोक्त में स्पष्ट किया गया है पाँचवी योजनाकाल में 100 इकाईयाँ स्थापित किये जाने के प्रस्ताव हैं जिनमें से चालू वित्तीय वर्ष में 30 इकाईयाँ स्थापित होंगी ।

ग्रामीण एवं लघु इकाईयों सर्वेक्षण के अनुसार जिले में 72 हाथ करघे हैं, जिनमें प्रत्येक में एक व्यक्ति कार्य करता है । वर्तमान समय में ये करघे निष्क्रिय अवस्था में हैं ।

[illegible] पाँचवी योजना में 5 सहकारी समितियों के स्थापना प्रस्ताव हैं [illegible] से 3 सहकारी समितियों का पुनरज्जीवीकरण तथा 2 नई इकाईयाँ स्थापित की जायेंगी । यह तभी सम्भव होगा जब सहकारिता के अन्तर्गत उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान कार्यालय द्वारा की जायेगी ।

विद्युत राज्य सहायता योजना के अन्तर्गत 12,500-00 की धनराशि का वित्तीय वर्ष 1975-76 में योग्य इकाईयों को वितरण किये जाने के प्रस्ताव हैं ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए मशीनों को किराया क्रय पद्धति पर उपलब्ध करने की सुविधा के अन्तर्गत रू० 8000-00 तक की मशीनें क्रय किये जाने के [illegible] इस वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिए निर्धारित है ।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में कुटीर तथा लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये जिला स्तर पर 10000-00 रू० तक का ऋण देने के लिये प्राविधान था । इस योजना के अन्तर्गत 1960-61 से 1973-74 तक 4-675 लाख रुपये का ऋण [illegible]3 व्यक्तियों का वितरित किया गया । निजी क्षेत्र में ऊन कताई बुनाई कारीगरों को आरा मशीनों की स्थापना, तेल पिराई धान कुटाई, मोटर मरम्मत, छपाई तथा बुक बाइन्डिंग, सिले सिलाए कपड़े के लिये ऋण दिया गया । 1973-74 के अन्त तक 21 इकाईयाँ लघु स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत निदेशालय से पंजीकृत की गई ।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

आवश्यकता इस बात की है कि ऊन उद्योग को और संगठित किया जाय और बुनकरों को पूरा काम देने के लिये तथा स्थानीय ऊन का पूरा पूरा उपभोग करने के लिये स्थानीय ऊनों का सम्भाव मशीन से मशीन ताना बनाने की व्यवस्था की जाय । इसके संगठित स्पिनिंग प्लान्ट स्थापित किया जाय जिससे बुनकरों को विभिन्न किस्मों का सामान बनाने के लिये तागा अच्छी किस्म का और एक साथ अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके । इस जनपद की भौगोलिक परिस्थिति तथा भविष्य में सस्ती बिजली विद्युत उत्पादन की बड़ी योजनाओं की स्थापना को देखते हुये मिल साथ की कताई के आधार पर ऊन उद्योग को न छोड़ा जाय बल्कि आधुनिक बिल्डिंग के आधार पर ऊनी हैन्डलूम की व्यवस्था की जाय । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लकड़ी का फर्नीचर, इमारती सामान तथा फल पेटी बनाने का कार्य विकेन्द्रीकरण के आधार पर छोटी इकाईयों का प्रोत्साहन किया जाना चाहिये । लकड़ी उद्योग में जैसे पेंसिल को कैं लकड़ी, माचिस की तिली आदि की इकाईयाँ स्थापित करना संभव होगा । फलों पर आधारित फल उद्योग तथा रस बनाने की इकाईयों की स्थापना उपयोगी होगी । मोटर मरम्मत की तथा जनरल रिपेयर वर्कशाप की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि जनपद में क्षेत्र लम्बा, चौड़ा है, तथा आबादी बिखरी हुई है ।

अभी तक इस जनपद का भूगर्भ सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है, जिससे खनन उद्योग के सम्भावनाओं पर विचार किया जा सके ।

योजना कार्यान्वित करने की नीति :-

कुटीर तथा छोटी इकाईयों की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण की सुविधा देना आवश्यक है । मध्यम श्रेणी की इकाईयाँ संस्थागत क्षेत्र पर्वतीय विकास निगम, कृषि उद्योग निगम तथा लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित किया जाना उपयुक्त होगा जिससे शोषण की सम्भावना न रहे और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके ।

कुटीर उद्योगों को स्थायित्व, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन देने के लिये साधारण सुविधायें भी उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिये ।

योजना के संगठन अथवा संचालन में क्या प्राथमिकता निर्धारित की गई :-

ऊन उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुये संरक्षण तथा प्रोत्साहन आवश्यक है । वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना की प्रगति निराकरण है क्योंकि अब क्षेत्र की नीति स्थानीय उद्योगों की स्थापना में सहायक नहीं है । यदि जितनी वन सम्पदा इस जनपद से बाहर जाती है उसका कुछ अंश को निर्मित माल के रूप में बाहर भेजा जाय तो कई इकाईयाँ स्थापित हो सकती हैं । स्थानीय लोगों का रोजगार मिल सकता है तथा राज्य टैक्स (कर) के रूप में आमदनी बढ़ सकती है ।

इस लिये जिले में फलों का उत्पादन विशेषतया सेबों के उत्पादन की प्रगति को देखते हुये यह आवश्यक है कि ताजे फलों की बिक्री की व्यवस्था के साथ फल संरक्षण, फलों का रस तथा फलों की पल्प बनाने की इकाईयाँ स्थापित की जाय अन्यथा इस सम्बन्ध में इस जनपद में आने वाले वर्षों में फल उत्पादकों को पूरा पूरा आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त होगा।

7- साधन जुटाने सम्बन्धी स्रोत :-

(1) विभागीय :- विभाग द्वारा छोटी औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय तथा कच्चा माल की सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस संदर्भ में विशेष सहायता सुविधा तथा ऋण का प्राविधान योजना में दिया गया है।

कारीगरों के प्रशिक्षण तथा जनपद में हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग द्वारा प्रशिक्षण तथा डिजाइन की व्यवस्था के लिये प्रस्ताव रखे गये हैं।

(2) संस्थागत :- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऋण दिया जाना लघु उद्योग निगम द्वारा कच्चे माल की व्यवस्था पर्वतीय विकास निगम तथा कृषि उद्योग निगम द्वारा वन सम्पदा तथा फलोद्योग पर आधारित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना।

(3) कारीगरों को कम दर पर ऋण देने की व्यवस्था।

8- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

लघु उद्योग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा परियोजनायें बनवाकर उद्योग पतियों की सहायता। जिले में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, आई०टी०आई० अथवा पौलिटैक्निक की स्थापना की जानी आवश्यक है भौतिक साधनों के रूप में वन पर आधारित उद्योगों के लिये कच्चा माल स्थानीय वन से प्राप्त किया जायेगा। योजना काल में 1243 व्यक्तियों का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं रोजगार प्राप्त होगा।

9- शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों के लिये प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों, लकड़ी का आवंटन विशिष्ट प्रकार के पेड़ों जैसे अखरोट, मैपल, पांगर, कैल, भूज, उतीस, फर आदि का केवल स्थानीय उद्योगों के लिये ही सुरक्षित रखा जाना। इसी प्रकार रिंगाल तथा जड़ी-बूटी का स्थानीय उद्योगों इकाईयों को कच्चा माल तथा वित्तीय सहायता की सुविधा अधिक से अधिक जनपद तथा मंडल स्तर पर प्रदान किये जाने के लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

शहतूत रेशम योजना :-

योजना :- शहतूत योजना (2) टसर रेशम योजना।

ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक असमानता दूर करने के लिये पिछले समय में जिन विकास योजनाओं का कार्यान्वित किया जा रहा है, उनमें रेशम योजना प्रमुख है। योजना के अन्तर्गत कोया उत्पादन कार्य द्वारा पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों को अल्पकालीन सहायक व्यवसाय प्रदान किया जाता है, तथा रेशम उत्पादन द्वारा ग्रामीण निवासियों का सम्पूर्ण वर्ष सहायक व्यवसाय प्रदान होता है।

उत्तर काशी जनपद में शहतूत रेशम कीट पालन कार्य वर्ष 1968-69 में प्रारम्भ किया गया है। यद्यपि भूमि पत्थरीली है और शहतूत वृक्षों का लगाने में कठिनाई होती है तथा समय अधिक लगता है लेकिन जनपद की जलवायु रेशम कीट पालन कार्य के लिये उपयुक्त है। अब तक इस जनपद में 10 शहतूत उद्यान 23-4 एकड़ भूमि में स्थापित किये गये हैं।

चतुर्थ योजनाकाल में इस जनपद में 2-27 हजार कि0ग्रा0 रेशम कोकून का उत्पादन किया गया है। टसर कीट पालन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, किन्तु प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण की जा चुकी है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में शहतूत रेशम व टसर रेशम योजना हेतु 4-06 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित है जिसमें 0-48 लाख रुपया वर्ष 1975-76 हेतु रखा गया है।

पांचवी योजना में निम्न लिखित कार्य प्रस्तावित हैं।

पांचवी योजना काल में कार्य	इकाई	पांचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1- रेशम कोया उत्पादन	कि0ग्रा0 हजार में	6-00	1-00
2- टसर कोया उत्पादन	संख्या लाख में	1-00	0-15

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।

औद्योगिक यन्त्रों" तथा स्वचालित प्रक्रियाओं में कुटीर उद्योग चकाचौंध में पड़ गया, ऐसा मानना पड़ता है। परन्तु गृहउद्योग का महत्व कभी घटा नहीं है। हालांकि विराट औद्योगीकरण की ओर जो लोग आकर्षित हुए, वहां इस परिवर्तन की प्रक्रिया में उजड़ गए। इस मृगतृष्णा में वे लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। इससे गांव एवं शहर दोनों तरफ के लोगों की स्थिति बहुत ही सोचनीय हो गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग अपने लिए है, और बेकार एवं अर्द्धबेकार लोगों के लिए है! इससे हम दूसरे पर आश्रित नहीं होते, और न दूसरों को ऐसा बनने को प्रोत्साहित करते हैं।

जनपद उत्तरकाशी में अभी इस दिशा में आशातीत कार्य नहीं हुआ है। संगठन में कमियों की झलक मिलती है। ग्रामोद्योग बोर्ड पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन करेगा। और संस्थाओं को रोजगार सुविधा उपलब्ध कराने एवं आर्थिक सहायता हेतु संस्थागत साधनों से पूंजी जुटाने में सहयोग करेगा। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक सहायता कारीगरों को उपलब्ध कराने में सक्रियता बरतने की ओर प्रयत्न रहेंगे। वर्ष 1975-76 में इन सभी कार्यों की सम्पादन हेतु कार्य किया जायेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने संगठन को अधिक व्यवस्थित करते हुए खादी के प्रचार एवं प्रसार से इस जनपद के ग्रामीण आंचल में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर उत्पादन बढाने का प्रयास करेगा। इस जिले में ऊन एवं सम्बद्ध व्यवस्था के विकास की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हस्तकरघों के माध्यम से ऊन एवं ऊनी वस्त्रों के उत्पादन को बढावा मिलेगा जिससे स्थानीय जनता का जीवन स्तर ऊंचा होगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वित्तीय परिव्ययों सम्बन्धी सूचना- उद्योग [illegible] के साथ। में ग्रामीण लघु उद्योग तथा रेशम उद्योग सम्बन्धी सूचना के साथ अंकित है।

क्रमशः

जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 1975-76 में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। इस वर्ष जनजाति वाले विकास खण्ड नौगाँव एवं पुरोला में वृहद रूप से कारीगरों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम द्वारा इन क्षेत्रों में 200 आटा चक्कियाँ, 80 ट्रेडल-चरखे, 4 लूम तथा 80 मधुपालन बक्सों की व्यवस्था 75 प्रतिशत सबसिडी (छूट) द्वारा हो जावेगी। इसके अतिरिक्त 400 व्यक्तियों को लोहारी, काष्ठकला, चर्मकला तथा कुम्हारी उद्योग हेतु भी सहायता दी जावेगी। इसके अन्तर्गत 125.00 रुपये ऋण तथा 325.00 रुपये अनुदान के रूप में वितरित होने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त इस जनपद में खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई द्वारा 9 उत्पादन तथा बिक्री केन्द्र, सीमान्त ऊन योजना के अन्तर्गत स्थापित हैं जो ऊनी माल का उत्पादन तथा बिक्री का कार्य भी करते हैं।

जिला :- उत्तरकाशी
पाँचवी योजना का परिव्यय

रूप पत्र -1

(हजार रूपयों में)

क्र०सं०	व्यय क्रम	1974-1979 राज्य/आयोजनागत	1974-1979 संस्थागत	1974-1979 योग	1974-75 का परिव्यय राज्य/आयोजनागत	1974-75 का परिव्यय संस्थागत	1974-75 का परिव्यय योग	1974-75 व्यय राज्य/आयोजनागत	1974-75 व्यय संस्थागत	1974-75 व्यय योग	1975-76 का परिव्यय राज्य/आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय संस्थागत	1975-76 का परिव्यय योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-	**लघु स्तरीय उद्योग**												
1-	(अ) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा किराया क्रय पद्धति पर मशीन उपलब्ध कराने पर ब्याज का अन्तर	20-00	-	20-00	-	-	-	-	-	-	1-00	-	1-00
	(ब) किराया क्रय पद्धति पर मशीनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8-00	-	8-00
2-	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा अंशदारी विनियोजन	100-00	-	100-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-	(अ) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण	500-00	-	500-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ब) बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26-500	-	26-500
4-	अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-000	-	4-000
5-	(अ) विद्युत राज्य सहायता	100-000	-	100-000		-	-	-	-	-	12-000	-	12-000
	(ब) जनरेटिंग सेट लगाने हेतु सबसिडी	500-00	-	500-000	-	-		2 74	-	2-74	10-000	-	10-00

-133-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-	औद्योगिक सहकारीता (अस्त्रीय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-00	-	15-00
7-	प्रदर्शनी एवं मेला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-000	-	1-000
8-	कुटीर उत्पादक परिषद आगार द्वारा उत्पादकता प्रदर्शन योजना	5-000	-	5-000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-	फिजिकल इन्डस्ट्रियल स्टेट (पर्वतीय) (ब) इलेक्ट्रानिक	300-000	-	300-000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-	सीमान्त जिलों के लिये ऋण पर्वतीय	500-000	-	500-00	-	-	-	-	-	-	15-000	-	15-000
11-	संगठनात्मक ढांचे का सुधार (पर्वतीय)	50-000	-	50-000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-	आवासीय/कार्यालय भवनों का निर्माण	200-00	-	200-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	हस्तशिल्प योजनायें												
	1-हस्तशिल्प सहकारी समितियों का विकास तथा वित्तीय सहायता	-	-	-	1-000	-	1-000	-	-	-	-	-	-
	2- अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह	-	-	-	1-000	-	1-000	-	-	-	-	-	-
	3- लकड़ी की कलात्मक वस्तुयें बनाने हेतु प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	500-00	-	500-00	100-000	-	100-00	-	-	-	70-000	-	70-000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4-	हस्तशिल्प इकाईयों तथा कारीगरों का सर्वेक्षण	-	-	-	2-000	-	2-000	-	-	-	-	-	-
(1)	ग्रामीण लघुउद्योग	2775-0	-	2775-0	274-0	-	274-0	274-0	-	274-0	163-0	-	163-0
(2)	रेशम उद्योग												
1-	शहतूत योजना	195-00	-	195-0	57-6	-	57-6	27-2	-	27-2	37-6	-	37-6
2-	टसर रेशम योजना	209-00	-	209-00	30-3	-	30-3	2-00	-	2-00	11-3	-	11-3
	योग :-	404-00	-	404-00	87-900	-	87-920	29-2	-	29-2	43-9	-	43-9
3-	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	1155-0	1155-0	-	191-0	191-0	29-2	-	29-2	-	137-0	137-0
	महायोग उद्योग सेक्टर	3179-0	1155-0	4334-0	361-9	191-0	552-9	303-2	-	303-2	211-9	137-0	393-9
			(संस्था)			(संस्था)						(संस्थागत)	

-136-

रूप पत्र (11) भौतिक लक्ष्य (उद्योग सेक्टर)

क्र०सं०	मद		इकाई	31/3/69 की उपलब्धि	31/3/74 तक की उपलब्धि	पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2		3	4	5	6	7	8
उद्योग								
(1)	औद्योगिक इकाईयों की स्थापना		संख्या					
	(क) संगठित							
	(1) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत		,,	-	-	-	-	-
	(2) अन्य	(1) उद्योग	,,	4	17	100	18	30
		(2) ग्रामोद्योग		8	8	5	-	2
	(ख) असंगठित	(1) ग्रामोद्योग	,,	-	-	100	-	40
(11)	रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या							
	क- संगठित क्षेत्र							
	(1) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों में		संख्या	-	-	-	-	-
	(2) अन्य	(1) उद्योग	,,	12	55	350	60	100
		(2) ग्रामोद्योग		60	60	160	-	40
	ख- असंगठित क्षेत्र में	(1) ग्रामोद्योग	,,	-	-	100	-	40
(111)	उत्पादित वस्तुओं का मूल्य		हजार रुपये					
	क- संगठित क्षेत्र		,,	स्थापित लघु इकाईयाँ अपना उत्पादन नहीं करती है, वे जौब वर्क के आधार पर कार्य कर रही हैं।				
	ख- असंगठित क्षेत्र		,,					
(4)	औद्योगिक आस्थान							
	(1) संख्या शेडों		राज्य	-	-	-	-	-
	(2) शेडों का निर्माण		,,	-	-	-	-	-
	(3) कार्यरत इकाइयाँ		,,	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
(5)	हस्तकरघा उद्योग						
	क- हस्तकरघों की संख्या	,,	44	72	[illegible]	-	-
	ख- सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या	,,	-	-	-	-	-
	ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन	संख्या	-	-	5	-	-
	घ- हेन्डलूम कपड़ों का उत्पादन	(लाख मीटर)	-	-	-	-	-
(6)	रेशम उद्योग कोकून का उत्पादन						
	(1) रेशम कोया उत्पादन	टन	-	2-27	6-01	0-33	1-00
	(2) टसर कोया उत्पादन	संख्या लाख में	-	-	1-00	-	0-15
(7)	ऊन उद्योग						
	क- हस्तकरघों की संख्या (सरकारी)	सं०	4	4	—	—	—
	ख- सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या		—	—	—	—	—
	ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन (ग्रामोद्योग)	सं०	2	2	2	—	1
	घ- ऊनी वस्त्र का उत्पादन (ग्रामो.) (मीटर)	मीटर	अप्राप्त	अप्राप्त	1,00,000	—	48,000
(8)	वृहत मात्रा में उत्पादन करने वाली इकाईयाँ						
	क- चीनी मिल						
	(1) संख्या	टन हजार में	-	-	-	-	-
	(11) उत्पादन		-	-	-	-	-
	(111) रोजगार में लगे व्यक्ति	संख्या	-	-	-	-	-
	(ख) वस्त्र मिल						
	(1) संख्या	संख्या राज्य	-	-	-	-	-
	(11) उत्पादन	लाख मीटर	-	-	-	-	-
	(111) कार्यरत व्यक्ति	संख्या ,,	-	-	-	-	-

सड़कें ।

उत्तर प्रदेश अन्य विकसित राज्यों की अपेक्षा सड़कों की प्रगति में पीछे है । यह स्थिति सम्पूर्ण राज्य के अनुपात में पर्वतीय क्षेत्र में काफी स्वराब है, और जनपद उत्तरकाशी इसका अपवाद नहीं है । रेल संचार सुविधा न होने के लिये पहाड़ी क्षेत्रों को सर्वप्रथम सड़क यातायात पर ही पूर्णरूपेण निर्भर रहना पड़ता है । इस प्रकार सड़कें पर्वतीय आंचल के जीवन तन्त्र हैं । बिना सड़कों का जाल बिछाये पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास सम्भव नहीं है । सड़के ही यहाँ के महत्वपूर्ण फलों तथा कृषीय उत्पादों के यातायात के लिये क्षेत्र खोलती है, तथा पर्यटन तक पर्यटकों को पहुँचाने में सफल हो सकती है । इस क्षेत्र में ऐसे उद्यानों की स्थापना वर्षों पूर्व की गई है, जहाँ फलोत्पादन तो प्रचुर मात्रा में होता है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने के कारण उत्पादित वस्तुऐं उचित भाड़े पर निकटतम रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुँचाई जा सकती हैं । यह बात उत्पादनकर्त्ताओं को हानि पहुँचाती है, और उनका उत्साहवर्धन नहीं हो पाता ।

इसी प्रकार भेड़ पालन एवं दुग्ध सम्पूर्ति योजना का सही एवं पूर्ण लाभ जोखिमकर्त्ता को सड़क यातायात सुविधा न होने के कारण नहीं मिल पा रहा है । समस्त ऋतुकालीन सड़कों की कमी एवं उनकी यथेष्ट देखरेख के अभाव में पर्यटकों के जत्थे के जत्थे जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, और प्रायः गन्तव्य स्थल में पहुँचने से पूर्व ही, पर्यटक घर लौट जाना ही श्रेयस्कर समझता है । यही नहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ आर्थिक स्थिति का सुधार अभी किसी स्तर पर नहीं हुआ है । वहाँ सड़कों के अभाव में सामाजिक पुनरोत्थान एवं शैक्षणिक प्रकाश की झलक तक नहीं पहुँची है । संक्षेप में पर्वतीय क्षेत्र का विकास सड़कों के विकास में निहित है । सड़क निर्माण सम्बन्धी बम्बई योजना इस जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उपयोगी नहीं जान पड़ती हैं । अतः यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप ही सड़कें निर्मित होनी चाहिये ।

अ- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन ।-

इस समय जनपद में नगुन से गंगोत्री, उत्तरकाशी से टैतरी- रायमेर, धरासू से बड़कोट- गंगानी- स्यानाचट्टी , बड़कोट से नौगांव- पुरोला- जरमोला मोरी, नौगांव से कुआ- डामटा, मार्ग मोटर यातायात के लिये उपलब्ध हैं । परन्तु बड़कोट से महत्व पूर्ण राजगढी स्थल, मोरी से नेटवाड तथा जनपद के महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु आराकोट अभी तक मोटर मार्ग से [illegible] जनपद मुख्यालय से सीधे नहीं जुड़े हैं । इसी प्रकार स्यानाचट्टी से यमनोत्री के लिये भी मोटर मार्ग नहीं है । विद्यमान मोटर मार्ग वर्षा ऋतु में एवं अत्यन्त ऊँचे स्थल शीत ऋतु में बर्फ के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न करते है । इस कार्य हेतु उचित व्यवस्था सम्भव की जानी आवश्यक है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन तैयार सडकों की कुल लम्बाई 394.00 किलो- मीटर थी ।

प्रादेशिक राजमार्ग के रूप में (1) नगुन से गंगोत्री तक तथा (2) लखवाड (देहरादून) वड कोट गंगोत्री हनुमानचट्टी- यमनोत्री तक का मार्ग शामिल है ।

3:- वर्तमान योजनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी :-

पंचम योजना के प्रथम वर्ष में सांकरी जखोल (तीन कि0 मी0) तथा मोरी साल्ड (18कि0मी) मोटर मार्ग का निर्माण किया गया । गंगानी हनुमानचट्टी-स्यानाचटटी मोटर मार्ग पुनः सुधार की दशा में रहा । इससे यमनोत्री मार्ग में यात्रियों को सुविधा रहेगी और उस क्षेत्र का प्रमुख उत्पादन आलू की ससमय की निकासी में सुलभता रहेगी ।

4:- दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :-

अगमण्य क्षेत्रों की संचार व्यवस्था तथा निर्मित सड़कों के विकास पर बल दिया जावेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी के क्रमोत्तर विकास का उचित मूल्य यहाँ के निवासियों को मिल सके ।

5:- विकास की नीति :-

सर्वांगीण विकास के लिये प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल तथा ग्रामीण अंचल को पैदल मार्गों से जोड़ दिया जावेगा ।

6:- प्राथमिकता के आधार पर कार्य क्रम :-

उपजाऊ क्षेत्रों तथा 500 से अधिक आबादी वाले ग्राम एवं ग्राम समूहों को मोटर मार्गों एवं पैदल मार्गों से जोड़ दिया जावेगा ।

7:- साधन स्रोतों का उपलब्धि :-

इनकी उपलब्धि शासन द्वारा ही की जाती है ।

8:- भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति आदि :-

कुशल एवं अकुशल मजदूरों की व्यवस्था जनपद में ही हो सकती है । कुछ कुशल मजदूरों की व्यवस्था दूसरे जनपदों से की जावेगी । फिर भी यह प्रयत्न रहेगा कि इनकी भी उपलब्धि स्थानीय रूप में की जाती रहे । सीमेन्ट- लोहा आदि की व्यवस्था बाहरी जनपदों से ही की जावेगी ।

9:- शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

द्रुतगति से विकास हेतु शासन से ससमय पर्याप्त मात्रा में बजट आवंटन की व्यवस्था की जावे ।

पांचवी योजना अवधि में सड़कों के निमार्ण की योजनायें, कृषि, बागवानी, उद्योग, पशुपालन, भेड़ पालन, तथा पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है । इसी विचार से जनपद की पुरोला, जरमोला, जरमोला-मोरी, राड़ी- कफनौल आदि मार्गों की योजनायें बनाई गई थी । कुछ मार्गों की योजनायें अविकसित एवं दूरस्थ क्षेत्रों को अन्य विकसित क्षेत्रों से सम्बद्ध करने के विचार से बनाई गई है ।

पाँचवी योजना अवधि में 80 किलोमीटर लम्बे मोटर मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इस अवधि में जो मार्ग निर्मित किए जावेंगे वे निम्न प्रकार हैं । ये मार्ग वर्ष 1975-76 से प्रारम्भ किये जावेंगे ।

(1) बड़ेथी -धनधौरा मोटर मार्ग कि०मी० 43
(2) मोरी - रवूनीगाड मोटर मार्ग कि०मी० 21
(3) मोड़ी - कफनौल मोटर मार्ग कि०मी० 17
(4) मोरी - साल्ड मोटर मार्ग कि०मी० 9

उपरोक्त में से प्रथम मार्ग अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देगा और दूसरा मार्ग जनपद के आन्तरिक दूरस्थ स्थलों को हिमाचल प्रदेश की सीमा से जोड़ देगा । इससे वन एवं वानिकी की प्रगति होगी । तथा बागवानी एवं फलोत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा । इसी प्रकार तीसरे मार्ग के निर्माण से भी फलोत्पादन का विकास एवं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा ।

सड़कों का नव -निर्माण, सुधार एवं मरम्मत तथा पुल एवं पुलियों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो प्रान्तीय खण्डों द्वारा किया जाता है । इन कार्यों के साथ साथ निरीक्षण भवनों की सुव्यवस्था एवं साजसज्जा का संचालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ।

सड़क एवं अन्य विन्तीय परिव्ययों की सूचना स्म पत्र 1 में अंकित की गई है ।

जनपद उत्तरकाशी　　　　रूप पत्र :- 1　　　　(हजार रुपयों में)

पाँचवी योजनापरिव्यय　　　राज्य आयोजनागत

कार्यक्रम	पाँचवी योजना 1974-1979 का परिव्यय	1974-75 परिव्यय	1974-75 व्यय	1975-76 का परिव्यय
सड़कें	52557-0	10500-0	7572-0	6501-0

10 सड़क :- पाँचवी योजना के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/1969 तक की उपलब्धियाँ	31/3/1974 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 -	रेलवे लाइनों की लम्बाई	कि0मी0	-	-	-	-	-
2 -	समतल सड़कों की लम्बाई						
	(1) राष्ट्रीय राज मार्ग	कि0मी0	-	-	-	-	-
	(2) प्रादेशिक राज मार्ग		173	173	-	-	-
	(3) मुख्य जिला सड़के)						
	(4) अन्य जिला सड़के)		169	221	30	21	8
	(5) ग्रामीण सड़के)						
3-	समस्त ऋतुकालीन सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या	संख्या	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4-	ग्रामों की संख्या जो समस्त ऋतुकालीन सड़कों से जुड़े नहीं हैं, लेकिन 3 कि0मी0 की समस्त ऋतुकालीन सड़कों के अन्दर हैं।	संख्या	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5-	सड़कों की लम्बाई जिस पर बस चलती है।	कि0मी0	260	324	अप्राप्त	324	359
	(1) निजी बसें	,,	-	43	अप्राप्त	43	78
	(2) राज्य की रोडवेज बसें	,,	-	43	अप्राप्त	43	78
6-	प्रचलित बस						
	(1) निजी बसें	संख्या	343	331	100	452	अप्राप्त
	(2) राज्य की रोडवेज बसें	संख्या	-	2	4	2	2

नोट :- क्रमांक 2 के आमदों में दी गई सूचना सा0नि0वि0 की सड़कों की ही है।

(2) राज्य की रोडवेज बसें निजी बसों के मार्गों में ही चलती हैं।

पर्यटन :-

जनपद उत्तरकाशी अपनी प्राकृतिक अवस्थाओं के विभिन्न रूपों में, पर्यटकों के लिये आकर्षण प्रदान करता है । यहाँ की हिमाच्छादित धवल पर्वत श्रंखलायें, हिमनद, सघन वन, मेले एवं त्योहार तथा रंग - बिरंगी वेशभूषा में सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन, पर्यटन विकास के आधार स्तम्भ हैं । अभी तक पर्यटन का यथोचित विकास उत्तरकाशी जनपद में नहीं हुआ है ।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बड़कोट, गंगनानी, हर्षिल उत्तरकाशी एवं डोडीताल में पर्यटक विश्रामगृहों के निर्माण एवं लंका में एक होटल की व्यवस्था के प्रस्ताव थे । इसके अनुसार उत्तरकाशी नगर क्षेत्र में एक ... का पर्यटक विश्राम गृह गंगनानी एवं बड़कोट में पर्यटक रेस्ट हाउस निर्मित किये गये, इसके अतिरिक्त जनपद में 7 पिलग्रिम सैड भी 31/3/74 तक निर्मित किये गये ।

3- चालू विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

पर्यटन का विकास, यातायात की सुलभतः, सुगमता, एवं उत्तम आवास व्यवस्था पर निर्भर रहता है । दूरस्थ स्थानों पर जहाँ प्रकृति अपनी सुरम्यता बिखराती है पर्यटक कम समय में, यातायात की सुविधा के अभाव में पहुँच नहीं पाता । मोटर यातायात के दूसरे विकल्प स्वरूप पैदल जाना पड़ता है । पर्यटक पैदल चल सकता है, परन्तु अधिक दूरी अपने सामान के साथ तय नहीं कर सकता है । दूसरे साधन अधिक भाड़े पर मिलते है, जिससे पर्यटकों को आर्थिक कठिनाई होती है, और वे कम स्थानों पर ही भ्रमण करने को विवश हो जाते हैं । भोजन का, रुचि के अनुसार न मिल सकना भी पर्यटन विकास में अवरोध उत्पन्न करता है । इन सब अवरोधों को दूर कर, सुलभता उपलब्ध होनी आवश्यकता है ।

4- विकास की नीति :-

पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, जनपद में पशु विहार के विकास विश्रामालयों की उपलब्धिता, उनकी स्वच्छता यातायात, रुचिकर भोजन की उपलब्धता तथा पर्यटन विकास प्रचार एवं व्यापक प्रसार की आवश्यकता है । इसे दृष्टिगत रखते हुए ही पर्यटन के विकास की नीति का अनुकरण किया गया है ।

5 दीर्घकालीन परिपेक्ष :-

पर्यटन विकास की प्रगति के लिए जनपद में पर्यटन की एक प्रशासकीय इकाई खोलने का प्रस्ताव है । दूरस्थ पर्यटक स्थलों को मोटर यातायात से जोड़ने का भी प्रस्ताव है ।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

पर्यटन उद्योग के विकास हेतु सर्वप्रथम मोटर मार्गों का निर्माण एवं स्थलों का निर्माण तथा [illegible] की आवश्यकता है। प्रदेश का [illegible] प्रदेश पर्वतीय विकास निगम " [illegible] पिकनिक केन्द्रों की व्यवस्था "पैकेज टूर" द्वारा सम्पन्न कर रहा है। पर्वतीय विकास निगम द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों में आवास हेतु टूरिस्ट बंगलों की भी व्यवस्था कर रहा है।

7- इस योजना के लिये सभी वित्तीय साधन राज्य सरकार द्वारा जुटाए जावेंगे।

8- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की पूर्ति स्थानीय रूप से हो जावेगी। भवन निर्माण हेतु लोहा, सीमेन्ट आदि बाहरी जनपदों से मंगाना पड़ेगा। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आवश्यकतानुसार पूर्ति जनपद में ही हो जावेगी।

9- शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

पर्यटन को पर्वतीय क्षेत्रों का एक उद्योग- स्वरूप मानते हुए, विकसित करने की आवश्यकता है। पहाड़ों का हित एवं विकास इसमें निहित है। इससे विभिन्न संस्थाओं को नया रूप मिलेगा, रोजगार की सम्भावनायें बढ़ेगी, और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सकेगा। शासन को इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में, इस उद्योग को बढ़ावा देते हुये सुलभता भी होगी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में इस जनपद में पर्यटन के विकास पर 311 लाख रुपया व्यय किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें जनपद के विभिन्न विश्रामगृहों, टूरिस्ट बंगलों आदि में 600 से अधिक शय्याओं की व्यवस्था की जावेगी। उत्तरकाशी की डूडीताल झील एक सुरम्य प्राकृतिक झील है। उसमें नौका विहार की सुविधा बढाने तथा उसे मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है। सुन्दर झीलों के बहिर्मुखी विकास व जल क्रीड़ा के लिये 50,000 रू0 का प्राविधान रखा गया है गंगोरी से डूडीताल मोटर मार्ग की लम्बाई लगभग 40 किलोमीटर होगी, और इस पर लगभग 80 लाख रुपया व्यय किये जाने प्रस्तावित है। वन्य जन्तुओं के विकास को पर्यटन का महत्व पूर्ण अंग मानते हुये जनपद में गोविन्द पशु विहार का विकास वांछनीय है।

वर्ष 1974-75 की उपलब्धियों में स्याना चट्टी (यमनोत्री) मार्ग में पथिक आवासगृह का निर्माण तथा गंगोत्री में एक 2 सूट का तथा दूसरा 4 सूट का एक पथिक आवास गृह का कार्य सम्पन्न होना था। सम्पूर्ण पंचम पंचवर्षीय योजना अवधि में आवास व्यवस्था अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित है।

1- पर्यटक आवास गृह गंगोत्री का निर्माण 200 शय्या

2- उत्तरकाशी यात्री विश्रामगृह 200 शय्या

3- हनुमान चट्टी (यमनोत्री) में पर्यटक आवास 100 शय्या

4- जानकी बाई चट्टी में पर्यटक आवास 100 शय्या

योजना अवधि में उत्तरकाशी में एक पर्यटक केन्द्र खोले जाने का भी प्रस्ताव है।

वर्ष 1975-76 में निर्माणाधीन कार्यों का विकास किया जायगा। आवास-गृहों के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही की जावेगी और भूमि अध्याप्ति के मामलों के निपटान कार्य किया जायगा। हर्षिल में यात्री विश्राम गृह, उत्तरकाशी में पर्यटन केन्द्र खोलने व एक यात्री विश्राम गृह, पशु विहार की व्यवस्था, पर्यटन के व्यापार प्रचार तथा पर्यटन विकासान्तर्गत गंगोत्री, हनुमानचट्टी, जानकीचट्टी, हर्षिल एवं उत्तरकाशी में टूरिस्ट कम्पलेक्स का विकास भी प्रस्तावित है। वर्ष 1975-76 में पर्यटन विकास के अन्तर्गत 36 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

निर्मित यात्री विश्रामगृहों एवं टूरिस्ट रेस्ट हाउस की स्थिति

वर्ष 1969 तक		वर्ष 1974 तक	
पिलिग्रेम सेड	रेस्ट हाउस	पिलिग्रेम सेट	रेस्ट हाउस
		1, उत्तरकाशी	1 उत्तरकाशी
		2- चिन्यालीसौड़	2 बड़कोट
		3- बड़कोट	3- गंगनानी
		4- स्यानाचट्टी	
		5- जोफ	
		6- भैरोघाटी	
		7- गंगोत्री	

रूप पत्र :- 1

पर्यटन

पांचवीं योजना परिव्यय — राज्य आयोजनागत — (हजार रूपयों में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	पांचवीं योजना परिव्यय	1974-75 परिव्यय	1974-75 व्यय	1975-76 का परिव्यय
1-	स्पिलओवर योजनायें				
	(अ) गंगोत्री पर्यटन विश्रामगृह में बिस्तरों की संख्या				-
	(आ) गंगोत्री यात्री शेड में बिस्तरों की संख्या				-
	(इ) हर्षिल यात्री विश्रामगृह में बिस्तरों की संख्या				90-0
2-	प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इकाई स्थापना				224-0
3-	प्रचार	31129-0	818-0	818-0	25-0
4-	जल विहार का विकास				100-0
5-	पर्यटन विकास टूरिस्ट कम्पलेक्स विकास				
	(1) गंगोत्री				1000-0
	(2) हनुमान चट्टी				500-0
	(3) जानकी चट्टी				500-0
	(4) हर्षिल				160-0
	(5) उत्तरकाशी				1000-0
6-	शीत, वोटर मार्गों तथा पर्यटन के अन्य संसाधनों की उपलब्धि एवं विकास				
	योग :-	31129-0	818-0	818-0	3599-0

शिक्षा :-

जनपद उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग वर्ष 1960 से एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। जिला बनने के समय (वर्ष 1960) इस जनपद में 128 प्राइमरी, 10 जूनियर हाईस्कूल, एक हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा एक संस्कृत पाठशाला, राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहे थे।

2- **वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-**

वर्ष 74-75 के अन्त तक जनपद में 321 प्राइमरी, 43 जूनियर हाईस्कूल, 5 हाईस्कूल तथा 7 इन्टर कालेज कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त एक स्नातक स्तर का महाविद्यालय, जिसमें कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रम हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। जनपद में एक दीक्षा विद्यालय भी वर्ष 1974-75 के अन्त में कार्यरत था।

3- **चालू विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-**

इस जनपद में उपरोक्त प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थायें शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। निःसन्देह ये शिक्षण संस्थायें एक सीमा तक जनपद की शिक्षा की आपूर्ति करती हैं, परन्तु इन संस्थाओं में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण सामग्रियों एवं भवन तथा छात्रावासों का भी अभाव है, जिससे शिक्षा के गुणात्मक ~~[illegible]~~ विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। कुछ प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप कुछ कक्षाओं को खुले आसमान के नीचे चलाया जा रहा है, वर्षा के कारण तथा शीत के तीव्रता के कारण भी बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है।

4- **दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-** पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल नये विद्यालयों का खोलना उसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिल्पों का समावेश तथा वर्तमान विद्यालयों को सुसज्जित करने के अतिरिक्त कोई दीर्घ कालीन योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

5- **विकास सम्बन्धी नीति :-** जनपद में जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थायें खुल रही हैं, उनमें सबसे पहले शिक्षण सामग्री, साज सज्जा एवं भवन तथा उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना अपेक्षित है। साथ ही इनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यावसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा का समावेश जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। बालिका शिक्षा के लिये भी पर्याप्त संसाधन एवं सुविधा उपलब्ध की जानी अपेक्षित है।

बालिका शिक्षा के लिये पर्याप्त संसाधन एवं सुविधा उपलब्ध की जाना अपेक्षित है ।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

जनपद की पंचम पंचवर्षीय योजना में दूरस्थ क्षेत्रों तथा अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा का प्रबन्ध प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा । बालिकाओं की शिक्षा में प्रसार एवं विकास की नीति को पूर्णतः अपनाया जायेगा ।

7- संसाधनों की उपलब्धी एवं उनका आयोजन :-

नई शिक्षण संस्थाओं को खोलने एवं उनमें नयी योजनाओं के समावेश हेतु स्थान उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है । अन्य प्रकार से संसाधनों की उपलब्धि जिसमें धन प्रमुख है शासन की ओर से ही अपेक्षित है । शिक्षा विकास हेतु के अन्तर्गत यहाँ पर स्थानीय अथवा सहकारी सहयोग, क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा गरीबी के कारण सम्भव नहीं है ।

8- विकास कार्यक्रम के लिये शासकीय एवं विशिष्ट स्तर की आवश्यकता :-

इसकी यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होगी ।

(1) इस जनपद में अभी भी एक अध्यापकीय प्राइमरी स्कूल है जिनमें एक अध्यापक को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाना पड़ता है । इस पद्धति को समाप्त होना चाहिए, ताकि विद्यालयों के कार्यों में दक्षता लाई जा सके ।

(2) आवासगृह :- प्राथमिक विद्यालयों में भवनों की कमी है । यही स्थिति जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूलों के सन्दर्भ में भी है । शासन से अपेक्षित है कि इन विद्यालयों के लिए भवन निर्माणार्थ आवंटन शीघ्र करें ।

वर्ष -75-76 में 12 नये प्राइमरी, 4-सीनियर बेसिक स्कूल 2 हाई स्कूल तथा एक इन्टर कालेज खोला जाना प्रस्तावित है । तत्सम्बन्धी विवरण-पत्र, संलग्न पत्र दो में अंकित किया गया है ।

परिपत्र :-1

जिला उत्तरकाशी

पाँचवी योजना परिव्यय (हजार रु० में)

क्र०सं०	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग
1	2	3	9	10	16	17	23	24	30
1-	शिक्षा :-								
(1)	उच्च शिक्षा	519	519	30	30	30	30	117	117
(2)	सामान्य शिक्षा	1904	1904	113	113	107	107	226	226
(3)	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1583	1583	98	98	105	105	201	201
योग :-		4006	4006	241	241	242	242	544	544

परिशिष्ट :-2

जिला उत्तरकाशी ------- पाँचवी योजना का कार्यक्रम ------ भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्र०सं०	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति	चौथी योजना के अन्त तक उपलब्धियाँ 31-3-74 तक की स्थिति	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	**शिक्षा :-**						
(1)	विद्यालयों की संख्या						
	(क) नगरीय						
(1)	बेसिक स्कूल	संख्या	3	3	-	-	-
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,,	1	1	-	-	-
(3)	हायर सेकेन्ड्री स्कूल/इन्टर	,,	1/-	2/2	-/-	-/-	-/-
(4)	डिग्री कालेज	,,	-	1	-	-	-
(5)	विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
	(ख) ग्रामीण :-						
(1)	बेसिक स्कूल	,,	286	295	87	26	12
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,,	23	39	26	4	4
(3)	हाई स्कूल	,,	4	6	10	1	2
(4)	इण्टर कालेज	,,	3	4	5	1	1
(5)	डिग्री कालेज	,,	-	-	-	-	-
(6)	विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
	भर्ती →						
(1)	बेसिक स्कूल	,,	8501	9301	इसके निमित्त लक्ष्य नहीं निर्धारित है।	10712	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,,	835 / 665	1609	- 99 -	1702	-

1	2	3	4	5	6	7	8
(3)	हायर सेकेन्ड्री स्कूल (भर्ती)	संख्या	1810	2534	लक्ष्य अप्राप्त	2831	-
(4)	डिग्री कालेज ,,	,,	-	202	-	216	
2- (ख)	बालिकायें (भर्ती)						
(1)	बेसिक स्कूल	संख्या [illegible]	3037	3817	-	4230	-
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,,	88	119	-	110	-
(3)	हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,,	220	413	-	392	-
(4)	डिग्री कालेज	,,	-	43	-	41	-
(5)	विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
(ग)-	अनुसूचित जाति/जनजाति						
(1)	बेसिक स्कूल	,,	850	2152	-	2223	-
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,,	35	59	-	86	-
(3)	हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,,	108	202	-	272	-
(4)	डिग्री कालेज	,,	-	36	-	40	-
(5)	विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
2-	शिक्षक शिष्य अनुपात						
(1)	बेसिक स्कूल	अनुपात	1:30	1:30	-	1:30	-
(2)	सीनियर बेसिक स्कूल	,,	1:13	1:13	-	1:13	-
(3)	हायर सेकेन्ड्री स्कूल	,,	1:26	1:26	-	1:26	-

प्राविधिक शिक्षा

जनपद उत्तरकाशी में प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रगति नगण्य रही है । पाँचवी योजनान्तर्गत इस जनपद के मुख्यालय में एक डिप्लोमा स्तर का प्राविधिकसंस्थान खोले जाने का लक्ष्य था । वर्ष 1975-76 से यह संस्थान एक किराये के भवन पर चल रहा है ।

इस संस्थान को स्वीकृति वर्ष 1975-76 में हो गई है जिसमें निम्न कोर्सो का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

1- फार्मेसी

2- स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस

3- कास्ट्यूम डिजाइनिंग

4- ऊन (वूल) टेक्नोलॉजी

उपरोक्त प्रत्येक कोर्स के अन्तर्गत प्रवेश क्षमता 30 प्रशिक्षणार्थी की है ।

रूप पत्र :- (1)

जिला उत्तरकाशी पाँचवी योजना परिव्यय संस्था का नाम राजकीय पोलीटैक्निक, उत्तरकाशी

हजार रुपयों में

(1974 -75)

क्र०सं०	कार्यक्रम	1974-1979 परिव्यय		व्यय				1975-76 का परिव्यय	
		राज्य आयो जनागत	योग	राज्य आयो जनागत	योग	राज्य आयो जनागत	योग	राज्य आयो जना गत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वेतन, भत्ते एवं मानदेय आकस्मिक व्यय साज सज्जा फर्नीचर निर्माण कार्य	2500	2500	-	-	-	-	251	251
	योग हजार रुपयों में	2500	2500	-	-	-	-	251	251

-153-

रूप पत्र 1-(2) राजकीय पोलीटेक्निक, उत्तरकाशी।

क्र०सं०	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियाँ	31/3/74 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य	1974-75 की उपलब्धियाँ	1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-	प्राविधिक शिक्षा	संख्या	-	-	-	-	-
	इन्जीनियरिंग/प्राविधिक संस्थाओं की संख्या	,,	-	-	-	-	-
2-	डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की संख्या	,,	-	-	1	-	1
3-	सार्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं की संख्या	,,	-	-	-	-	-
2-	भर्ती	,,	-	-	-	-	-
1-	डिग्री	,,	-	-	-	-	-
2-	डिप्लोमा ✓	,,	-	-	480	-	120
3-	सार्टीफिकेट	,,	-	-	-	-	-

स्वास्थ्य :-

1- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में निम्नलिखित स्थिति थी ।

1-	जिला अस्पताल	1
2-	ऐलोपैथिक चिकित्सालय	10
3-	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	26
4-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4
5-	रतिरोग निवारण केन्द्र	1
6-	कुष्ट रोग निवारण केन्द्र	1
7-	बी0सी0जी0 टीम	1
8-	नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र	1
9-	ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र	4
10-	,, ,, ,, उप केन्द्र	16
11-	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	4
12-	ए0एन0एम0 उपकेन्द्र	24
	शय्यायें	183
13-	डाक्टर	

इस प्रकार चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक की प्रक्षिप्त जनसंख्या (प्रोजेक्टेड) 154000 के आधार पर 3581 जन संख्या पर एक चिकित्सालय, 4667 जन संख्या पर एक डाक्टर तथा 842 जनसंख्या पर एक शैय्या उपलब्ध है ।

पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में सात आयुर्वेदिक चिकित्सालय दो ऐलोपैथिक चिकित्सालय एक डी0डी0पी0 क्लिनिक, दो होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा एक टी0बी0 क्लिनिक खोलने के प्रस्ताव है । इस योजना में विशेष ध्यान वर्तमान चिकित्सालय सुविधाओं में प्रसार एवं सुधार का रखा गया है, ताकि प्रत्येक संस्था अधिकाधिक चिकित्सा सेवा प्रदान कर सके । वर्ष 1975-76 में एक ग्रामीण ऐलोपैथिक तथा एक होम्योपैथिक अस्पताल खोलना प्रस्तावित है ।

2- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

वर्तमान उपलब्ध चिकित्सा संस्थायें तथा उप चिकित्सा संस्थायें जनपद की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, किन्तु इस जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सेवा में और प्रसार किया जाना आवश्यक है ॥

3- चालू विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

वर्तमान उपलब्ध साधनों चिकित्सा सेवायें, यद्यपि संस्थाओं के अनुसार पर्याप्त हैं, परन्तु अनेक दोषों के कारण इनका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है । इसका मुख्य कारण चिकित्सा संस्थाओं के लिए, अत्यन्त न्यूनतम धनराशि शासन से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे सामान्य औषधियाँ भी पूर्ण रूपेण क्रय नहीं हो पाती हैं । दूसरा मुख्य कारण तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण चिकित्सा संस्थायें का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है ।

4- दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

जनपद की हुत विकास गति एवं बढ़ती जनसंख्या के आधार पर तदनकूल चिकित्सा सेवाओं का प्रसार किया जाना है । पंचम, षष्ठम एवं सप्तम पंच वर्षीय योजना से इस विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 2 होम्योपैथिक 2 एलोपैथिक तथा 2 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं मुख्यालय पर भारत सरकार के नमूने की रति रोग तथा क्षय रोग क्लिनिक प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त वर्तमान संस्थाओं में प्रसार एवं सुधार किये जाने भी प्रस्तावित है ।

5- विकास की नीति :-

पंचम पंच वर्षीय योजना बनाते समय जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान रखा गया है । प्रत्येक क्षेत्र की आबादी, क्षेत्रफल एवं आवश्यकताओं के अनुसार अधिकाधिक चिकित्सा सेवा का प्रसार करना मुख्य नीति है । सप्तम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक 5 मील की परिधि में एक चिकित्सा संस्था उपलब्ध हो जायेगी ।

6- प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

पंचम पंच वर्षीय योजना में वर्तमान चिकित्सा संस्थाओं में सुधार एवं

प्रकार की प्राथमिकता दी गई है जैसा कि संलग्न पंचम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के भौतिक लक्ष्य से स्पष्ट है ।

7- आवश्यक संसाधन और उनको जुटाने का स्रोत :-

सम्पादन योजनाओं के सम्पादन के लिए धन विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा ।

8- भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

पंचम पंच वर्षीय योजना में जिला अस्पताल में एक सर्जन तथा नर्सिंग स्टाफ को प्रस्ताव किया गया है ।

9- शासन के विचार हेतु प्रश्न:-

योजनाओं के सम्पादन में मुख्य कठिनाइयाँ योजनाओं की स्वीकृति के तत्सम्बन्धी धनराशि का आवंटन एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति में विलम्ब होता है । इसे यथासम्भव दूर किया जाना परमावश्यक है।

-- ****-

आयुर्वैदिक एवं यूनानी चिकित्सा

देशी पध्दति की चिकित्सा के अन्तर्गत इस जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 26 आयुर्वैदिक चिकित्सालय स्थापित रहे । इन चिकित्सालयों की देखरेख क्षेत्रीय आयुर्वैदिक अधिकारी नरेन्द्र नगर (जिला टिहरी गढ़वाल) द्वारा की जाती है ।

वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

वर्तमान समय में जो चिकित्सालय कार्यरत हैं उनकी दशा प्रायः अच्छी नही है । भवन अधिकांशतः किराये के मकानों में हैं और उनमें पूर्ण सुविधायें नही है । कुछ चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी है ।

पाँचवी योजनान्तर्गत 7 नवीन आयुर्वैदिक चिकित्सालय खोले जाने प्रस्तावित है । ये चिकित्सालय हिडोली, (पुरौला) पटारा (डुण्डा) कल्याणी (डुण्डा) बालडी (डुण्डा) जांदगु (नौगाँव) नन्दगाँव (नौगाँव) स्यानाचट्टी (नौगाँव) में स्थापित किये जायेंगे । वर्ष 1975-76 में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नही रखा गया है ।

चेचक उन्मूलन योजना

चेचक उन्मूलन योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल व अगले तीन वार्षिक योजनाओं में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना रही है । इस जनपद में चेचक उन्मूलन योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के वर्ष 63-64 में चेचक के टीके के सामूहिक अभियान के रूप में प्रारम्भ हुई है । वर्ष 1963-64 से 1965-66 मैपिंग का कार्य किया गया । इस अवधि में लगभग 80 से 90 प्रतिशत जनसंख्या को प्राथमिक व पुनर्मद टीका लगाया गया । वर्ष 66-67 से 68-69 तक नवजात शिशुओं सामूहिक टीका अभियान में बचे हुये लोगों व चल जनसंख्या को व पिछले तीन वर्षों में टीका न लगे हुए व्यक्तियों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई । इस अभियान के फल - स्वरूप रोगियों की स्थिति में सुधार हुआ, परन्तु उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण न हुआ ।

66-67 वर्ष से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत जिले के बड़े भाग अनुरक्षण प्रावस्था में प्रवेश होने के कारण चेचक टीका व अन्य कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई, और टीके का कार्य आधारिक स्वास्थ्य सेवाओं को सौंप दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से यह कार्यक्रम केन्द्र पुरोनिधारित कार्यक्रम हो गया। इस योजना के लिये जनपद में प्राथमिक व पुनर्भेद टीका का लक्ष्य क्रमशः 55,362 व 146,730 था। इसके साथ ही जिले में चेचक उन्मूलन का लक्ष्य भी निहित था। इन लक्ष्यों के अन्तर्गत 3[illegible],545 प्राथमिक व 140,036 पुनर्भेद टीके लगाये गये।

वर्ष 1973-74 के अक्टूबर मास में सर्वथा नई कार्यविधि भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चेचक उन्मूलन के लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपनाई गई। इस नई विधि के अनुसार जनता में सामूहिक टीका लगाये जाने के बजाय चेचक के रोगियों की खोज पर विशेष बल दिया गया, और जहाँ भी चेचक रोगी मिले वहीं सघन रूप से ग्राम व एक मील के अर्धव्यास के दौरे के अन्दर समस्त जनता को प्राथमिकता के आधार पर लगभग एक सप्ताह की अवधि में टीके का कार्य पूर्ण किया गया। इस नई कार्यप्रणाली को अपनाने के फलस्वरूप टीके का लक्ष्य भले ही पूर्ण न हो सका, परन्तु वर्ष 1974-75 में जनपद में चेचक उन्मूलन सम्भव हो सका। प्रारम्भ में जनपद में चेचक की कोई घटना नहीं हुई और माह जून 74 के दूसरे सप्ताह के पश्चात् जनपद में चेचक की कोई घटना नहीं हुई।

पंचम पंचवर्षीय योजना काल के लिये टीकों का लक्ष्य क्रमशः 44931 प्राथमिक व 149,937 पुनर्भेद टीके रखा गया है। योजना के प्रथम वर्ष [गये और 1975 के अन्त तक 8404 प्राथमिक व 29980 पुनर्भेद टीके] 74-75 में 4,106 प्राथमिक व 21,162 पुनर्भेद टीके लगाये जाने का अनुमान है। इस योजना काल में विशेष बल चेचक के हुये अथवा बाहर से आये हुये रोगियों की खोज पर रहेगा, ताकि ऐतिहासिक चेचक उन्मूलन की उपलब्धि को बनाया रखा जा सके।

चेचक रोगी की खोज में जनता के सहयोग की प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चेचक के नये रोगी की प्रथम सूचना देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। यह पुरस्कार योजना के प्रथम वर्ष में 25) मात्र था। जो बढ़ा कर 1000 रु0 कर दिया गया है।

अक्टूबर 1975 से जब से नई कार्यविधि अपनाई गई मार्च 75 तक 15 खोज अभियान चलाये गये। इसके पश्चात् जिले में चेचक की शून्य स्थिति हो जाने पर योजना काल के द्वितीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में मासिक चेचक खोज अभियान चलाये गये।

परिवार नियोजन कार्यक्रम :-

देश की प्रगति हेतु परिवार नियोजना को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानने के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही इस कार्यक्रम को आरम्भ किया गया था। इस दिशा में निरन्तर बल दिया जा रहा है। इस कार्य में विशेष तीव्रता वर्ष 1964-65 के सघन अनुवर्तीकरण नसबन्दी योजना लागू होने से आई। 1965 से लूप कार्यक्रम अपनाये जाने से यह इसका महत्वपूर्ण अंग बन गया।

2- परिवार नियोजन की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जिले में ग्रामीण तथा नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिला स्तर पर परिवार नियोजन ब्यूरो भी स्थापित किया गया है।

3- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनपद में ग्रामीण/ नगरीय केन्द्र तीन स्थापित किये जा चुके थे तथा 2116 व्यक्तियों में नसबन्दी व 233 महिलाओं में लूप निवेसन सेवा प्रदान की जा चुकी थी।

4- परिवार नियोजन की कोई न कोई विधि अपनाने के लिये सभी सन्तान उत्पन्न करने में सक्षम दम्पतियों को आगे आना है पर अभी तक अनुमानित 33000 दम्पतियों में से 3500 दम्पतियों ने ही इसका लाभ उठाया है। अतएव कार्यक्रम में अभी काफी विस्तार करने की सम्भावना है।

5- वर्ष 1974-75 में परिवार नियोजन योजना पर रु0 2-60 लाख व्यय हुआ तथा जिले में नसबन्दी की उपलब्धि 122 व लूप निवेशन की उपलब्धि 44 हुई।

वर्ष 1974-75 से चिकित्सीय गर्भ समापन योजनापर विशेष बल दिया गया तथा खाने वाली गर्भ निरोधक गोली को सामान्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

6- वितरण वर्ष 1975-76 में महिला नसबन्दी लूप निवेशन परम्परागत गर्भ निरोध के वितरण तथा खाने वाली गर्भ निरोधक गोली पर विशेष बल दिये जाने की योजना है। वर्ष 1975-76 के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

7- नसबन्दी 595
लूप निवेशन 440

8- नसबन्दी - लूप- परम्परागत गर्भ निरोध के खाने वाला गोली परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को बहुधन्धी बनाये जाने की योजना 1975-76 से लागू हो जायेगी। आशा है कि इससे कार्यक्रम का व्यापक प्रसार होगा, तथा उपलब्धियाँ भी अच्छी होगी।

रूप पत्र 1 चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पांचवीं योजना परिव्यय

क्र० सं०	कार्यक्रम	पांचवीं योजना परिव्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	1975-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	1974-75 व्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	योग	1975-76 परिव्यय राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	
1-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य												
	1- शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में सुधार, शय्याओं की वृद्धि 2- जिला अस्पताल में बाल रुग्णालय, दन्त रुग्णालय आर्थोपेडिक संस्थान 3- होम्योपैथिक चिकित्सा पर व्यय 4- आयुर्वेदिक चिकित्सा पर व्यय 5- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं उपकेन्द्रों का विकास एवं उनमें अतिरिक्त औषधियों की उपलब्धि 6- परिवार नियोजना, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना, कुष्ट नियन्त्रण कार्यक्रम का व्यापक प्रसार 7- राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की व्यापकता बढ़ाना	1747-0	3238-0	4985-0	187-0	596-0	783-0	92-0	320-0	412-0	284-0	397-0	681-0
	योग	1747-0	3238-0	4985-00	187-0	596-0	783-0	92-0	320-0	412-0	284-0	397-0	631-0

पांचवी योजना के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्रमांक	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धि	31/3/74 तक की उपलब्धि	पांचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	जनास्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन						
1-	एलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या						
	(क) राजकीय ,,						
	(1) नगरीय ,,	,,	1	1	—	—	—
	(2) ग्रामीण ,,	,,	8	10	5	1	1
	(ख) अन्य						
	(1) नगरीय	संख्या	राज्य	-	-	-	-
	(2) ग्रामीण	,,	,,	-	-	-	-
2-	आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल/ औषधालय की संख्या						
	(क) राजकीय						
	(1) नगरीय ×	संख्या	~~राज्य~~	~~21~~	~~26~~	~~7~~	—
	(2) ग्रामीण ✓	,,	21	26	7	—	—
	(ख) अन्य						
	(1) नगरीय	संख्या	राज्य	-	-	-	-
	(2) ग्रामीण	,,	,,	-	-	-	-

-162-

1	2	3	4	5	6	7	8
3-	होमोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या						
	(क) राजकीय						
	(1) नगरीय	संख्या	राज्य	-	-	-	-
	(2) ग्रामीण	,, ,,	-	-	2	1	1
4-	प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों की संख्या	,, ,,	4	4	-	-	-
5-	शेयाओं की संख्या	,, ,,	-	-	-	-	-
	(क) नगरीय						
	(1) एलोपैथिक	,, ,,	18	25	40	10	10
	(2) आयुर्वेदिक/यूनानी	,, ,,	-	-	-	-	-
	(3) होमियोपैथिक	,, ,,	-	-	-	-	-
	(ख) ग्रामीण						
	(1) ऐलोपैथिक	,, ,,	46	54	8	4	4
	(2) आयुर्वेदिक/यूनानी	,, ,,	84	104	28	-	-
	(3) होमियोपैथिक	,, ,,	-	-	8	4	4
6-	विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित यूनिट की संख्या						
	(1) टी0बी0 (टीम)	संख्या ,,	1	1	-	-	-
	(2) ~~कैन्सर कोष~~ रक्त कोष	,, ,,	[illegible]	1	-	-	-
	(3) छूत की बीमारी (रतिरोग)	,, ,,	1	1	-	-	-
	(4) कुष्ठ रोग	,, ,,	1	1	-	-	-
7-	परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या	,, ,,	4	5	-	-	-
8-	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की संख्या	,,	5	5	-	-	-
9-	ए0एन0एम0 उप केन्द्रों की संख्या	,,	24	24	-	-	-

-165-

1	2	3	4	5	6	7	8
10-	मेडिकल कालेजों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
11-	प्रवेश क्षमता	,,	-	-	-	-	-
12-	सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में डाक्टरों की संख्या	,,	16	33	56	33	47
	ऐलोपैथिक	संख्या	6	16	-	-	-
	परिवार नियोजन	,,					
	1- बन्ध्याकरण						
	(1) पुरुष	,,	649	2116	-	122	590
	(2) स्त्री	,,	-	-	-	-	-
	2- आई0 यू0सी0डी0	,,	42	233	-	44	440

उपरोक्त मद 12 के कालम 6 में पाँचवी योजना अवधि में डाक्टरों की आवश्यकता की संख्या अंकित है । कालम 7 में वास्तविक नियुक्ति संख्या है । कालम 8 में पुनः डाक्टरों की आवश्यकतानुसार संख्या अंकित है ।

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना टीके	संख्या					
(1) प्राथमिक	संख्या	एन0ए0	34885	44981	4106	8994
(2) पुनर्भेद	,,	एन0ए0	140036	149937	21162	29980

पेयजल सम्पूर्ति

हिमालय की तलहटी में बसा जिला उत्तरकाशी उत्तरप्रदेश का एक सीमान्त जिला है । इसके पूर्वी सीमा में जनपद चमोली तथा पश्चिम में देहरादून और हिमाचल प्रदेश की सीमायें मिलती है । जनपद की दक्षिणी सीमा में जिला टिहरी गढ़वाल स्थित है इसका क्षेत्रफल 7816 वर्ग किलोमीटर है । यह चार विकास खण्डों भटवाड़ी डुण्डा, पुरोला एवं नौगांव में विकास की दृष्टि से विभाजित है । इस जनपद में एक नगरपालिका, उत्तरकाशी व दो नगर क्षेत्र समिति भटवाड़ी और बड़कोट है, इसमें 669 राजस्व ग्राम हैं, इन ग्रामों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 141805 है । इस जिले के ग्राम प्रायः एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक ग्राम की आबादी एक ही जगह एकत्रित न होकर बिखरी हुई है । विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है । किन्तु इसके विकास की सम्भावना अभी बहुत हैं । इस क्षेत्र में वन्य सम्पदा की कोई कमी नहीं है और गंगोत्री यमुनोत्री दो पवित्र स्थान हैं । प्रत्येक वर्ष तीर्थ यात्रियों के आने जाने से इस क्षेत्र के विकास की सम्भावनायें और अधिक बढ़ गई है

द्वितीय योजना तक इस जिले में पेयजल योजनाओं का निर्माण सिंचाई विभाग व विकास खण्डों के माध्यम से किया जाता रहा है, और तत्सम्बन्धी प्रगति बहुत धीमी रही । द्वितीय योजनाकाल से पेयजल सम्बन्धी योजनाओं का कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को सौंपा गया । परन्तु इस जिले में वर्ष 1970 तक विभाग की केवल एक उपशाखा कार्यरत रही जिसके कारण निर्माण कार्य में धीमी प्रगति स्वाभाविक थी । अक्तूबर 1970 में जनपद में एक अस्थायी निर्माण शाखा की स्थापना हुई और 1972 में एक अन्य सर्वे शाखा का सृजन, पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन बनाने के लिए किया गया ।

इस क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल सुविधा की कठिनाई है। क्षेत्र के विकास में पेयजल सुविधा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । शुध्द जल स्रोत प्रायः ग्रामों से अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण व्यवस्थित रूप से पेयजल योजनाओं का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ग्रामों की सुविधा उपलब्ध होने पर जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की आशंका काफी कम हो जायेगी ।

वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक टिप्पणी :- पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित श्रोतों पर ग्राम वासियों का प्रायः विवाद रहता है। जिसके कारण योजना का निर्माण में बहुत समय नष्ट होता है। या उस योजना को स्थगित अथवा संशोधित करना पड़ता है। सड़कों से काफी दूरी पर एक ग्राम स्थिति होने एवं पेयजल योजनाओं के लिए प्रस्तावित श्रोत भी प्रायः दूर होने के कारण योजनाओं के सम्पादन में अधिक समय लगता है। पेयजल योजनाओं की निर्माण सामग्री ढुलाई, स्थानीय पहुँचाने में कठिन कार्य होता है। और निर्माण कार्य की देखभाल के कार्य में भी मुश्किल रहती है। कई स्थानों पर पथरीला क्षेत्र होने के कारण पाइपों को जमीन के नीचे दबाना मुश्किल ही नहीं अपितु असम्भव हो जाता है।

2- उद्देश्य तथा नीति :- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पश्चात इस जनपद में कुल 316 अभावग्रस्त ग्राम पेयजल सुविधा से वंचित रह गये हैं एवं 140 अन्य ग्रामों में पेयजल व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इनका पुनर्गठन अत्यन्त आवश्यक है। उन ग्रामों में अधिकतर पेयजल योजनायें सिंचाई विभाग, हरिजन समाज कल्याण विभाग तथा सामुदायिक विकास विभाग द्वारा बनाई गई है। इन सभी अभाव ग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा प्रदान करने में 169-94 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। पंचम पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण केवल 140 उपरोक्त ग्रामों की वर्तमान पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन तथा 316 बचे हुए अभाव ग्रस्त ग्रामों में से केवल 256 ग्रामों में केवल ही पेयजल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। जिसमें लगभग 143-04 लाख रुपया व्यय का अनुमान है। शेष ग्रामों को [illegible] योजना में लिया जायेगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक हुई प्रगति :- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक एक नगर 99 ग्राम, 15 हेमलेट तथा 16 पट्टियों में पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जिससे लगभग 6000 नागरिय एवं 31813 ग्रामीण जनता लाभान्वित होती है। इस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत प्रतिशत नागरिय एवं 20 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दो जलोत्सारण योजनायें भी उत्तरकाशी नगर में एवं बड़कोट नगर में [illegible] निर्मित की गई हैं। जिससे इन दोनों स्थानों पर 5000 एवं 600 की जनसंख्या लाभान्वित हुई है इसके अतिरिक्त गंगोत्री एवं यमनोत्री मार्गों में आने जाने वाले हजारों यात्रियों की की सुविधा के लिए विभिन्न चट्टियों पर शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण किया गया है, जिनकी संख्या चतुर्थ योजना के अन्त तक क्रमशः 53 एवं 25 है।

पाँचवी योजना में अपनाई जाने वाली विकास नीति :-

पंचम पंचवर्षीय योजना काल में अभाव ग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता देते हुए पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जायेगा, जिससे अत्यधिक अभाव ग्रस्त ग्रामों को सर्व प्रथम पेयजल सुविधा प्रदान की जायेगी । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अधिकता वाले ग्रामों को भी पेयजल सुविधा प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय सूचना :- इस जनपद में सभी पेयजल योजनाओं का निर्माण तथा संरक्षण हेतु धन शासन से ही उपलब्ध होगा । पाँचवी योजनाके अन्तर्गत वर्ष 74-75 में शासन से "499 एवं 299 विशेष एवं पिछड़े क्षेत्र उत्तराखण्ड लेखा" शीर्षक के अन्तर्गत क्रमशः 18-21 व 10-43 लाख रु० उपलब्ध हुए, जिनके अन्तर्गत कुल 28.6 लाख रु० व्यय किया गया है। ~~वर्ष 1975-76 में 28.6 लाख रु०~~ इसके अतिरिक्त 1-90 लाख रुपया पूर्ण योजनाओं के अनुरक्षण पर व्यय किया गया है। वर्ष 1975-76 में कुल 38.12 लाख रुपया के परिव्यय के अन्तर्गत योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त पूर्ण योजनाओं हेतु 2 लाख रुपया अनुरक्षण के लिए प्रस्तावित है । तथा अन्त में 3 वर्ष हेतु क्रमशः 61-60, 59-66 तथा 34-69 लाख रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है ।

कार्यक्रम वार पाँचवी योजना तथा वार्षिक योजना 74-75 व75-76 की सूचना :-

वर्ष 1975-76 में 51 ग्राम तथा 7 हेमलेट को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। इनमें 39 अभाव ग्रस्त ग्राम भी सम्मिलित है वर्ष 75-76 में 30 ग्रामों में पेयजल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें 21 अभावग्रस्त ग्राम सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त 3 वर्षों में क्रमशः 94, 99 व 102 ग्राम जिनमें 56, 42 तथा 64 अभाव ग्रस्त ग्राम भी सम्मिलित हैं, को पेयजल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है ।

दीर्घकालीन योजनायें :-

समस्त ग्रामों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु दीर्घकालीन योजना बनाई गई है, इसके अन्तर्गत पंचम पंचवर्षीय योजना काल में अधिकतर

ग्रामों में पेयजल योजना बनाई गई है, इसके ~~अन्तर्गत पंचम पंच वर्षीय योजना ग्रामों में पेयजल~~ सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है । शेष बचे ग्रामों तथा उन ग्रामों को, जहाँ अन्य विभागों द्वारा पेयजल योजना बनाई गई है, के पुनर्गठन हेतु षष्ठम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:- इस विभाग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, जिनकी सूचना उपर दी जा चुकी है ।

__केन्द्र घोषित एवं केन्द्र द्वारा पूर्वनिर्धारित योजनायें :-__

वर्ष 72-73 में पेयजल योजनाओं के लिए त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। केन्द्र से इस योजनाओं को सम्पादन हेतु 18-981 लाख रू0 आवंटित किया गया था । जिसमें सभी पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, तथा योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है । केवल विकास क्षेत्र पुरोला की पिन्ताड़ी पेयजल योजना का निर्माण कार्य होना शेष है, जिसका कि इस वर्ष शासन से धन अवमुक्त होने पर पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

__अन्तर क्षेत्रीय विषमतायें :-__

इस जनपद के चार विकास खण्डों में से सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र पुरोला है। इस क्षेत्र की पेयजल की दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण ग्रामों की ऊँचाई एवं कठिन पहुँच है जिसके वजह से इस क्षेत्र की पेयजल योजनायें की अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम प्रगति हुई है, एवं विकास भी कम हुआ है ।

प्रपत्र :- 1 -

(05005)

जिला :- उत्तरकाशी

पेयजल एवं स्वच्छता
पाँचवी योजना परिव्यय

क्र०सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	1974-1979		1974-75		व्यय		1975-76 का परिव्यय		
			संस्थागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-	राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं स्वच्छता	14304-0	11125-0	25429-0	3332-0	3332-0	23640-0	23640-0	3750	3062	6812
	योग :-	14304-0	11125-0	25429-0	3332-0	3332-0	23640-0	23640-0	3750	3062	6812

- 169 -

प्रपत्र :- 2 -

जिला उत्तरकाशी पाँचवी योजना का कार्यक्रम भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

उत्तरकाशी जनपद

क्र0सं0	मद	इकाई	31/3/1969 तक की उपलब्धियाँ	31/3/1974 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी योजना काल का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-	नगरीय जल सम्पूर्ति						
	(1) नगरों की संख्या	संख्या	1	1	-	-	-
	(2) जनसंख्या लाभान्वित	हजार	6	6	-	-	-
(ख)	ग्रामीण जल सम्पूर्ति पाइप द्वारा						
	(1) ग्राम	संख्या	16	99	256	51	30
	(2) जनसंख्या लाभान्वित	हजार	9	32	49	12	20
(ग)	हैन्ड पम्प तथा कुयें (सामुदायिक विकास विभाग)						
	(1) ग्राम	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) जनसंख्या लाभान्वित	हजार	-	-	-	-	-
(घ)	नगरीय जल निस्तारण						
	(1) जल निस्तारण	संख्या	1	1	-	-	-
	(2) जनसंख्या लाभान्वित	हजार	6	6	-	-	-

पेयजल

(सामुदायिक विकास)

सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत, पेयजल की योजना इस जनपद में वर्ष 1974-75 में चालू की गई थी। इस पेयजल योजना व्दारा हरिजन वस्तियों को लाभ पहुँचाने जाने के उददेश्य से वर्ष 1974-75 में विकास खण्ड नौगाँव के छयरौटा ग्राम की हरिजन वस्ति को पेयजल सुविधा देने हेतु एक पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है।

वर्ष 1975-76 में विकास खण्ड पुरोला के लेवाड़ी एवं लेवटाडी ग्रामों में इस योजना के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों के लाभार्थ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। ये ग्राम अधिक कमी वाले ग्राम हैं। इसी उददेश्य से इन ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

रूप पत्र 1

पेयजल (सामुदायिक विकास विभाग)

पाँचवी योजना परिव्यय (हजार रूपयों में)

क्र०सं०	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय		1974-75				1975-76 का परिव्यय	
				परिव्यय		प्रत्याशित व्यय			
		राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग
1-	पेयजल (सामुदायिक विकास विभाग) हरिजन बस्तियों में पेयजल योजना का प्रसार एवं विकास (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	-	-	10·0	10·0	10·0	10·0	10·0	10·0

आवास एवं सहरी विकास

पिछले दो दशकों में इस जनपद के नगरीय भाग की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । उत्तरकाशी नगर के क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व काफी बढ़ रहा है । यह नगर औद्योगिक दृष्टि से भी उन्नति कर रहा है और इसके आँचल में मनेरी भाली परियोजना के प्रथम चरण का जल विद्युत गृह निर्माणाधीन है इन सब कारणों से नगरीय क्षेत्र की आवास व्यवस्था सोचनीय बनी हुई है । स्थानीय निकाय (नगरपालिका) के माध्यम से इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । यह स्थान पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों का भी प्रवेश द्वार है अतः उत्तरकाशी नगर में आवास व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है ।

पाँचवी योजना अवधि में इस कार्य हेतु 5-145 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है, जिससे 5 भूमि अध्याप्ति के मामलों का निपटान किया जायेगा तथा मध्यम आयवर्ग अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल वर्ग के लिए क्रमशः 2, 3, एवं 18 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । वर्ष 1974-75 में इसके अन्तर्गत कार्य नहीं किया गया और वर्ष 1975-76 में भी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रपत्र :-

जिला उत्तरकाशी (आवास एवं शहरी विकास) पाँचवी योजना परिव्यय (लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय			1974-75		1975-76 का परिव्यय		
		राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग	परिव्यय संस्थागत	व्यय संस्थागत	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तरकाशी	-	5-145	5-145	-	-	-	-	-
2-	नगरपालिका द्वारा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण		–	–	1.32	0.81		2.00	2.00
3-	नगर पालिका द्वारा अल्प आय वर्ग गृह निर्माण		–	–	–	–	–	1.00	1.00

नोट – विशेष सूचना लाख रुपयों में है।

प्रपत्र :- 2

जिला उत्तरकाशी

पाँचवी योजना का कार्यक्रम भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्रम सं०	मद जिलेवार	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति	31-3-74 तक की स्थिति में उपलब्धियाँ	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य					वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 के लक्ष्य
					भूमि अध्याप्ति	विकास (एकड़)	म०आ० वर्ग सं०	अ०आ० वर्ग सं०	दुर्बल० वर्ग सं०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आवास										
	भूमि अध्याप्ति/ विकास एवं भवन निर्माण कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-	उत्तरकाशी	-	-	-	5	5	2	3	13	-	-
2-	नगरपालिका द्वारा निर्मित				-	-	10	10	10	-	-
	मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण			-	-	-	-	-	-	4 (सेट)	4 (सेट)
	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण			-	-	-	-	-	-	-	8 सेट

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :-

वर्ष 1971 की जनगणनानुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 147805 है । कुल जनसंख्या में से कर्मकारों (कर्मकार) का प्रतिशत 64 एवं अकार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत 36 है । इसके विपरीत नगरीय क्षेत्र में कर्मकारों का प्रतिशत 41 एवं अकार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत 59 है । अकार्यशील व्यक्तियों में रोजगार की तलाश में लगे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, चाहे वे रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, अथवा नहीं, दिनांक 31/3/75 के दिन स्थानीय रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 993 थी, जिसमें 34 महिलायें भी सम्मिलित हैं । इससे यह स्पष्ट है कि रोजगार चाहने वालों का अधिकांश भाग रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है ।

यहाँ कृषि कार्य पूर्ण वर्ष के लिये उपलब्ध नहीं रहता है । इस प्रकार कृषि पर आधारित जनसंख्या प्रायः बेकार बैठी रहती है । अतः, यह आवश्यक है कि कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान देते हुए अर्द्ध बेकार जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उनके सामान्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके । त्वरित योजना इस दिशा में अधिक उपयोगी रही है । पंचायत उद्योगों का विकास, इस श्रृंखला की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है । इस जनपद में वर्तमान समय में कई बहुउद्देशीय जल विद्युत योजनायें निर्माणाधीन हैं । इस कार्य में बाहरी राज्यों से श्रमिक आते हैं यदि इन कार्यों में स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति की जाये, तो यहाँ के निम्न आर्थिक स्तरीय लोगों को जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है । यह कार्य स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से किया जाना चाहिये ।

विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु इस जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है । शासन ने इस जनपद के पड़कोट नामक स्थान पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना रखी हुई है । वर्ष 1975-76 में इस संस्थान के खोले जाने पर प्रारम्भिक व्यय के रूप में 2.50 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है । इस राशि से संस्थान की स्थापना हेतु भूमि की खरीद आदि भी की जायेगी । यह संस्थान विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण देते हुए, इस जनपद के लिये उपयोगी होगा ।

प्रशिक्षण एवं सेवा योजन

रूप पत्र :- 1 -

पाँचवी योजना परिव्यय

(हजार रूपयों में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	1974-1979 राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (वड़कोट)	अप्राप्त	अप्राप्त	-	-		-	250-0	250-0
योग :-		-	-	-		-	-	250-0	250-0

श्रम एवं श्रम कल्याण

विकासोन्मुख प्रदेश श्रम कल्याण एवं इनके हित कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कराने में अग्रणी रहता है। अभी तक जनपद उत्तरकाशी में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए हैं। श्रम कल्याण के अन्तर्गत पाँचवी योजनाकाल में श्रम परिवर्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं उसके विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव है। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा 20 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए 3 नये पदों का सृजन किया जावेगा। वर्ष 1975-76 में कोई व्यय प्रस्तावित नहीं है।

179

रूप पत्र 1 राज्य आयोजनागत

पाँचवी योजना परिव्यय

(श्रम कल्याण)

जिला उत्तरकाशी हजार रूपयों में

क्र0 सं0	कार्यक्रम (आयोजना का नाम)	पाँचवी योजना परिव्यय: राज्य आयोजनागत	पाँचवी योजना परिव्यय: योग	1974-75 परिव्यय: राज्य आयोजनागत	1974-75 परिव्यय: योग	1974-75 व्यय: राज्य आयोजनागत	1974-75 व्यय: योग	1975-76 का परिव्यय: राज्य आयोजनागत	1975-76 का परिव्यय: योग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	श्रम प्रवर्तनतन्त्र का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण	20-0	20-00	-	-	-	-	-	-
		20-0	20-0	-	-	-	-	-	-

प्रपत्र-2

जिला उत्तरकाशी ----पाँचवी योजना का कार्यक्रम ------भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ, [श्रम कल्याण]

क्र०सं०	मद	इकाई	31/3/69 तक की उपलब्धियाँ	31/3/74 तक की उपलब्धियाँ	पाँचवी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	श्रम प्रवर्तनतंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण	पदों का सृजन		-	3 पदों का सृजन	-	-

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग

भूमिका :-

पहले यह जनपद , जनपद टिहरी गढ़वाल का एक अंग था , उसे रवाईं तहसील के नाम से जाना जाता था। फरवरी 1960 में इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस जनपद का सृजन हुआ तब से यह क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी कहलाता है ।

इस जनपद में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 33718 है जो कि कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचल में लगभग 274 जनजाति / भोटिया/ लोग भी है ।

वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण, कुटीर उद्योग में अनुदान व शिक्षा के क्षेत्र में इन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक सहायता दी गई है ।

कृषि एवं बागवानी , तथा निराश्रित विधवाओं को सहायता सुविधा तथा आवागमन सुविधा हेतु [illegible] मार्गों का निर्माण किया जाता है । इसके अतिरिक्त पशुपालन व लघु सिंचाई की सुविधा हेतु सहायता भी सुलभ की जा रही है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हरिजन एवं समाज कल्याण विभागान्तर्गत जो प्रगति हुई है वह नीचे तालिका में दर्शायी गई है ।

चालू वित्तीय योजनाओं का आलोचनात्मक विवरण :-

विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान की धनराशि की मात्रा न्यून होती है जिससे अधिकांश व्यक्तियों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है । जिले द्वारा जो पांचवी योजना स्वीकृति हेतु निदेशक हरिजन कल्याण उत्तरप्रदेश को भेजी गई थी उसमें यह ध्यान में रखा गया है था कि अधिकांश व्यक्ति लाभान्वित हो सकें , परन्तु निदेशालय द्वारा पांचवी योजना में मांगी गई धनराशि [illegible] कम कर दी गई है, जिससे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के गृह निर्माण की समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है ।

पाँचवो योजना व वार्षिक योजना 1975-76 :-

पाँचवो योजना के अतिरिक्त दीर्घकालीन योजना में गृह निर्माण कुटीर उद्योग तथा शिक्षा सुधार आदि को भी योजना प्रस्तुत को गई है जिसके अनुसार 15 वर्षों में जिले के लगभग 4500 परिवारों को गृह निर्माण को सहायता देने का लक्ष्य प्रस्तावित है । इसी प्रकार अन्य योजनायें भी प्रस्तावित हैं । इस जनपद के पिछड़ा होने के कारण जो योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनके शीघ्र प्रसार की आवश्यकता है । नौगाँव-पुरौला क्षेत्र में वेश्यावृति निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । पुरौला में नारी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें प्रतिवर्ष 50 महिलायें प्रशिक्षित की जावेंगी । सहकारी समितियों के रूप में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जावेगा ।

पाँचवी पंचवर्षीय योजनाकाल में 177 हजार रूपये अनुसूचित जाति व 34 हजार रूपये जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने हेतु प्रस्तावित है । वर्ष 1975-76 में 22500 रूपये अनुसूचित जाति एवं 4500 रूपये अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, छात्रवृति के लिए दिये जावेंगे । इसके अन्तर्गत क्रमशः 75 एवं 15 छात्रों को छात्रवृति दी जावेगी । नारी प्रशिक्षण केन्द्र पुरौला के विकास हेतु पाँचवी योजना में 249000 रूपया प्रस्तावित है । वर्ष 1975-76 में इसके लिए 15000 रूपया व्यय किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भवन निर्माण हेतु अनुदान, पुर्नवास अनुदान, कृषि एवं बागवानी हेतु ऋण आदि भी प्रस्तावित है ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियों के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में 27000 रूपया के व्यय प्रस्तावित है । इस मद के अन्तर्गत सामान्य कोटि में वर्ष 1975-76 में 90 छात्रवृतियाँ दी जावेंगी इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों सम्मिलित हैं ।

विकास की नीति :-

इस जनपद में विभागीय योजनाओं वर्ष 1966-67 से चालू की गई है और अब तक चलाई जा रही है । इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को गृह निर्माण कुटीर उद्योग हेतु अनुदान व इन्ही जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति तथा अनावर्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं ।

प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रम :-

विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गृह निर्माण कुटीर उद्योग, व कृषि विकास हेतु अनुदान तथा शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति व अनावर्तीय सहायता दी जाती है ।

आवश्यक संसाधन एवं उनको जुटाने के स्रोत :-

विभागीय :- विभाग के कार्यकलाप अनुदान पर चलाये जाते है अन्य कोई आय के स्रोत नही है ।

भौतिक संसाधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- कुछ नही है ।

शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

पुरोला तथा नौगांव विकास खण्ड को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है । जनजाति क्षेत्र घोषित हो जाने पर इस क्षेत्र में भी जनजाति के कल्याणार्थ योजनायें कार्यान्वित की जावेगी जिनमें गृह निर्माण कुटीर उद्योग उत्थान, कृषि सुधार तथा पुर्नवास योजनायें शामिल हैं, सम्मिलित की जावेगी । इन योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा जनजाति क्षेत्र घोषित हो जाने पर ही बनायी जायेगी ।

योजना के लक्ष्य पूर्ति :-

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल तक निम्न योजनाओं को अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याणार्थ विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया :-

अनुसूचित जाति	(क) गृह निर्माण लक्ष्य प्राप्ति			247
	(ख) कुटीर उद्योग	,,	,,	634
अनु0जनजाति	(क) गृह निर्माण	,,	,,	73
	(ख) कुटीर उद्योग	,,	,,	60
	(ग) कृषि विकास	,,	,,	3
असहाय महिलाओं को सिलाई मशीन अनुदान		,,	,,	125

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :-

पाँचवी योजना की रूपरेखा को स्पष्ट करने के लिए विवरणात्मक प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है । विभाग की ओर से न्यूनाधिक अत्यावश्यक योजनायें इंगित नहीं की गई है जो भी कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जाता है वही कार्यान्वित किया जाता है ।

शिल्पकार प्रशिक्षण तथा श्रमिक कल्याण

इस जनपद में प्राविधिक प्रशिक्षण संस्था के अन्तर्गत एक राजकीय पोलिटेक्निक स्थापना वर्ष 1975-76 में हुई है। इस संस्था द्वारा फार्मेसी स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस, कस्ट्यूम डिजाइनिंग व ऊन की टेक्नोलोजी के अन्तर्गत डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये गये हैं। इस संस्था के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता 120 प्रशिक्षणार्थियों की है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों पर निर्भर हैं। अपने कृषि कार्य के अतिरिक्त जो समय ग्रामीणों को प्राप्त होता है उसे वे कताई बुनाई आदि में व्यतीत करते हैं। दूर पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों का मुख्य धन्धा भेड़ पालन भी है। इस प्रकार ये लोग अपनी आवश्यकता नुसार ऊनी कपड़ों का उत्पादन स्वंय करते है। पिछले कुछ वर्षों पूर्व तिब्बत के साथ व्यापार बन्द हो जाने के कारण इस दिशा में काफी कमी रही है अतः यह लोग कृषि पर आधारित अन्य उद्योग तेलधानी आँटा चक्की आदि की स्थापना करने लगे हैं। चतुर्थ योजना के अन्त तक उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलने वाले प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों में कुछ शिक्षार्थी विभिन्न ट्रेडों से कुछ प्रशिक्षण प्राप्त भी कर चुके है।

जनपद उत्तरकाशी में कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नही है जिससे यहाँ की जनता को औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त नही है। इस दिशा शासन से बार बार माँग भी की जा चुकी है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की आशा है।

उत्तर प्रदेश

पाँचवीं योजना परिव्यय

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

(रूपयों में)

हजार रुपये में

क्रम सं०	कार्यक्रम	1974-79			परिव्यय 1974-75			व्यय			1975-76 के परिव्यय		
		राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	समाज कल्याण पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के लिये आदर्श प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	190-0	-	190-0	30-0	-	30-0	11-0	-	11-0	40-0	-	40-0
	निर्धन महिलाओं (निराश्रितों) को सिलाई बुनाई की मशीनें तथा अन्य दस्तकारी व साज सज्जा हेतु अनुदान।	590-0	-	590-0	5-0	-	5-0	-	-	-	5-0	-	5-0
	योग समाज कल्याण	249-0	-	249-0	35-0	-	35-0	11-0	-	11-0	43-0 (45-0)	-	43-0
	2- हरिजन कल्याण पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व दशम छात्रवृत्ति।												

//2//

पाँचवी पंचवर्षीय योजना परिव्यय

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

रूपपत्र-1

हजार रूपये में

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भवन निर्माण, कृषि एवं बागवानी के विकास तथा पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निराश्रित एवं अस्थिर वासी जातियों का कल्याण		77-0	21▯-0	587-0	65-0	-	65-0	65-0	-	65-0	73-0	-	73-0
3-पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति) तथा समाज के अत्यन्त कमजोर व गरीब छात्रोंहेतु		-	202-0	202-0	-	26-0	26-0	-	26-0	26-0	-	27-0	27-0
योग हरिजन कल्याण		177-0	412-0	589-0	65-0	26-0	91-0	65-0	26-0	91-0	73-0	27-0	100-0
महायोग (हरिजनएवंसमाज कल्याण)		426-0	412-0	838-0	100-0	26-0	126-0	76-0	26-0	102-0	118-0	27-0	(155-0) 145.0

गुप्ता /-

=======

प्रपत्र-2
=======

जिलाः- उत्तरकाशी पांचवी योजना का कार्य भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां।

क्रम सं0	मद	इकाई	31-3-69 तक उपलब्धियां	31-3-74 की उपलब्धियां	पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धियां	वर्ष 1975-76 का लक्ष्य
	2	3	4	5	6	7	8
15	पिछड़ी जातियों का कल्याण:-						
	(क) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	संख्या					
	(1) सामान्य वर्ग	,,	-	67	575	49	73
	(ii) अनुसूचित जातियां	,,					
	(2) अनुसूचित जनजातियां	,,	-	15	100	10	15
	(ख) प्रशिक्षण व पेशेवर	संख्या					
	(1) अनुसूचित जातियां	,,	-	-	-	-	-
	(2) अनुसूचित जनजातियां	,,	-	-	-	-	-
	योग						

गुप्ता/-
=======

* पुष्टाहार योजना :-

पुष्टाहार योजना का उद्देश्य अपोषण तत्वों को समूल नष्ट करना है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसकी सार्थकता इसी बात में निहित है, यदि छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली (धात्री) माताओं के आहार की उचित व्यवस्था एवं उन्हें इसकी सही जानकारी दी जावे। समाज के कमजोर वर्ग एवं निम्न स्तरीय आय के लोगों के बच्चों एवं महिलाओं को उनके पास उपलब्ध साधनों से ही पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो जाती है। अतएव यह आवश्यक है उन्हें उनके साधनों को मद्देनजर रखते हुए कम दाम पर पुष्टाहार की सही जानकारी एवं तत्सम्बन्धी ज्ञान दिया जावे। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाना आवश्यक है और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमान्तर्गत व्यापक रूप से प्रभावी बनाया जावे तथा "बालाहार" योजना से जोड़ दिया जाना चाहिये।

2- वर्तमान स्थिति का रूपांकन :-

पुष्टाहार योजना, इस जनपद में सर्वप्रथम वर्ष 1972-73 में विकास खण्ड भटपाड़ी में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 1973-74 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत भटपाड़ी विकास खण्ड के 74 ग्राम आ चुके थे। वर्ष 1974-75 के अन्त तक इन ग्रामों की संख्या 98 हो गई थी और सम्पूर्ण विकास खण्ड के ग्राम इस योजना के अन्तर्गत आ चुके थे। इस जनपद के विकास खण्ड पुरोला को भी इस योजना के अन्तर्गत 1974-75 (पाँचवी योजना के प्रथम वर्ष) में शामिल किया गया है। वर्ष 1974-75 तक उक्त विकास खण्ड के केवल 12 ग्राम इसके अन्तर्गत लिए गये थे।

स्कूल वाटिकाओं की स्थापना :-

इसकुट सहकारी समितियों को अनुदान एवं सहयोगी संस्थाओं को बर्तन खरीदने हेतु अनुदान आदि का कार्य योजनान्तर्गत किया गया।

3- चालू योजना की आलोचनात्मक विवरण :-

प्रायः स्टाफ की नियुक्ति न होने अथवा अप्राप्ति स्टाफ के कारण पुष्टाहार योजना की सफलता में व्यवधान रहा है।

4- दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :-

दीर्घकालीन योजनान्तर्गत, इसके महत्व को देखते हुए जनपद के शेष 2 विकास खण्डों को भी इस योजना में सम्मिलित कर दिया जायेगा, तथा जनपद के समस्त आबादीयुक्त ग्राम इसका लाभ उठाने लगेंगे।

(5) विकास की नीति :-

कार्यक्रम की पूर्ण सफलता के लिए विकास खण्ड स्तरीय प्रत्येक कर्मचारी को इस योजना के विकास के लिये कार्य सौंपे जावेंगे, ताकि इस योजना का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिल सके।

(6) प्राथमिकता के आधार पर स्कूल वाटिकाओं एवं ~~महिला मंडलों की~~ महिला मंडलों को स्थापना पर बल दिया जावेगा।

(7) संसाधनों की उपलब्धि :-
शासन द्वारा की जावेगी।

(8) भौतिक साधनों एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी।

(9) शासन के विचार हेतु प्रश्न :-

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु शासन से अपेक्षित है कि स्टाफ की पूर्ण नियुक्ति की जावे।

पांचवी योजनान्तर्गत पुष्टाहार कार्यक्रम के विभिन्न भौतिक लक्ष्यों को निम्न प्रकार दर्शाया गया है।

(अगले पृष्ठ पर)

पंचम पंचवर्षीय योजना के भौतिक लक्ष्य

क्र0सं0	नाम मद	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	योग	चतुर्थ योजना के अन्त तक की स्थिति
1-	पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले ग्रामों की संख्या	18	60	180	240	94	595	74
2-	सहयोगी संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली कुक्कुट इकाईयाँ							
	(1) संस्थागत	2	5	6	8	4	25	-
	(2) व्यक्तिगत	30	70	100	90	60	350	30
3-	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना	5	15	[illegible]5	54	10	(129) 129	11
4-	सहयोगी संस्थाओं जिन्हें साज सज्जा हेतु सहायता दी जायेगी ।							
	(क) पूरक आहार योजना के लिए वर्तनों का क्रय	6	15	30	10	5	66	4
	(ख) महिला मंडलों को अनुदान	6	15	31	10	5	67	-
-	पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण							
	(क) सरकारी कर्मचारी	10	39	45	-	-	94	13
	(ख) गैर सरकारी व्यक्ति	32	75	106	98	64	375	30

-10-

रूप पत्र ( )

पुष्टाहार योजना

पाँचवी योजना परिव्यय (हजार रूपयों में)

1974-75

क्र0सं0	कार्यक्रम					परिव्यय				व्यय				1975-76 का परिव्यय			
		राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरो0	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत (संस्था)	केन्द्र द्वारा पुरो	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरो0	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरो0	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1-	पुष्टाहार कार्यक्रम	385-0	64-0	340-0	789-0	-	16-0	60-0	76-0	-	16-0	60-0	76-0	88-0	6-0	60-0	154-0
	योग-	385-0	64-0	340-0	789-0	-	16-0	60-0	76-0	-	16-0	60-0	76-0	88-0	6-0	60-0	154-0

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की प्रस्तावित योजनायें

विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की दो परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है :-

१- पर्वतीय क्षेत्रों के लिए समेकित सिंचाई प्रसार जल संरक्षण एवं कृषि विकास

-परियोजना नौगांव, उत्तरकाशी

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्यक्रम के साथ साथ अभी तक उन्नतिशील कृषि कार्यक्रम को समन्वित रूप से चलाने की कोई योजना नहीं ली गई है। फलस्वरूप सिंचाई क्षमता का पूर्ण लाभ उठाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र की भूमि ढालू होने के कारण सिंचाई का अधिकांश जल व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के साथ ही साथ जल संरक्षण एवं कृषि विकास का समन्वित कार्यक्रम लेकर, उसकी सफलता की सम्भावनाओं पर शोध एवं परीक्षण किया जाय। इस उद्देश्य से वर्ष 1975-76 में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए समेकित सिंचाई प्रसार जल संरक्षण एवं कृषि विकास) नाम से एक अग्रगामी योजना चलने का प्रस्ताव किया गया है।

शोध एवं परीक्षण कार्य :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध जल स्रोतों का पूर्ण रूप से उपयोग कर, आधुनिक सिंचाई पद्धति द्वारा, कृषकों को सिंचन सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इस क्षेत्र में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण कर, उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, अधिकतम अन्न उत्पादन कार्यक्रम चलाया जायेगा। योजना क्षेत्रों के लिए उन्नतिशील बीजों का चुनाव कर परीक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे तथा कृषकों को अपनी उपज बढ़ाने हेतु उन्नतिशील बीज, रसायनिक खाद, कीटनाशक औषधियाँ तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग को सुलभ बनाया जायेगा। बागवानी हेतु उपलब्ध भूमि में फलदार

वृक्षों के बाग लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा । तथा क्षेत्र की असिंचित भूमि में सुरक्षित प्राकृतिक नमी का अधिकाधिक उपयोग कर, उपज बढ़ाने की सम्भावनाओं को ज्ञात किया जायेगा ।

परियोजना को चलाने हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल में 220000 रु० तथा वर्ष 1975-76 के लिए 100000 रु० का प्राविधान किया गया है ।

2. लघुसिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य, उत्तरकाशी

- पर्वतीय क्षेत्रों में हाईड्रम स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना

उत्तरप्रदेश का उत्तरी भाग पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है । इन पर्वतीय क्षेत्रों को सिंचाई समस्यायें अपना महत्व रखती हैं । छोटे छोटे सीढ़ीदार कृषि योग्य भूखण्ड, जल स्रोतों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है । जिनकी का जोत आकार बहुत छोटा है तथा भूमि असमतल होने के कारण खेतों को सिंचाई कर पाना कठिन होता है । यद्यपि इन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल उठाने के सस्ते सुलभ एवं प्रभावकारी यंत्रों के अभाव में, सिंचाई हेतु इन जल स्रोतों का सदुपयोग नहीं हो पाता । अतः इस समस्या का समाधान ढूढ़ने हेतु शिवपुरी, उत्तरकाशी तथा चमोली में एक एक गांव में प्रभाग द्वारा हाईड्रम स्प्रिंकलर की एक एक इकाई स्थापित के करने का कार्य वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ किया गया । हाईड्रम इकाइयों की स्थापना करने के उपरान्त गत वर्षों के परीक्षण से हाईड्रम की इन इकाइयों की उपादेयता सिध्द हो चुकी है । इस परियोजना पर आगे और भी शोध एवं परीक्षण कार्य करने का कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलता रहेगा ।

शोध एवं परीक्षण कार्य :-

(अ) सिंचाई एवं कृषि कार्यक्रम :-

योजना का विस्तार कर 110 एकड़ क्षेत्र में हाईड्रम सिंचाई पद्धति को लागू किया जायेगा । सिंचन सुविधा उपलब्ध हो जाने पर योजना क्षेत्र में उन्नतिशील बीज, वैज्ञानिक विधियों तथा कृषि यंत्रों के प्रयोग से अधिक अन्न उत्पादन योजना को सफल बनाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(ब) व्यक्तिगत इकाइयों की स्थापना :-

बड़ी इकाइयों के आधार पर 8-10 एकड़ [illegible] सिंचन क्षमता रखने वाली प्रभाग द्वारा जो छोटी इकाइयाँ विकसित की गई है, स्थानीय किसानों में उसे लोक प्रिय बनाने का प्रयत्न किया जावेगा । छोटे कृषकों के लिए व्यक्तिगत इकाइयों की स्थापना कराई जावेगी । प्रभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है और शासन से इन इकाइयों हेतु अनुदान की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है ।

(स) जल हाईड्रम इकाई :-

एक ऐसी पोर्टेबुल हाईड्रम की छोटी इकाई के विकास की संभावनाओं की खोज की जायगी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता पूर्वक ले जाया जा सके ताकि बड़ी बड़ी नदियों में इसे लगाकर सिंचाई कार्य सुलभ बनाया जा सके ।

दो हाईड्रम मशीनों को समानान्तर रूप में जोड़ कर एक साथ संचालित करके पानी उठाने तथा उसकी सिंचन क्षमता का अध्ययन किया जायेगा । पाँचवी योजनाकाल में इस योजना हेतु 87500 का प्राविधान किया गया है जिसमें से वर्ष 1975-76 में पर्वतीय विकास (वि भाग) से 17000 रु० धनराशि का प्राविधान किया गया है ।

जिला	पाँचवी योजना का परिव्यय (रु०)	1975-76 का परिव्यय (रु०)
उत्तरकाशी	87500	17000
योग -	87500	17000

[illegible]

रूप पत्र

जिला : उत्तरकाशी

पाँचवी योजना परिव्यय

हजार रुपये

क्रम संख्या	मद	1974-79 राज्य आयोजनागत	योग	1974-75 परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग	व्यय राज्य आयोजनागत	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	योग
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में समेकित सिंचाई प्रसार एवं जल संरक्षण परियोजना (नौगाँव)	220-0	220-0		-	-	-	100-0	100-0
2-	लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य (हाईड्रय)	87-5	87-5	43-000	43-000	69-600	69-6000	17-0	17-0
योग	योग	307-5 (307.5)	307-5	43-000	43-000	69-600	69-600	117-0	117-0

अन्य सामान्य आर्थि सेवायें
(अर्थ एंव संख्या)

ग्राम सभा स्तर से लेकर जिला स्तर तक की वास्तविक योजना के निर्माणार्थ, यह आवश्यक समझा गया है कि नियोजन की एक ऐसी मशीनिरी कार्यरत रहे, जो आर्थिक क्लापों का सतत् अध्ययन करते हुए, वास्तविक प्रगति की व्याख्या करें, और स्त्रोतों, साधनों तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सुदृड नियोजन के आधार हेतु रूप रेखा प्रस्तुत करें ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इस एजेन्सी के अन्तर्गत इस जनपद में संख्याधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई । नियोजन मशनिरी के अन्तर्गत जिला स्तर पर एक परियोजना '' जिला योजनाओं के निर्माण में प्रगति लाना '' के अन्तर्गत एक अर्थ अधिकारी एंव अर्थ सहायक की नियुक्ति प्रस्तावित है ।

इस विभाग की परियोजनाओं के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है । अतः रूप पत्र 2 की सूचना शून्य समझी जावे ।

रूप पत्र : 1 :

विकास मद [illegible] अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) के पांचवी योजना के [illegible]

जिला [illegible] परिव्यय

जिला : उत्तरकाशी

(हजार रुपये)

क्र०सं०	कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय		1974-75				75-76 का परिव्यय	
				परिव्यय		व्यय			
		राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग	राज्य आयोजनागत	योग
(1)	(2)	(3)	(9)		(16)	(17)	(23)	(24)	(30)
1-	(सांख्यकी) जिला सांख्यकी कार्यालयों को उनकी क्षमता में वृध्दि लाने हेतु सज्जा की सम्पूर्ति	3-8	3-8	-	-	-	-	3-6	3-6
2-	जिला योजना के निर्माण में प्रगति लाना ।	129-5	129-5	24-3	24-3	-	-	31-2	31-2
	योग :-	133-3	133-3	24-3	24-3	-	-	34-8	34-8

न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम

पंचम पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1974 से आरम्भ हुई है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा रखे गये दृष्टिकोण के अनुसार योजना को वास्तविक रूप देने के लिए जनपद की आवश्यकताओं एवं सम्भावनाओं का विशेष ध्यान रखा गया है ।

1- सार्वजनिक स्वास्थ्य :-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं उपकेन्द्रों का विकास एवं उनमें अतिरिक्त औषधियों की उपलब्धि के सम्बन्ध में व्यय निम्न प्रकार प्रस्तावित है ।

	पंचम पंचवर्षीय योजना परिव्यय	1974-75 का व्यय	1975-76 का परिव्यय
(लाख रू0)	1-5	0-3	0-3

32 उपकेन्द्रों पर व्यय निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

3-2	0-64	0-64

2- प्राथमिक शिक्षा :-

प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल का लक्ष्य निम्न प्रकार से प्रस्तावित है

	1973-74	पंचम योजना का लक्ष्य	1974-75	1975-76
ग्रामीण	281	13	26	12
नगरीय	3	-	-	-

जूनियर हाईस्कूल के लक्ष्य

ग्रामीण	23	8	5	6
नगरीय	1	-	-	-

3- ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति :-

जीवन की सर्व प्रथम न्यूनतम आवश्यकता पानी की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल योजना निर्माण करने का लक्ष्य निम्न प्रकार से प्रस्तावित है ।

	1974-75	1975-76	1976-77
ग्रामों की संख्या	51	30	55

4- ग्रामीण विद्युतीकरण :-

पंचम पंचवर्षीय योजना में जिले की विद्युत की मांग पूरा करने के लिए वर्ष 1976-76 में एल0टी0 लाइन द्वारा 5 ग्रामों को 11 के0वी0 लाइन द्वारा 6 ग्रामों को तथा 5 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा जिस पर 25 लाख रूपये व्यय किये जायेंगे ।

5- पौष्टिक आहार योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरौला में वर्ष 1975-76 तक 1500 व्यक्ति लाभान्वित हो जायेंगे यह योजना ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्दर लागू होगी ।

6- आवास स्थल आवंटन :- इस जनपद में नवम्बर 1975 तक 511 गृह विहीन परिवारों को गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है ।

विवरण पत्र ।

जिले के आधार भूत आँकड़े — जिला उत्तरकाशी ।

क्रमांक	मद	हजार हेक्टर	31/3/74 की स्थिति
1-	कुल क्षेत्र (भौगोलिक)	,,	782
	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	691
	फलोत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	4
	शुध्द बोया गया क्षेत्र	,,	35
	परती भूमि कुल		(2)
	(अ) वर्तमान	,,	1
	(आ) अन्य	,,	1
	कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	2
	भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नहीं है (कुल)		
	(क) बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं है	,,	7
	(ख) भूमि जो कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए काम में आ रही है ।	,,	4
	(ग) चरागाह हेतु भूमि	,,	37

2-	जोतो की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र फल	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)
	1 हेक्टर तक	39,006	9706
	1 तथा 3 हेक्टर के बीच	11,153	18674
	3 तथा 5 हेक्टर के बीच	1,271	4927
	5 हेक्टर तथा उससे अधिक ~~कुल जोतें~~	206	1761
	कुल जोतें	51,636	35068

3-	जनसंख्या (1971 की जनगणना नुसार (हजार में)	नगर	ग्रामीण	योग
(अ)	पुरुष	4	74	78
	स्त्रियाँ	2	68	70
	योग	6	142	148
(आ)	श्रमिकों की संख्या (हजार में)			
	पुरुष	2	49	51
	स्त्रियाँ	1	42	43
	योग	3	91	94

(ङ) पिछड़े समुदायों की जनसंख्या (हजार में)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
पुरुष	18	0-133
स्त्रियाँ	16	0-141
योग	34	0-274
(च) घनत्व प्रति वर्ग किलो मीटर	19	

मुख्य सतत प्रवाहशील नदियाँ नाम	लम्बाई कि0मी0
(1) भागीरथी	128
(2) टौंस	77
(3) यमुना	64
(4) पावर	20
(5) सोपन	30
(6) ऋषि	30 30
(7) केदार गंगा	15 16
(8) हिटी गंगा	15
(9) धीड़वार गाड़	20
(10) इन्द्रावती	10
(11) जान्हवी	40
(12) असी	10
(13) नाकुरी गाड़	5
(14) रेणुका	6
(15) जनालु गाड़	20

5- मौसमी नदियाँ

शून्य है ।	×

6- मिट्टी की मुख्य किस्में	अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टर)
(1) बलुवट दोमट	17015
(2) दोमट	11000
(3) कंकड़ीली बलुवट	7095
7- मासिक औसत वर्षा (मि0मी0)	168
8- चकबन्दी क्षेत्र (हजार हेक्टर)	————

9- साधनों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र (हजार हेक्टर)		
(1) नहरें	,,	4
(2) गूल हौज आदि	,,	2
(3) कुल सिंचित क्षेत्र	,,	
(1) शुद्ध	,,	6
(2) सकल	,,	9

10- महत्वपूर्ण फसलों के नाम व क्षेत्रफल (हजार हेक्टर)

(क) धान	17
(ख) गेहूँ	17
(ग) मडुवा व झंगोरा	10
(घ) आलू	3
(ड0) दालें	2

11- औसत उपज प्रति हेक्टर (किलो ग्राम)

	जिला	राज्य
(क) गेहूँ	1066	1225
(ख) चावल	837	748
(ग) मक्का	947	915
(घ) तिलहन	360	538
(ड0) आलू	10,000	9314

12- महत्वपूर्ण फलों के नाम क्षेत्र फल (हेक्टर में)

(क) सेव)	
(ख) आडू)	3645
(ग) खुबानी)	
(घ) नाशपाती)	

13- महत्वपूर्ण वन उपजों के नाम :-

(क) इमारती लकड़ी
(ख) ईंधन के लिए लकड़ी
(ग) लीसा
(घ) आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जड़ी बूटियाँ ।

14- व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम (प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार)

(क) मैग्नेसाइट
(ख) सोपस्टोन
(ग) काइनाइट गार्नेट

15- महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक उत्पादन के नाम :-

(क) ऊनी गलेबन्दे, दुपकर आदि
(ख) पंखी, पशमीनीमा पट्टू
(ग) काष्ट उपकरण
(घ) रिंगाल की टोकरियाँ आदि
(ड0) टिन - स्मिथि व खेती के औजार

16- रेलवे लाइनों की लम्बाई

बड़ी लाइन (कि0मी0) ———
छोटी लाइन (,,) ———
नैरो गेज (,,) ———

17- सड़कों की लम्बाई	(कि०मी०)
(क) समतल (सा०नि०वि०)	394
(ख) असमतल	
(i) वनविभाग के कच्चे मोटर मार्ग	415
(ii) वनविभाग के पैदल मार्ग	1261
(iii) जिला परिषद की ग्रामीण पैदल सड़कें	571
18- बिजली की लाइनों की संख्या	(कि०मी०)
(i) एच०टी०	114
(ii) एल०टी०	34
19- पशु संख्या (1966 की गणना)	(हजारों में)
(i) दुधारू पशु	62
(ii) अदुधारू पशु	39
(iii) बकरियाँ एवं भेड़	131
(iv) अन्य	37
(v) योग	319
20- कुक्कुट (हजार में)	
21- तहसीलों की संख्या	4
22- खण्डों की संख्या	4
23- ग्रामों की संख्या	
(i) जनगणना ग्राम	669
(ii) वन ग्राम	14
(iii) योग	683
(iv) गैर आबाद ग्राम	11
24- जनसंख्या सहित नगरों/शहरों की संख्या 10,000 तक	1
25- नगरों की संख्या	
(क) जिनमें बिजली है ।	1
(ख) जिनमें पाइप द्वारा जल पूर्ति होती है ।	1
26- ग्रामों की संख्या	
(क) जिनमें बिजली है ।	25
(ख) जिनमें पाइप द्वारा जल पूर्ति होती है ।	99
27- विद्यालयों (स्कूलों) की संख्या	
(क) प्राइमरी	295
(ख) मध्यवर्ती (मिडिल)	39
(ग) हाई स्कूल	5
महाविद्यालयों (कालेजों) की संख्या	
(क) इन्टरमीडिएट	6
(ख) डिग्री	1

28- प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें

29- अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या

(1) नगर क्षेत्र में (स्टेट बैंक उत्तरकाशी, पंजाब नेशनल बैंक उत्तरकाशी)	2
(2) ग्रामीण क्षेत्र में (स्टेट बैंक) (डुण्डा) (भटवाड़ी)	2

30- प्राथमिक /बहुउद्देशीय/ क्रय विक्रय सहकारी समितियों की संख्या

(1) वृहदाकार समितियों की संख्या	——
(2) सहकारी यूनियनों की संख्या	1
(3) क्रय विक्रय समितियों की संख्या	1
(4) सहकारी बैंकों के शाखाओं की संख्या	3
(5) विनियमित बाजारों की संख्या	——

31- गोदाम :

	संख्या	संग्रह क्षमता (000 टन)
सरकारी	×	——
सहकारी	×	——
अन्य (पूर्ति विभाग व सहकारी संघ)	12	1-875
उर्वरक डिपो	(5) (5)	(0-225) (0-225)
कृषि विभाग	5	0-225
सहकारी विभाग	13	1-500
अन्य	—	——

32- राजकीय बीज फार्म

संख्या	1
क्षेत्रफल (हेक्टर में)	9
33- पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5
34- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	——
35- पशुपालन केन्द्रों की संख्या	22
36- चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	
शहरी	1
ग्रामीण	36
37- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	4
38- चिकित्सालयों/औषधालयों में शय्याओं की संख्या	
शहरी	25
ग्रामीण-(प्रा०स्वा०केन्द्रों सहित)	158

पांचवीं योजना परिव्यय

क्रमांक	कार्यक्रम	पांचवीं योजना परिव्यय				1974-75 परिव्यय				व्यय				1975-76 का परिव्यय			
		राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	संस्था गत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-	कृषि	3684	×	×	3684	268	×	×	268	148	×	×	148	301	×	×	301
2-	गन्नाविकास	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	=	×	×	×
3-	चकबन्दी	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4-	फलउपयोग	13009	×	321	13330	431	×	53	484	414	×	50	464	873	×	75	943
5-	निजी लघु सिंचाई	1460	×	×	1460	500	×	×	500	475	×	×	485	200	×	×	200
6	लघुसिंचाई																
	(क) लघु सिंचाई	14100	×	×	14100	950	×	×	950	×	×	×	×	1200	×	×	1200
	(ख) वृहद एवं मध्यम	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7-	भूमि संरक्षण	1228	×	×	1228	381	×	×	381	422	×	×	422	242	×	×	242
7-	~~भूमि संरक्षण~~ भण्डारण एवं विपणन	×	×	×	×	=	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	(क) भाण्डागार निगम	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8-	पशुपालन	7842	×	×	7842	305	×	×	305	[illegible]	×	×	89	270	×	×	270

७०

[illegible] – [illegible]

([illegible])

[illegible] जिला [illegible]

205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9-	पुस्तकालय	751	820	×	1571	16	34	×	50	×	×	×	×	50	×	×	[illegible]
10-	गासरा	110	×	×	110	17	×	×	17	26	×	×	26	104	×	×	104
11-	जन तन्त्र [illegible]	2591	×	×	2591	2656	×	×	2546	1589	×	×	1589	1385	×	×	1361
12-	[illegible] विकास	39	×	×	39	4	×	×	4	4	×	×	4	14	×	×	14
13-	पंचायत राज	122	×	×	122	7	×	×	7	6	×	×	6	10	×	×	10
14-	ग्रामीण [illegible] सेवा	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15-	[illegible] मण्डल	35	×	×	35	1	×	×	1	1	×	×	1	1	×	×	1
16-	सहकारिता	1140	×	206	1346	196	×	×	196	×	×	×	×	[illegible] (299)	×	×	298
17-	खाद्य सुरक्षा	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18-	ग्रामीण विद्युतीकरण	1125	×	×	1125	×	×	×	×	×	×	×	×	1125	×	×	1125
19-	[illegible]	[illegible]	×	×	500	25	×	×	25	10	×	×	10	10	×	×	10
20-	लघु उद्योग	277[illegible]	×	×	2775	274	×	×	274	274	×	×	272	163	×	×	163
21-	[illegible] उद्योग	×	[illegible]	[illegible]	193	×	191	×	191	×	×	×	×	× (187)	[illegible]	×	187
22-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	×	×	29	49	×	×	49

(लाख रु0 में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23-	सड़कें	52537	×	×	52537	10500	×	×	10500	8533	×	×	5339	6501	×	×	6501
24-	सड़क परिवहन	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25-	पर्यटन	51129	×	×	51129	818	×	×	818	818	×	×	818	3600	×	×	3600
26- 27-	शिक्षा (वैदिक) शिक्षा (माध्यमिक एवं उच्च)	1904	×	×	1904	113	×	×	113	107	×	×	107	226	×	×	226
28-	प्राविधिक शिक्षा	2500	×	×	2500	×	×	×	×	×	×	×	×	251	×	×	251
29-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1747	×	3238	4985	187	×	596	783	92	×	320	412	284	×	597	631
30-	पेयजल एवं जल निस्तारण	14304	11125	×	25429	3382	×	×	3382	2864	×	×	2864	3750	3063	×	6813
31-	पेयजल (सामुदायिक विकास)	×	×	×	×	10	×	×	10	10	×	×	10	10	×	×	10
32-	आवास एवं विकास	×	515	×	515	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
33-	सूचना	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
34-	(क) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	250	×	×	250
	(ख) श्रम कल्याण	20	×	×	20	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
35-	(क) हरिजन कल्याण	177	×	210	387	19	×	×	19	65	×	×	65	73	×	×	75
	(ख) समाज कल्याण	249	×	×	249	35	×	×	35	11	×	×	11	45	×	×	45

206

पांचवीं यो./[illegible] (क्रमागत [illegible])

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6-पुष्टाहार कार्यक्रम	385	64	340	789	×	16	16	76	×	16	60	76	88	6	60	154
7-विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	307	×	×	307	43	×	×	43	70	×	×	70	100	×	×	100
8-मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9-सांख्यिकी	133	×	×	133	24	×	×	24	×	×	×	×	35	×	×	35
10-बांट तथा ग्रांट	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
योग				197621				22190				13309				25259

====

207

National Institute of Educational Planning and Administration Library